सितम्बर, 2019
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

ii Cover

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक	: श्री पुण्डरीक शर्मा
उप-संपादक	: सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह
परामर्शदाता	: सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

सितंबर, 2019 अंक - 9

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

असलम खान

(2019) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

---

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

रविशंकर प्रसाद
RAVI SHANKAR PRASAD

सत्यमेव जयते

मंत्री
विधि एवं न्याय, संचार
एवं
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार
MINISTER OF
LAW & JUSTICE, COMMUNICATIONS
and
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

हिंदी दिवस के गरिमामय अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं !

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा देश विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों का देश है। देश के अधिसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली एवं हमारी सामासिक संस्कृति की विभिन्नताओं के बीच एकता स्थापित करने वाली भाषा होने के कारण संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 से संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई।

हिंदी की प्रकृति एवं संस्कृति विस्तारशील है तथा इसे विभिन्न भाषा - भाषी लोगों द्वारा बिना किसी विशेष प्रयास के सहज प्रयोग में लाया जा सकता है। भारत सरकार विधि, विज्ञान एवं तकनीक आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहती है ताकि राजभाषा हिंदी भारत के जन-जन की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन सके जिससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत बने एवं लोगों को भारत सरकार की नीतियों को समझने में कोई कठिनाई न हो।

मुझे प्रसन्नता है कि विधायी विभाग में इस वर्ष 14 सितंबर से 28 सितंबर के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना अधिकाधिक कार्य मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मुझे आशा है कि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे तथा अपना अधिक -से - अधिक सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रेरित होंगे और विभाग के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए एक सहज वातावरण सृजित होगा।

जय हिंद !
नई दिल्ली
14 सितंबर, 2019.

(रवि शंकर प्रसाद)

संपादकीय

समाज में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए जितना मूल अधिकारों का उपयोग को सुकर बनाना आवश्यक है उतना ही आवश्यक विधि की अवहेलना और अतिक्रमण को रोकना है चाहे उसके लिए दंड का सहारा क्यों न लेना पड़े । किसी भी व्यक्ति को सबूत के आधार पर भी दंडित किया जा सकता है जिसके लिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का मौखिक साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है । साक्षी का निष्पक्ष होना पक्षकार के पक्षकथन को प्रभावी बनाता है किन्तु कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि साक्षी सत्य कथन देने के बावजूद पक्षपात के आरोप से घिर जाता है और यह तब होता है जब ऐसा साक्षी शिकायतकर्ता-पक्ष या अभियुक्त-पक्ष का नातेदार होता है । वास्तव में, ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके अनुसार ऐसे साक्षियों के, जो नातेदार हैं, कथनों पर केवल नातेदार होने के कारण विश्वास न किया जाए । आमतौर पर यह देखा जाता है कि अधिकतर अपराध आहतों के आवास पर ऐसे असामान्य समय में कारित किए जाते हैं जब नातेदारों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति की प्रत्याशा नहीं की जा सकती । अतः यदि नातेदारों के कथनों पर उनके नातेदार होने के आधार पर विश्वास न किया जाए तो ऐसी परिस्थितियों में अपराध साबित करना लगभग असंभव हो जाएगा । तथापि, न्यायालयों द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि ऐसे साक्षियों के साक्ष्य की संवीक्षा स्वतंत्र साक्षियों की तुलना में अधिक सावधानी के साथ की जानी चाहिए । उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त दृष्टिकोण **दरिया सिंह** बनाम **पंजाब राज्य,** ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 328 वाले मामले में व्यक्त किया गया है और इस अंक में प्रकाशित **गोपाल गुप्ता** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य,** (2019) 2 दा. नि. प. 303 वाला मामला है ।

बलात्संग के अपराध के लिए किसी व्यक्ति का दायित्व अवधारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव सम्मति है । महिला द्वारा दी गई सम्मति अभियुक्त को दायित्व से पूर्णतः निर्मुक्त करती है । यह सम्मति मामले की परिस्थितियों और प्रकृति पर निर्भर करते हुए स्पष्ट

या विवक्षित हो सकती है । किसी महिला ने किसी पुरुष को सम्मति दी है, यह तभी कहा जा सकता है जब वह स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं को समर्पित करने के लिए सहमत हो जाती है । अभियुक्त को बलात्संग के आरोप से मुक्त करने के लिए स्त्री की सहमति तर्कसंगत होनी चाहिए जो सोच-विचार के साथ और संतुलित मन से दी गई हो और किसी भी समय वह स्त्री अपनी सम्मति वापस लेने के लिए स्वतंत्र भी हो । भय या आतंक के प्रभाव के अधीन दी गई सहमति अभियुक्त को उसके दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी । इस स्थिति को **आनंद कुमार** उर्फ **अनन्त कुमार पांडेय** बनाम **उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) राज्य**, (2019) 2 दा. नि. प. 324 वाले मामले में स्पष्ट किया गया है ।

इस अंक में हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 भी प्रकाशित किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है । इस अंक में अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

सितंबर, 2019

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अब्दुल रहीमुद्दीन **उर्फ** अब्दुल रहीम **बनाम** असम राज्य और एक अन्य	355
आनंद कुमार **उर्फ** अनन्त कुमार पाण्डेय **बनाम** उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) राज्य	324
कृष्णेन्दु दास ठाकुर **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	341
गोपाल गुप्ता **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	303
मधुसूदन मुरारीलाल शर्मा **बनाम** ज्योत्सना निलेश शर्मा और अन्य	396
सुब्रह्मणि और अन्य **बनाम** राज्य	412
हरदास खामसिंह ताडवी **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	427
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** जोबन दास	444

संसद् के अधिनियम

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956	1 - 17

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 2(क), (च) और धारा 19 – घरेलू हिंसा – साझी गृहस्थी में परिवादी और आवेदक के बीच प्रवेश और निकास के संबंध में विवाद – जहां परिवादी और आवेदक भवन के भिन्न-भिन्न तल पर निवास करते हैं वहां यह नहीं कहा जा सकता कि वे साझी गृहस्थी में रह रहे हैं या उनके बीच घरेलू नातेदारी है, अतः उक्त अधिनियम लागू न होने के कारण परिवाद अभिखंडनीय है ।

मधुसूदन मुरारीलाल शर्मा बनाम **ज्योत्सना निलेश शर्मा और अन्य** 396

– धारा 12, 25(2) और 2(क) [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125(1) स्पष्टीकरण (ख)] – भरणपोषण का आदेश – व्यथित व्यक्ति-पत्नी ने भरणपोषण और वैकल्पिक आवास के लिए किराए का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा अभिप्राप्त किया था, पति द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री अभिप्राप्त करने के परिणामस्वरूप पत्नी को भरणपोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता बल्कि पत्नी पुनर्विवाह करने और अपना भरणपोषण करने में असमर्थ रहने तक भरणपोषण और वैकल्पिक आवास के किराए का आदेश निष्पादित कराने की हकदार है ।

कृष्णेन्दु दास ठाकुर बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 341

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 173 – पुलिस रिपोर्ट – कार्यवाही का बन्द किया जाना – एक ही घटना से दो मामलों का उद्भूत होना – तथ्य की भूल – दोनों पक्षों के विरुद्ध साक्ष्य का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना – एक ही घटना से उद्भूत किसी मामले और प्रति मामले में यदि अन्वेषण अधिकारी की राय में एक मामला तथ्य की भूल के आधार पर दर्ज किया गया है तब ऐसी स्थिति में वह उस मामले को बन्द नहीं कर सकता अर्थात् दूसरे पक्ष के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकता और उसका कर्तव्य दोनों ओर के साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करना है, अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

सुब्रहमणि और अन्य बनाम **राज्य** 412

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 148, 149, 352, 294(ख) और 324 – विधिविरुद्ध जमाव – अभियुक्तों द्वारा किए गए हमले से घटना के छह दिन बाद मृतक की मृत्यु होना – इत्तिलाकर्ता का आंशिक रूप से हमलावर होना – अभियुक्तों को कारित हुई क्षतियों का अभियोजन पक्ष द्वारा छिपाया जाना – चिकित्सक के साक्ष्य का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से मेल न खाना – चिकित्सक ने यह उल्लेख किया है कि मृतक पर चार व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से पता चलता है कि छह व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है और की गई दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं होगी ।

सुब्रहमणि और अन्य बनाम **राज्य** 412

पृष्ठ संख्या

– धारा 149 – विधिविरुद्ध जमाव – विधिविरुद्ध जमाव को गठित करने वाले कारक ।

अब्दुल रहीमुद्दीन उर्फ **अब्दुल रहीम** बनाम **असम राज्य और एक अन्य** 355

– धारा 302 और 149 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – विधिविरुद्ध जमाव और हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा खंजर, दाउ, लाठी आदि से पीड़ित पर हमला किया जाना जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाना – यदि अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा समूह में एकत्र होकर आयुधों से पीड़ित पर हमला किया है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य एक-दूसरे से संगत हैं तथा यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित की हत्या करने के स्पष्ट उद्देश्य से अभियुक्त ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया है तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के बारे में मात्र यह कहना कि वे पीड़ित के नातेदार हैं उस कारण से उनके विश्वसनीय साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में 30 अभियुक्त-व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया है तथा मामले में अभियुक्त-व्यक्तियों की दोषसिद्धि की गई है तो उनको दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

अब्दुल रहीमुद्दीन उर्फ **अब्दुल रहीम** बनाम **असम राज्य और एक अन्य** 355

– धारा 302 और 149 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – यद्यपि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना के बारे में विस्तृत अभिसाक्ष्य दिया है, उन साक्षियों में से किसी ने भी सह-अभियुक्तों को हमलावर

पृष्ठ संख्या

नहीं बताया है – सह-अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर अपराध में फंसाने वाला कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है – सह-अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं हैं और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के बारे में स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया गया है । केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में सह-अभियुक्त के नामों का उल्लेख किया जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं है तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को लिखने वाले ने न्यायालय में सह-अभियुक्तों को आलिप्त नहीं किया है, इसलिए सह-अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

अब्दुल रहीमुद्दीन उर्फ **अब्दुल रहीम** बनाम **असम राज्य और एक अन्य** 355

– धारा 302, 304 भाग-II और धारा 53 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा मृतक पर अभिकथित रूप से चाकू से हमला किया जाना – प्रकोपन का अभिवाक् – अपराध करने के आशय, तैयारी या पूर्वचिन्तन का अभाव – अपीलार्थी ने आवेश की तीव्रता में मृतक को केवल एक क्षति अचानक कारित की है और उस पर पुनः हमला नहीं किया है यद्यपि ऐसा करने के लिए उसके पास अवसर था जिससे यह प्रतीत होता है कि उसका आशय हत्या कारित करने का नहीं था, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 304 भाग-II के अधीन ही की जा सकती है ।

हरदास खामसिंह ताडवी बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 427

पृष्ठ संख्या

– धारा 323, 324, 326, 304 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन बरामदगी] – गंभीर उपहति – हत्या – यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने साशय मृतक की हत्या किए जाने के लिए उसे आयुधों से क्षति पहुंचाई गई और अभियुक्त-अपीलार्थी के बताने पर आयुध की बरामदगी हुई है तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के वृत्तांत की मृतक की चिकित्सा रिपोर्ट से संपुष्टि हुई है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

गोपाल गुप्ता बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 303

– धारा 323, 324, 326, 304 और 302 – मृतक पर गंभीर उपहति कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो जाना और अभियुक्त-अपीलार्थी का यह कथन किया जाना कि मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक के नातेदार हैं तथा विधि में ऐसी कोई प्रतिपादना नहीं की गई है कि नातेदार साक्षियों को अविश्वसनीय साक्षी माना जाए, अतः अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

गोपाल गुप्ता बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 303

– धारा 376(1) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – सबूत – अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को विवाह का मिथ्या वचन दिया जाना – कृत्य को भली-भांति समझने हेतु अभियोक्त्री का समुचित रूप से परिपक्व होना – संभोग के लिए अभियोक्त्री की सहमति – अभियोक्त्री की आयु संभोग के समय 22 वर्ष थी और उस कृत्य से संबंधित सभी

पृष्ठ संख्या

परिणामों को समझने के लिए पूरी तरह समझदार थी जिसके लिए उसने अपनी सहमति दी थी, अतः ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री को सहमत पक्षकार माना जाएगा और इस आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है और वह दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

आनंद कुमार उर्फ **अनन्त कुमार पाण्डेय** बनाम **उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) राज्य** 324

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 3 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 149 और 300] – मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य – असंगतता – प्रभाव – विधिविरुद्ध जमाव का अपराध और हत्या – पीड़ित को कई क्षतियों के साथ तीन कटी हुई क्षतियां पहुंची थीं – जब हमलावरों की अधिसंख्या द्वारा पीड़ित पर हमला किया गया और उसे क्षतियां पहुंचाई गईं तब प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन को मात्र इस आधार पर हटाया नहीं जा सकता कि डाक्टर की जानकारी में आई हुई कटी हुई क्षतियों की संख्या उनके कथनों से मेल नहीं खाती । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का इस बारे में परिसाक्ष्य कि पीड़ित पर हमला करने में अभियुक्त-व्यक्ति का शामिल होना धारदार आयुध से क्षतियां कारित करने में कोई दुर्बलता नहीं दिखाई देती । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य में प्रकट हुए विभेद और क्षतियों की यथावत् संख्या के बारे में चिकित्सा साक्ष्य के बारे में अभियोजन मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता ।

अब्दुल रहीमुद्दीन उर्फ **अब्दुल रहीम** बनाम **असम राज्य और एक अन्य** 355

पृष्ठ संख्या

पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1914 (1914 का 1) (हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू)

– धारा 61 – पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से अवैध शराब की बरामदगी – स्वतंत्र साक्षियों की उपलब्धता की संभावना के बावजूद स्वतंत्र साक्षियों को न बनाया जाना – दोषमुक्ति – निर्णय को चुनौती ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **जोबन दास** 444

– दोषमुक्ति के मामलों में अपील की दशा में मात्र इस कारण से कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से दो मत संभव हैं, अपीली न्यायालय को दोषमुक्ति के लिए अभिलिखित निष्कर्षों में हस्तक्षेप करके उस निर्णय को उलटना नहीं चाहिए ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **जोबन दास** 444

गोपाल गुप्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2004 की दांडिक अपील सं. 4831)

तारीख 26 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति उमेश कुमार

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 323, 324, 326, 304 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन बरामदगी] – गंभीर उपहति – हत्या – यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने साशय मृतक की हत्या किए जाने के लिए उसे आयुधों से क्षति पहुंचाई गई और अभियुक्त-अपीलार्थी के बताने पर आयुध की बरामदगी हुई है तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के वृत्तांत की मृतक की चिकित्सा रिपोर्ट से संपुष्टि हुई है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 323, 324, 326, 304 और 302 – मृतक पर गंभीर उपहति कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो जाना और अभियुक्त-अपीलार्थी का यह कथन किया जाना कि मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक के नातेदार हैं तथा विधि में ऐसी कोई प्रतिपादना नहीं की गई है कि नातेदार साक्षियों को अविश्वसनीय साक्षी माना जाए, अत: अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 4) गंगा प्रसाद जो ग्राम पंचायत धानी का ग्राम प्रधान है, उसने पुलिस थाना वृजमानगंज, जिला महाराजगंज में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत

की जिसमें यह अभिकथन किया कि तारीख 6 अगस्त, 2003 को लगभग 5.00 बजे पूर्वाह्न गोपाल पुत्र नंद किशोर ने पैसों के बारे में विवाद होने पर उसने अपने साले गोविंद पुत्र राम लखन पर नुकीले राड से हमला किया जिस पर गोविंद को उसकी आंखों पर गंभीर क्षतियां पहुंचीं । आहत के बच्चों के चीखने-चिल्लाने पर गोपाल ने उसकी भतीजी का पट्टू **उर्फ** गिरिजा और भतीजे राघव पर उक्त नुकीले राड से हमला किया और वे दोनों गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे । उन तीनों को उसी दिन नाजुक हालात में जिला अस्पताल गोरखपुर ले जाया गया था और इस घटना को कई व्यक्तियों द्वारा देखा गया था और घटना में हुए विवाद को सुना गया था । आहत गोविंद के कुटुम्ब का कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं था इसलिए, उसने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी । उक्त लिखित रिपोर्ट पर तारीख 7 अगस्त, 2003 को लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न दंड संहिता की धारा 323, 324 और 326 के अधीन मामला अपराध सं. 315/2003 रजिस्ट्रीकृत किया गया था । उपचार के दौरान आहत आनंद कांद **उर्फ** गोविंद की तारीख 7 अगस्त, 2003 को लगभग 8.45 बजे पूर्वाह्न मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के बारे में सूचना पुलिस को दी गई है जिस पर तारीख 7 अगस्त, 2003 को 10.00 बजे पूर्वाह्न साधारण डायरी सं. 17 में पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श क-16 की प्रविष्टि की गई है और इसके पश्चात् तारीख 9 अगस्त, 2003 को 12.30 बजे पूर्वाह्न साधारण डायरी सं. 19 द्वारा दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध अर्थात् प्रदर्श क-17 में संपरिवर्तित किया गया था । अभियुक्त गोपाल गुप्ता को दंड संहिता की धारा 304, 324 और 326 तथा दूसरी ओर (विकल्पत:) धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया था जबकि अन्य अभियुक्त नंद किशोर को दंड संहिता की धारा 304/120-ख, 323/120-ख, 324/120-ख, 326/120-ख और दूसरी ओर 302/120-ख के अधीन आरोपित किया गया था । अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 16 साक्षियों की परीक्षा की जो श्रीमती गीता (अभि. सा. 1) और ऊषा (अभि. सा. 6) (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) ; राघव (अभि. सा. 2) और गिरिजा **उर्फ** पट्टू (अभि. सा. 3) के बारे में आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना कहा गया है । गंगा प्रसाद **उर्फ** मंगल

प्रसाद (अभि. सा. 4) (इत्तिलाकर्ता) ; जयन्त्रीमणि त्रिपाठी (अभि. सा. 5) और नागेन्द्रमणि त्रिपाठी (अभि. सा. 7) आपराधिक षड्यंत्र के साक्षी हैं जिस षड्यंत्र को नंद गोपाल द्वारा रचा गया था ; कासिद अली (अभि. सा. 8) और दीनदयाल (अभि. सा. 10) बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श क-7 और प्रदर्श क-8 के साक्षी हैं ; कुशाल नंद (अभि. सा. 9) मृत्युसमीक्षा का साक्षी है ; डाक्टर घनश्याम सिंह (अभि. सा. 11) ने प्रदर्श क-2, क-3 और क-3/1 क्षति रिपोर्ट बनाई थी ; डाक्टर यू. सी. पाण्डेय (अभि. सा. 12) वीरेन्द्र बहादुर सिंह (अभि. सा. 13), एस. ओ. वृजमानगंज (अभि. सा. 13) और एस. ओ. उदय प्रताप यादव (अभि. सा. 14) मामले के अन्वेषक अधिकारी हैं जिनमें से अभि. सा. 13 ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया और अभि. सा. 14 ने मृत्युसमीक्षा की कार्यवाही की । कांस्टेबल मोहर्रिर कन्हैया प्रसाद (अभि. सा. 15) ने प्रदर्श क-16 को साबित किया है और मोहम्मद रफीक खान अभि. सा. 16 ने प्रदर्श क-17, 18, 19 और 20 को साबित किया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त गोपाल के कथन में अभियोजन पक्ष के प्रख्यान/दृढ़ कथन से इनकार किया गया है । उसने यह कथन किया है कि उसे शत्रुतावश मिथ्या रूप से फंसाया गया है । उसने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का दावा किया है परन्तु उसके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था । नंद किशोर को आपराधिक षड्यंत्र के विचारण न्यायाधीश द्वारा उक्त अपराध कारित किए जाने से दोषमुक्त किया गया था, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह सूचना दी कि राज्य द्वारा कोई राज्य अपील को अधिमानता नहीं दी गई । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री कमलेश कुमार तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री ए. एन. मुल्ला को सुना गया । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि शत्रुतावश उक्त अभियुक्त गोपाल गुप्ता को मिथ्या रूप से फंसाया गया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य आहत/मृतक के शरीर पर पहुंची हुई क्षतियों के संगत नहीं है, कथारी की बरामदगी अपने आप में दोषपूर्ण है, राड की बरामदगी होने पर उसे न्यायालयिक विश्लेषण के लिए कभी भी नहीं भेजा गया था । उन्होंने अनुकल्पतः यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपराध को दंड संहिता की

धारा 304 के परे अस्वीकार नहीं किया जाएगा । इसके प्रतिकूल, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने पुरजोर रूप से इस बात का विरोध किया और यह कथन किया कि अभियोजन वृत्तांत की आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अच्छी तरह से समर्थन किया गया है, इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा आगे इस बात का भी समर्थन किया गया है जो अभियुक्त-अपीलार्थी के अति नजदीकी नातेदार हैं जिससे अभियोजन पक्षकथन की सत्यता की प्रमाणिकता भी प्रकट हुई है और मौखिक साक्षी के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध को अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा विधिक रिपोर्ट द्वारा सम्यक् रूप से समर्थन नहीं दिया गया है, इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है । अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त गोपाल ने नुकीले लोहे की राड से उसके पिता की आंखों के नजदीक सिर पर हमला किया था । उसने अपने भाई की क्षतियों के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया है । इस साक्षी ने यह कहते हुए सरिया का वर्णन भी किया है कि 'सरिया' लोहे की राड के रूप में है जो दो और 2½ फीट की है जो सामान्यत: सांपों को मारने के लिए प्रयोग की जाती है और यह लोहे की राड कमरे में रखी हुई थी जहां अभियुक्त-गोपाल निवास करता था । उसने अपने पिता और अपने भाई पर अभियुक्त द्वारा हमला किए जाने की रीति के बारे में स्पष्टीकरण भी दिया है । इस साक्षी के परिसाक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर, न्यायालय की यह राय है कि उसमें कोई विभेद या कोई विभेदकारी सामग्री नहीं है जिसे अभियोजन वृत्तांत में संदेह करके हटाया जा सकता है । अभि. सा. 6 ऊषा जो मृतक की साली है तथा अभियुक्त गोपाल की बहन है, मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । उसने अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की भांति अपराध किए जाने के संपूर्ण तथ्य का वृत्तांत देते हुए अभियोजन साक्ष्य का समर्थन किया है । इस साक्षी के परिसाक्ष्य की बारीकी से संवीक्षा करने पर हमारी यह राय है कि वह विश्वसनीय साक्षी है । अपीलार्थी के

विद्‌वान् काउंसेल की यह दलील है कि वर्तमान मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नातेदार हैं और इस प्रकार वे हितबद्ध साक्षी हैं, इस बात में कोई सार नहीं है । विधि की यह प्रतिपादना नहीं है कि नातेदारों को अविश्वसनीय साक्षी के रूप में माना जाए । कारणों से यह भी दर्शित हुआ है कि जब आंशिक रूप से किए गए अभिवाक् से यह दर्शित होता है कि साक्षी का वास्तविक अपराधी को बचाने का आशय था और अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया गया । निकटतम नातेदार को हितबद्ध साक्षी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता । वह नैसर्गिक साक्षी है । तथापि, उसके साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए । मृतक या पीड़ित के साथ निकट की नातेदारी उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं है । उसके प्रतिकूल सामान्यतया मृतक के निकट के नातेदार वास्तविक अपराधी को छोड़ देने के लिए अत्यधिक अनिच्छुक होते हैं और उसके द्‌वारा निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या रूप से आलिप्त किया जाता हो । वर्तमान मामले में अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 6 घटना के विश्वसनीय साक्षी हैं । उनके द्‌वारा अभियोजन वृत्तांत दिया गया है जो अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के संगत है, मानवीय दशाओं के नैसर्गिक प्रक्रम पर, चारों ओर की परिस्थितियां और मामले की अन्तर्निहित अधिसंभाव्यताएं इस प्रकार हैं जिस पर दोषसिद्धि की जाएगी और यदि उनका साक्ष्य संदेह से परे है और न्यायालय उस साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के वृत्तांत को न्यायालय द्‌वारा केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक का नातेदार या मित्र है जब वे अपीलार्थी/अभियुक्त के नजदीकी नातेदार भी हैं । गंगा प्रसाद (अभि. सा. 4) ग्राम प्रधान है जिन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट साबित की है । उसने यह कथन किया है कि उस स्थानीय क्षेत्र के निवासियों ने उसे घटना के बारे में सूचना दी थी जिस घटना में अभियुक्त गोपाल द्‌वारा नुकीले धारदार सरिया से मृतक को क्षति पहुंचाकर अपराध कारित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई । उसने यह भी कथन किया कि सरिया को अपराध कारित किए जाने में उपयोग किया गया जिसे अभियुक्त गोपाल के बताने पर बरामद किया गया था । अभि. सा.

8 आयुध की बरामदगी का साक्षी है जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया, परंतु बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श क-8 में अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है । अभि. सा. 9 मृत्युसमीक्षा साक्षी है । अभि. सा. 10 बरामदगी का भी साक्षी है और उसने उसे साबित किया है । डाक्टर घनश्याम (अभि. स. 11) ने मृतक और अन्य आहत व्यक्तियों अर्थात् अभि. सा. 2 और 3 की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई । उन्होंने क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श क-2 और 3) को भी साबित किया है । डाक्टर यू. सी. पांडेय (अभि. सा. 12) ने मृतक आनंद कांद के शव की शव-परीक्षा की है और शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) को साबित किया है । अभि. सा. 13 अन्वेषक अधिकारी है जिन्होंने अन्वेषण का कार्य किया, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए, घटना के स्थान पर गया, घटनास्थल का नक्शा तैयार किया, रक्तरंजित मिट्टी और सादी मिट्टी और रक्तरंजित कथारी को एकत्रित किया । उन्होंने पुलिस कागजातों को साबित किया है । उदय प्रताप यादव (अभि. सा. 14), उप निरीक्षक ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की और तथा सुसंगत पुलिस के कागजात भी तैयार किए और शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा । उन्होंने मामले में प्रदर्शित पुलिस कागजातों को साबित किया है । कन्हैया प्रसाद (अभि. सा. 15) और कांस्टेबल मोहर्रिर (अभि. सा. 16) ने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और साधारण डायरी प्रविष्टियां (प्रदर्श क-17 और 18) आदि को साबित किया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अंतिम दलील यह दी कि अपीलार्थी का मामला दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 या भाग-2 के अंतर्गत आता है, इस बात में कोई गुणागुण नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाता है क्योंकि अपीलार्थी का मामला दंड संहिता की धारा 300 के किसी अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है । वर्तमान मामले में किए गए कई प्रहारों से स्वत: मृतक की हत्या करने का आशय प्रकट होता है और मृतक की हत्या को सुनिश्चित करने के लिए क्रूरता की रीति में कार्य किया गया । मामले के संपूर्ण पहलू पर विचार करते हुए प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के वृत्तांत जिसे चिकित्सा साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से संपुष्ट किया गया है मामला और परिस्थितियां जिसके अधीन वर्तमान अपराध किया गया है, इस न्यायालय ने कुछ भी ऐसा कारण नहीं पाया है कि आहत प्रत्यक्षदर्शी

साक्षी पर अविश्वास किया जाए । न्यायालय का यह मत है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने पूर्वोक्त रूप में अपीलार्थी को दोषसिद्ध/दंडादिष्ट करके न्यायसंगत कार्य किया है । इस अपील में कोई सार प्रकट नहीं होता है, इसलिए, इसे खारिज किया जाता है । (पैरा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	2015 (8) ए. सी. सी. 358 (एस. सी) : **गुल सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	13
[2012]	ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2955 : **के. वेंकटेशवरलू** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	13
[2012]	(2012) 8 एस. सी. सी. 263 : **दयाल सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	16
[2010]	ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3071 = (2010) 47 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 263 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्ण मास्टर और अन्य** ;	13
[2008]	2008 (4) स्केल 569 : **गोला येलुगु गोविंदु** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	13
[2008]	(2008) 12 एस. सी. सी. 565 : **निरवरूत्ती पांडुरंग कोकाटे और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	13
[2008]	(2008) 12 एस. सी. सी. 173 : **अशोक कुमार चौधरी** बनाम **बिहार राज्य** ।	16

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक अपील सं. 4831.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री प्रदीप कुमार, बी. एन. सिंह, कमलेश कुमार तिवारी, संदीप कुमार और उमेश वत्स

विरोधी पक्षकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – यह अपील 2003 के सेशन विचारण सं. 218 में अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) महाराजगंज द्‌वारा तारीख 31 अगस्त, 2004 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्‌वारा अभियुक्त-अपीलार्थी गोपाल को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और उसे आजीवन कारावास के साथ 50,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का कारावास भोगने का दंड दिया गया ; तथा दंड संहिता की धारा 323 के अधीन 6 मास का कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसके जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर दो मास का कठोर कारावास भोगने का दंड दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 324 के अधीन एक वर्ष का कारावास के साथ 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसके संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर छह मास का कारावास और अंत में दंड संहिता की धारा 326 के अधीन 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए का जुर्माना और 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया गया । सभी दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया था ।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 4) गंगा प्रसाद जो ग्राम पंचायत धानी का ग्राम प्रधान है, उसने पुलिस थाना वृजमानगंज जिला महाराजगंज में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह अभिकथन किया कि तारीख 6 अगस्त, 2003 को लगभग 5.00 बजे पूर्वाह्न गोपाल पुत्र नंद किशोर ने पैसों का विवाद होने के कारण अपने साले गोविंद पुत्र राम लखन पर नुकीले राड से हमला किया जिसके द्‌वारा गोविंद की आंखों पर गंभीर क्षतियां पहुंचीं । आहत के बच्चों के चीखने-चिल्लाने पर गोपाल ने उसकी भतीजी का पट्टू

उर्फ गिरिजा और भतीजे राघव पर उक्त नुकीले राड से हमला किया और वे दोनों गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे । उन तीनों को उसी दिन नाज़ुक हालात में जिला अस्पताल गोरखपुर ले जाया गया था और इस घटना को कई व्यक्तियों द्वारा देखा गया था और घटना के वाक् कलह को सुना गया था । आहत गोविंद के कुटुम्ब का कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए, उसने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी ।

3. उक्त लिखित रिपोर्ट पर तारीख 7 अगस्त, 2003 को लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न दंड संहिता की धारा 323, 324 और 326 के अधीन मामला अपराध सं. 315/2003 रजिस्ट्रीकृत किया गया था । उपचार के दौरान आहत आनंद कांद **उर्फ** गोविंद की तारीख 7 अगस्त, 2003 को लगभग 8.45 बजे पूर्वाह्न मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के बारे में सूचना पुलिस को दी गई है जिस पर तारीख 7 अगस्त, 2003 को 10.00 बजे पूर्वाह्न साधारण डायरी सं. 17 में पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श क-16 की प्रविष्टि की गई है और इसके पश्चात् तारीख 9 अगस्त, 2003 को 12.30 बजे पूर्वाह्न साधारण डायरी सं. 19 द्वारा दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध अर्थात् प्रदर्श क-17 में संपरिवर्तित किया गया था ।

4. आहत/मृतक की क्षति रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध है अर्थात् प्रदर्श क-2, क-3 और क-3/1 है । डाक्टर घनश्याम सिंह (अभि. सा. 11) ने आहत और मृतक आनंद कांद **उर्फ** गोविंद की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की और निम्नलिखित क्षतियां पाईं :--

"1. 3 इनसाइज्ड घाव जो 2 से.मी. × 22 से.मी. × मसलडीप दाहिनी आंख के बाहरी हिस्से में थी, दाहिनी आंख ब्लैक हो गई थी, खून जम कर काला हो गया था ।

2. कई फटे हुए घाव जो 1.00 से.मी. × 0.5 से.मी. × स्किनडीप टू मसल तक, जो 6 से.मी. × 3 से.मी. के क्षेत्रफल में बाईं आंख के ऊपर था, जिससे खून निकल रहा था व बाईं आंख खुल नहीं रही थी, जिसे आंख के डाक्टर को दिखाने की सलाह दी गई ।

3. एक फटा हुआ घाव, जो 2 से.मी. × 0.5 से.मी. × मसलडीप, जो दाहिनी कान के आगे था, खून निकल रहा था ।

4. एक पंचर्ड (घोपा) हुआ घाव जो 0.5 से.मी. × 0.2 से.मी. × मसलडीप, जो गर्दन के दाहिने तरफ था, खून निकल रहा था ।

5. एक फटा हुआ घाव जो 3 से.मी. × 0.5 से. मी. स्केलडीप, जो सिर के दाहिनी तरफ दाहिने कान के ऊपरी हिस्से से 5 से.मी. ऊपर था, खून निकल रहा था । मरीज बेहोश था और मुंह से बोलकर कोई जवाब नहीं दे रहा था । चोट नं. 1, 3, 4 धारदार नुकीली चीज से तथा चोट नं. 2, 5 किसी कुन्दाले से पहुंचाई गईं थीं । सभी चोटें ताजी थीं, चोटों की गंभीरता को देखते हुए सभी चोटें डाक्टर द्वारा निगरानी में रखी गईं ।

दिनांक 6.8.2003 को ही 9.20 बजे ए. एम. पर राघव का चिकित्सीय परीक्षण डाक्टर द्वारा किया गया, उसके शरीर पर परीक्षण के समय निम्न चोटें पाई गईं –

1. एक इनसाइज्ड घाव 2 से.मी. × 0.05 से.मी. × स्केलडीप, जो खोपड़ी के दाहिने तरफ था, खून बह रहा था, एक्सरे की सलाह दी गई ।

2. एक फटा हुआ घाव जो 2 से.मी. × .5 से.मी. × स्केलडीप, जो दाहिनी तरफ खोपड़ी के पिछले हिस्से में चोट नं. 1 से 10 से.मी. पीछे थी, खून बह रहा था, एक्सरे की सलाह दी गई ।

3. एक फटा हुआ घाव 1 से.मी. × 0.5 से. मी. × मसलडीप जो पीठ पर दाहिने तरफ था, खून बह रहा था ।

दाहिनी आंख ब्लैक थी । मरीज बेहोश था । डाक्टर की राय में चोट नं. 1 धारदार हथियार से आई थी, बाकी दोनों चोट किसी कुन्दाले से आई थीं, चोटों की गंभीरता को देखते हुए डाक्टर द्वारा उसे अपने निगरानी में रखी गई ।

दिनांक 6.8.2003 को दिन में 9.30 ए. एम. पर डाक्टर द्वारा गिरिजा पुत्री आनंद कांद की चोटों का डाक्टरी परीक्षण किया

गया । उसके शरीर पर निम्न चोटें पाई गईं –

1. इनसाइज्ड घाव 2 से.मी. × 5 से.मी. × स्केलडीप जो खोपड़ी के बाएं तरफ बाएं कान के ऊपरी हिस्से से 8 से.मी. ऊपर था ।

2. एक फटा हुआ घाव जो 3 से. मी. × 5 से.मी. × मांस की गहराई तक, जो खोपड़ी के बाएं तरफ, चोट नं. 1 से 5 से.मी. पीछे की तरफ था, खून बह रहा था ।

3. एक (घोपा) हुआ घाव, जो 0.5 से.मी. × 0.5 से. मी. × मसलडीप, जो गर्दन के बाईं तरफ थी, खून बह रहा था ।

चोट नं. 1 व 3 किसी धारदार हथियार से आई थी व चोट नं. 3 किसी कुन्दाले से आई थी । चोट साधारण थी व ताजी थी ।"

मृतक आनंद कांद **उर्फ** गोविंद की मृत्यु के पश्चात् मृत्युसमीक्षा प्रदर्श क-11 की गई थी और अन्य सुसंगत अभिलेख पुलिस प्रपात्रा 13 और (प्रदर्श क-12), निरीक्षक को पत्र प्रदर्श क-13, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र (प्रदर्श क-14), नक्शा-नाश (प्रदर्श क-15) को अन्वेषक अधिकारी वीरेन्द्र बहादुर सिंह (अभि. सा. 13) द्वारा तैयार किया गया था । कथारी रक्तरंजित ज्ञापन की बरामदगी और सादी मिट्टी (प्रदर्श क-8) अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार की गई थी, गोपाल के कहने पर राड/सरिया की बरामदगी की गई थी और बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-7) कासिद अली (अभि. सा. 8) और दीन दयाल (अभि. सा. 10) की मौजूदगी में तैयार की गई थी । अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-6) अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था । उन्होंने साक्षियों के कथन भी लेखबद्ध किए थे और गोपाल गुप्ता तथा नंद किशोर के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श क-9) प्रस्तुत किया गया था । मृतक के शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था । डाक्टर यू. सी. पाण्डेय (अभि. सा. 12) द्वारा शव-परीक्षा की गई थी जिन्होंने मृतक के शव पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं –

"1. सिला हुआ घाव जिसमें 4 टांके लगे थे ।

2. सिला हुआ घाव दो टांकों से, दाहिने कान से 4 से.मी. ऊपर ।

3. सिला हुआ घाव चार टांकों सहित, सिर के दाहिने तरफ कान से 5 से.मी. ऊपर एवं पीछे । खोलने पर अन्दर जमा हुआ खून पाया गया एवं दाहिने तरफ की पेरिटल बोन टूटी हुई थी ।

4. फटा हुआ घाव 4 से.मी. × 1.00 से.मी. × हड्डी तक गहरी, दाहिनी भौंह के ठीक बगल में ।

5. फटा हुआ घाव 3 से.मी. × 0.5 से.मी. नाक के बाएं तरफ के हिस्से पर ।

6. नीलगू निशान 4 से.मी. × 3 से.मी. दाहिने आंख के चारों तरफ । काटने पर अन्दर खून जमा हुआ था ।

7. नीलगू निशान 5 से.मी. × 3 से.मी. बाईं आंख के चारों तरफ पाया गया । काटने पर अन्दर खून जमा हुआ था ।

खोपड़ी खुलने पर मस्तिष्क की झिल्ली फटी थी । मस्तिष्क में हेमाटोमा था । डाक्टर के अनुसार मृत्यु सिर पर आई चोटों के कारण कोमा की वजह से हुई है ।"

5. अभियुक्त गोपाल गुप्ता को दंड संहिता की धारा 304, 324 और 326 तथा दूसरी ओर (विकल्पत:) धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया था जबकि अन्य अभियुक्त नंद किशोर को दंड संहिता की धारा 304/120-ख, 323/120-ख , 324/120-ख, 326/120-ख और दूसरी ओर 302/120-ख के अधीन आरोपित किया गया था । अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 16 साक्षियों की परीक्षा की जो श्रीमती गीता (अभि. सा. 1) और ऊषा (अभि. सा. 6) (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) ; राघव (अभि. सा. 2) और गिरिजा **उर्फ** पट्टू (अभि. सा. 3) के बारे में आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना कहा गया है । गंगा प्रसाद **उर्फ** मंगल प्रसाद अभि. सा. 4 (इत्तिलाकर्ता) ; जयन्त्रीमणि त्रिपाठी (अभि. सा. 5) और नागेन्द्रमणि त्रिपाठी (अभि. सा. 7) आपराधिक षड्यंत्र के साक्षी हैं जिस षड्यंत्र को नंद गोपाल द्वारा रचा गया था ; कासिद अली (अभि. सा. 8) और दीनदयाल (अभि. सा. 10)

बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श क-7 और प्रदर्श क-8 के साक्षी हैं ; कुशाल नंद (अभि. सा. 9) मृत्युसमीक्षा का साक्षी है ; डाक्टर घनश्याम सिंह (अभि. सा. 11) ने प्रदर्श क-2, क-3 और क-3/1 क्षति रिपोर्ट बनाई थी ; डाक्टर यू. सी. पाण्डेय (अभि. सा. 12) वीरेन्द्र बहादुर सिंह (अभि. सा. 13), एस. ओ. वृजमानगंज (अभि. सा. 13) और एस. ओ. उदय प्रताप यादव (अभि. सा. 14) मामले के अन्वेषक अधिकारी हैं जिनमें से अभि. सा. 13 ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया और अभि. सा. 14 ने मृत्युसमीक्षा की कार्यवाही की । कांस्टेबल मोहर्रिर कन्हैया प्रसाद (अभि. सा. 15) ने प्रदर्श क-16 को साबित किया है और मोहम्मद रफीक खान अभि. सा. 16 ने प्रदर्श क-17, 18, 19 और 20 को साबित किया है ।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अभियुक्त गोपाल के कथन में अभियोजन पक्ष के प्रख्यान/दृढ़ कथन से इनकार किया गया है । उसने यह कथन किया है कि उसे शत्रुतावश मिथ्या रूप से फंसाया गया है । उसने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का दावा किया है परन्तु उसके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया था ।

8. नंद किशोर को आपराधिक षड्यंत्र के विचारण न्यायाधीश द्वारा उक्त अपराध कारित किए जाने से दोषमुक्त किया गया था, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह सूचना दी कि राज्य द्वारा कोई राज्य अपील को अधिमानता नहीं दी गई ।

9. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री कमलेश कुमार तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री ए. एन. मुल्ला को सुना गया ।

10. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि शत्रुतावश उक्त अभियुक्त गोपाल गुप्ता को मिथ्या रूप से फंसाया गया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य आहत/मृतक के शरीर पर पहुंची हुई क्षतियों के संगत नहीं है, कथारी की बरामदगी अपने आप में दोषपूर्ण है, राड की बरामदगी होने पर उसे न्यायालयिक विश्लेषण के लिए कभी भी नहीं भेजा गया था । उन्होंने अनुकल्पत: यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपराध को दंड संहिता की धारा 304 के परे

अस्वीकार नहीं किया जाएगा ।

11. इसके प्रतिकूल, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने पुरजोर रूप से इस बात का विरोध किया और यह कथन किया कि अभियोजन वृत्तांत की आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अच्छी तरह से समर्थन किया गया है, इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा आगे इस बात का भी समर्थन किया गया है जो अभियुक्त-अपीलार्थी के अति नजदीकी नातेदार हैं जिससे अभियोजन पक्षकथन की सत्यता की प्रमाणिकता भी प्रकट हुई है और मौखिक साक्षी के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध को अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा विधिक रिपोर्ट द्वारा सम्यक् रूप से समर्थन नहीं दिया गया है, इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है ।

12. अभि. सा. 1 जो मृतक आनंद कांद **उर्फ** गोविंद की पत्नी है । वह अशिक्षित है । वह विकास नगर कालोनी में अपने पति के साथ प्रारंभ में निवास करती थी परंतु मृतक की वित्तीय स्थिति में गिरावट आ गई थी जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि वह अपने दोषमुक्त पिता और भाई अभियुक्त गोपाल के लिए उसके पैतृक मकान में कोई रसोइया नहीं था । इस पृष्ठभूमि के संबंध में पिता ने अभि. सा. 1 से यह अनुरोध किया था कि उसे कुटुंब के साथ उनके साथ रहना चाहिए जिससे दोनों को फायदा होगा । अभि. सा. 1 अपने कुटुंब के साथ अर्थात् पति और तीन बच्चे ने अपने पिता के साथ रहना प्रारंभ कर दिया था । अभि. सा. 1 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक द्वारा जो कुछ भी पैसा उसे दिया गया था । उसने अपने भाई अभियुक्त/गोपाल के साथ मकान में रहने पर उस पैसे का इस्तेमाल किया । घटना के तीन दिन पूर्व जब नाग पंचमी का त्यौहार था, मृतक-पति और उसके भाई अभियुक्त/गोपाल के बीच कुटुंब के खर्च के बारे में वाक् कलह हुई थी । उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को लगभग सुबह के 5.00 बजे अभि. सा. 1 और उसकी बहन ऊषा (अभि. सा. 6) शौच करने के पश्चात् वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अभियुक्त गोपाल ने उसके पति पर अत्यधिक नुकीले सरिया (लोहे की राड) से उनके सिर और आंखों पर हमला किया था ।

अभि. सा. 2 और 3 अर्थात् अभि. सा. 1 के बच्चों ने चीख-पुकार की थी जिन पर अभियुक्त गोपाल द्वारा सरिया से हमला किया गया था । वह अपनी प्रतिपरीक्षा में दृढ़ रही और उसकी प्रतिपरीक्षा में कोई खोट उत्पन्न नहीं हो सका । जब उससे घटना घटने का समय, स्थान और रीति के बारे में पूछा गया । वह पूर्ण रूप से विश्वसनीय है ।

13. अभि. सा. 2 राघव जो मृतक गोविंद अग्रहारी **उर्फ** आनंद कांद का अप्राप्तवय आहत पुत्र है, वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी है । न्यायालय ने अभिसाक्ष्य देने के लिए उसकी क्षमता को सुनिश्चित किया तब उसने यह कथन किया कि यह घटना सुबह 5.00 बजे पूर्वाह्न उसके नाना के निवासस्थान पर 7 मास पूर्व घटी थी । वह अपने पिता, माता, बहन और भाई जो ग्राम धानी में निवास करते थे, उनके साथ रहता था ; उसके पिता ड्राइवर थे ; घटना से पूर्व नाग पंचमी के दिन को दूध वाले ने अपने पैसा मांगना चाहा, उसके पिता और उसके मामा गोपाल के बीच गरमागरम बहस हुई ; उसके पिता ने गोपाल को फटकारा ; जिसने उसके पिता को यह धमकी दी कि "इसका मन बढ़ गया है इसे बाद में बताऊंगा नाना नंद किशोर ने भी कहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगा ।" इसके पश्चात् उसके मामा ने मृतक से मकान को खाली करने के लिए कहा, उसके पिता (मृतक) ने मकान खाली करने की तैयारी की । उसके नाना ने यह कहा कि यदि उसके दामाद ने मकान खाली कर दिया तो उसकी प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी । तारीख 6 अगस्त, 2003 को 4.45-5.00 बजे पूर्वाह्न उसके दादा ने उसकी मौसी ऊषा और उसकी माता, दुओ को जगाया और उसके पश्चात् वे लोग शौच करने के लिए चले गए थे, वे लेटे हुए थे परंतु जागे हुए थे । उसके पिता द्वारा चीख-पुकार की गई तब उसने देखा कि उसके मामा गोपाल ने नुकीले लोहे की छड़ से उसके पिता के सिर और चेहरे पर हमला कर रहा था । जब उन्होंने चीख-पुकार की तब उनकी बड़ी बहन गिरिजा **उर्फ** पट्टू ने भी चीख-पुकार की जिस पर उसके मामा ने उस पर और उसकी बहन गिरिजा **उर्फ** पट्टू पर हमला कर दिया । जब मृतक पर हमला किया जा रहा था तब उसकी माता और मौसी ऊषा देखने के लिए घटना के स्थान पर पहुंचे । इस साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्त गोपाल की शिनाख्त की और यह

कथन किया कि वह गोपाल गुप्ता है जिसने उस पर, उसके पिता और उसकी बहन पर नुकीले लोहे की छड़ से हमला किया था ।

> "न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया : "गवाह मजरूक जिसके सर के बाल बने हुए है ने न्यायालय में घटना में पहुंचाई गई अभियुक्तगण द्वारा चोट दिखलाई जो दाहिने कान के लगभग 3 सी. एम. पीछे लगभग 5 सी. एम. की परिधि में ही सर की हड्डी लगभग 1.5 से.मी से 2.0 से.मी. अन्दर की तरफ धंसी हुई है और कटे का भी निशान स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है । हमें नुकीली सरिया से सिर पर व पीठ पर चोट लगी थी । हमारी बहन गिरिजा **उर्फ** पट्टू की गले पर व सिर पर चोट लगी थी । जब हमारी मां व मौसी आ गई चिलाई तब गोपाल भाग गए । वहां हमें व हमारे पिता जी को बहन को गांव के लोग गोरखपुर सदर अस्पताल ले गए । उसके बाद कुछ देर दवा करने के बाद पिता जी को गंभीर चोट के कारण जिला चिकित्सालय के डाक्टर द्वारा मेडिकल कालेज गोरखपुर भेजा गया जहां उनकी मृत्यु हो गई । तथा लगभग तीन दिन तक जिला चिकित्सालय में मेरा व मेरी बहन पट्टू का दवा हुआ । गंभीर चोट व स्थिति गंभीर होने पर हमें व हमारी बहन को मेडिकल कालेज गोरखपुर में भेज दिया गया । जहां पर भर्ती रह कर हमारा व बहन गिरिजा का दवा इलाज ....।"

इस साक्षी ने यह कथन किया कि माता और बुआ के चीखने-चिल्लाने पर अभियुक्त गोपाल भाग गया । यद्यपि यह साक्षी एक बालक साक्षी है, परंतु उसने घटना और हमला किए जाने की रीति तथा संपूर्ण रूप से अभियुक्त की भागीदारी के बारे में स्पष्टीकरण दिया है । वह विश्वसनीय साक्षी है । इस प्रश्न पर विधि स्पष्ट है कि बालक साक्षी का परिसाक्ष्य को तब तक अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अविश्वसनीय और सिखाया-पढ़ाया न पाया जाता । **गुल सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाला मामला देखिए । बालक साक्षी साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन साक्ष्य देने के लिए सक्षम है । कोमल आयु का

---

[1] 2015 (88) ए. सी. सी. 358(एस. सी.).

बालक को साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है, यदि उसकी बौद्धिक परिपक्वता प्रश्न को समझने की है और उनका युक्तियुक्त देने में समर्थ हो । विचारण न्यायाधीश ने बालक साक्षी की सामर्थता की परीक्षा की और तथा उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी शपथ की बाध्यता को समझने की शक्ति की भी परीक्षा की गई । यदि बालक साक्षी के परिसाक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर यदि यह सही पाया जाता है तब उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती और उसके परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है (**के. वेंकटेशवरलु** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] और **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्ण मास्टर और अन्य**[2] वाले मामले देखिए) । बालक साक्षी के संबंध में विधि की स्थिति पर **निरवरूती पांडुरंग कोकाटे और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] तथा **गोला येलुगु गोविंदु** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[4] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया है । **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्ण मास्टर और अन्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि कोमल आयु का बालक जिसने अपने माता-पिता की वीभत्स हत्या को देखा था, अपने संपूर्ण जीवन में उक्त घटना को संभवत: भूल नहीं सकता है और उसने निश्चित रूप से अपनी इस मनो शक्ति में इन तथ्यों को संक्षेप में दोहराया है जब उससे घटना और उसके अभिलिखित साक्ष्य के लगभग 10 वर्ष का अंतराल होते हुए भी उससे उस घटना के बारे में पूछताछ की गई ।

14. अभि. सा. 3 गिरिजा **उर्फ** पट्टू जो घटना की आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी है । उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन भी किया है तथा उसने अपनी क्षतियां न्यायालय में भी दिखाई है । उसका सुसंगत भाग निम्न प्रकार है –

---

[1] ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2955.

[2] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3071 = (2010) 47 ओ. सी. आर. (एस. सी.) 263.

[3] (2008) 12 एस. सी. सी. 565.

[4] 2008 (4) स्केल 569.

"साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने सर को झुकाकर चोट को दिखाई तो चोट बाएं कान के 6 सी. एम. नीचे कान के नीचे सीधीई में बाएं कन्धे से ऊपर चोट का निशान व गले में बाएं तरफ चोट का निशान आज भी मौजूद है न्यायालय ने अवलोकन किया । मामा गोपाल को पापा के सर में व आंख के बगल में नुकीली सरिया से मारते देखा था । भाई राघव को सर पर पीछे की तरफ पीठ पर नुकीली सरिया से चोट लगी थी ।"

इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त गोपाल ने नुकीले लोहे की राड से उसके पिता की आंखों के नजदीक सिर पर हमला किया था । उसने अपने भाई की क्षतियों के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया है । इस साक्षी ने यह कहते हुए सरिया का वर्णन भी किया है कि 'सरिया' लोहे की राड के रूप में है जो दो और 2½ फीट की है जो सामान्यत: सांपों को मारने के लिए प्रयोग की जाती है और यह लोहे की राड कमरे में रखी हुई थी जहां अभियुक्त-गोपाल निवास करता था । उसने अपने पिता और अपने भाई पर अभियुक्त द्वारा हमला किए जाने की रीति के बारे में स्पष्टीकरण भी दिया है । इस साक्षी के परिसाक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर, हमारी यह राय है कि उसमें कोई विभेद या कोई विभेदकारी सामग्री नहीं है जिसे अभियोजन वृत्तांत में संदेह करके हटाया जा सकता है ।

15. अभि. सा. 6 ऊषा जो मृतक की साली है तथा अभियुक्त गोपाल की बहन है, मामले की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । उसने अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की भांति अपराध किए जाने के संपूर्ण तथ्य का वृत्तांत देते हुए अभियोजन साक्ष्य का समर्थन किया है । इस साक्षी के परिसाक्ष्य की बारीकी से संवीक्षा करने पर हमारी यह राय है कि वह विश्वसनीय साक्षी है ।

16. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील की वर्तमान मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नातेदार हैं और इस प्रकार वे हितबद्ध साक्षी हैं, इस बात में कोई सार नहीं है । विधि की यह प्रतिपादना नहीं है कि नातेदारों को अविश्वसनीय साक्षी के रूप में माना जाए । कारणों से यह भी दर्शित हुआ है कि जब आंशिक रूप से किए गए अभिवाक् से यह दर्शित होता

है कि साक्षी का वास्तविक अपराधी को बचाने का आशय था और अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया गया । निकटतम नातेदार को हितबद्ध साक्षी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता । वह नैसर्गिक साक्षी है । तथापि, उसके साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए । मृतक या पीड़ित के साथ निकट की नातेदारी उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं है । उसके प्रतिकूल सामान्यतया मृतक की निकट के नातेदार वास्तविक अपराधी को छोड़ देने के लिए अत्यधिक अनिच्छुक होता है और निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या रूप से आलिप्त किया जाता हो । किसी नातेदार के साक्ष्य पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने **अशोक कुमार चौधरी** बनाम **बिहार राज्य**[1] तथा **दयाल सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में उसी सिद्धांत को दोहराया है ।

17. वर्तमान मामले में अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 6 घटना के विश्वसनीय साक्षी हैं । उनके द्वारा अभियोजन वृत्तांत दिया गया है जो अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से संगत है, मानवीय दशाओं के नैसर्गिक प्रक्रम पर, चारों ओर की परिस्थितियां और मामले की अंतर्निहित अधिसंभाव्यताएं इस प्रकार हैं जिस पर दोषसिद्धि की जाएगी और यदि उनका साक्ष्य संदेह से परे है और न्यायालय उस बात को स्वीकार कर सकता है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के वृत्तांत को न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक का नातेदार या मित्र है जब वे अपीलार्थी/अभियुक्त के नजदीकी नातेदार भी हैं ।

18. गंगा प्रसाद (अभि. सा. 4) ग्राम प्रधान है जिन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट साबित की है । उसने यह कथन किया है कि उस स्थानीय क्षेत्र के निवासियों ने उसे घटना के बारे में सूचना दी थी जिस घटना में अभियुक्त गोपाल द्वारा नुकीले धारदार सरिया से मृतक को क्षति पहुंचाकर अपराध कारित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई । उसने यह भी कथन किया कि सरिया को अपराध

---

[1] (2008) 12 एस. सी. सी. 173.

[2] 2012 (8) एस. सी. सी. 263.

कारित किए जाने में उपयोग किया गया जिसे अभियुक्त गोपाल के बताने पर बरामद किया गया था ।

19. अभि. सा. 8 आयुध की बरामदगी का साक्षी है जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया, परंतु बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श क-8 में अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है । अभि. सा. 9 मृत्युसमीक्षा साक्षी है । उसने अभि. सा. 10 बरामदगी का भी साक्षी है और उसने उसे साबित किया है ।

20. डाक्टर घनश्याम (अभि. स. 11) ने मृतक और अन्य आहत व्यक्तियों अर्थात् अभि. सा. 2 और 3 की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की । उन्होंने क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श क-2 और 3) को भी साबित किया है । डाक्टर यू. सी. पांडेय (अभि. सा. 12) ने मृतक आनंदकांद के शव की शव-परीक्षा की है और शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) को साबित किया है ।

21. अभि. सा. 13 अन्वेषक अधिकारी है जिन्होंने अन्वेषण का कार्य किया, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए, घटना के स्थान पर गया, घटनास्थल का नक्शा तैयार किया, रक्तरंजित मिट्टी और सादी मिट्टी और रक्तरंजित कथारी को एकत्रित किया । उन्होंने पुलिस कागजातों को साबित किया है । उदय प्रताप यादव (अभि. सा. 14), उप निरीक्षक ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की और तथा सुसंगत पुलिस के कागजात भी तैयार किए और शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा । उन्होंने मामले में प्रदर्शित पुलिस कागजातों को साबित किया है । कन्हैया प्रसाद (अभि. सा. 15) और कांस्टेबल मोहर्रिर (अभि. सा. 16) ने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और साधारण डायरी प्रविष्टियां (प्रदर्श क-17 और 18) आदि को साबित किया है ।

22. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अंतिम दलील यह दी कि अपीलार्थी का मामला दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 या भाग-2 के अंतर्गत आता है, इस बात में कोई गुणागुण नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाता है क्योंकि अपीलार्थी का मामला दंड संहिता की धारा 300 के किसी अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है । वर्तमान मामले में किए गए कई प्रहारों से स्वत: मृतक की हत्या करने का आशय प्रकट होता है और मृतक की हत्या को सुनिश्चित करने के लिए क्रूरता की रीति में कार्य

किया गया ।

23. मामले के संपूर्ण पहलू पर विचार करते हुए प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के वृत्तांत जिसे चिकित्सा साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से संपुष्ट किया गया है मामला और परिस्थितियां जिसके अधीन वर्तमान अपराध किया गया है, इस न्यायालय ने कुछ भी ऐसा कारण नहीं पाया है कि आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पर अविश्वास किया जाए ।

24. हमारा यह मत है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने पूर्वोक्त रूप में अपीलार्थी को दोषसिद्ध/दंडादिष्ट करके न्यायसंगत कार्य किया है ।

25. इस अपील में कोई सार प्रकट नहीं होता है इसलिए इसे खारिज किया जाता है ।

26. अपीलार्थी-गोपाल गुप्ता पहले ही जेल में है । कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख तथा संबंधित न्यायालय के अनुपालन के लिए निर्णय की प्रति को प्रतिप्रेषित किया जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा विधि के अनुसरण में शेष दंड को भोगा जाए । विचारण न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि तत्काल इस न्यायालय को रिपोर्ट के अनुपालन करवाने के लिए संसूचित करें ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

आनंद कुमार उर्फ अनन्त कुमार पाण्डेय

बनाम

उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) राज्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 26)

तारीख 12 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(1) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – सबूत – अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को विवाह का मिथ्या वचन दिया जाना – कृत्य को भली-भांति समझने हेतु अभियोक्त्री का समुचित रूप से परिपक्व होना – संभोग के लिए अभियोक्त्री की सहमति – अभियोक्त्री की आयु संभोग के समय 22 वर्ष थी और उस कृत्य से संबंधित सभी परिणामों को समझने के लिए पूरी तरह समझदार थी जिसके लिए उसने अपनी सहमति दी थी, अतः ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री को सहमत पक्षकार माना जाएगा और इस आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है और वह दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

इस मामले में, शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री ने महिला हेल्पलाइन, देहरादून के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श ए.1) इस प्रकथन के साथ दर्ज कराई कि वह एजूकेशन एकेडमी, नेहरु कालोनी, देहरादून में सिविल सेवा के लिए कोचिंग कर रही थी । उसकी भेंट अभियुक्त-अपीलार्थी आनंद कुमार उर्फ अनन्त कुमार पाण्डेय से हुई जो लिंक एक्सप्रेस के ए. सी. पैसेन्जर कोच में अटेन्डेंट के पद पर कार्यरत था । कुछ समय बाद दोनों में प्यार हो गया । अभियुक्त-अपीलार्थी अभियोक्त्री के घर कृष्णा निवास जाया करता था, इसके पश्चात् दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए । यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने कई बार विवाह करने का बहाना लेकर अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, थोड़े समय पश्चात् उसने यह प्रकट किया कि वह

गर्भवती है, इसके पश्चात् उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को अपने गर्भवती होने के संबंध में बताया और उससे विवाह करने की विनती की किन्तु अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसे मात्र सांत्वना ही दी किन्तु अपना वचन पूरा नहीं किया । कुछ दिनों बाद अभियोक्त्री को पता चला कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने तारीख 2 मार्च, 2016 को अन्य किसी लड़की के साथ विवाह कर लिया है । उक्त रिपोर्ट के आधार पर मामला सं. 167/2016 दंड संहिता की धारा 376, 504 और 506 के अधीन दर्ज किया गया और पुलिस उप निरीक्षक प्रीति शर्मा (अभि. सा. 4) द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया, स्थलनक्शा (प्रदर्श ए. 6) तैयार किया, गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श ए. 7) भी बनाया । अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा तारीख 5 अक्तूबर, 2016 को की गई और उसका कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संबद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किया गया । साक्षियों के कथन अभिलिखित करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 376, 504 और 506 के अधीन आरोप पत्र (प्रदर्श ए.12) अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया । इस मामले को विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376, 504 और 506 के अधीन आरोप विरचित किए । अपीलार्थी ने उक्त आरोपों के प्रति दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । विचारण के दौरान अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषी पाया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – स्वीकृततः, अभियोक्त्री ने किसी भी प्रक्रम पर किसी भी व्यक्ति के समक्ष इस संबंध में शिकायत नहीं की है । वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपीलार्थी के समक्ष स्वेच्छया समर्पण किया है, संभवतः विवाह के वचन के आधार पर । अभियोक्त्री की आयु घटना के समय लगभग 22 वर्ष थी । दोनों पक्षों के बीच शारीरिक संबंध अभियोक्त्री की सम्मति से स्थापित हुए क्योंकि कहीं भी प्रतिरोध स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही अभियोक्त्री ने कहीं भी इस संबंध में कोई

शिकायत की है जब कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ कई दिन रही है और उसने उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा भी की है । अभियोक्त्री की आयु उस समय 22 वर्ष थी और समुचित रूप से बुद्धिमान थी और उस कृत्य से संबंधित सभी परिणामों को समझने के लिए पूरी तरह परिपक्व थी जिसके लिए उसने अपनी सम्मति दी थी । वह इस तथ्य से अवगत थी कि उसका विवाह अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ बहुत से कारणों से नहीं हो सकता है जिनमें से एक कारण यह भी था कि उन दोनों का संबंध अलग-अलग धर्मों से था । वर्तमान मामले के तथ्य उपरोक्त निर्णय के विनिश्चयाधार से बहुत मेल खाते हैं । इस न्यायालय का यह मत है कि दंड संहिता की धारा 375 का कोई भी संघटक अभियुक्त-अपीलार्थी के मामले को लागू नहीं होता है क्योंकि वर्तमान मामला अभियोक्त्री और अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच आपसी सम्मति का है और अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । (पैरा 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	(2016) 7 एस. सी. सी. 140 = ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 406 : **तिलकराज** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	19
[2013]	(2013)7 एस. सी. सी. 675 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2071 : **दीपक गुलाटी** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	16
[1993]	(1993)3 एस. सी. सी. सप्ली 745 = ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1892 : **वारके जोसेफ** बनाम **केरल राज्य** ।	20

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 26.

2017 के सेशन विचारण मामला सं. 10 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, देहरादून द्वारा तारीख 23 नवंबर, 2017 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एस. एस. यादव

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री संदीप टंडन (उप महाधिवक्ता) और ललित मिगलानी

न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह – यह अपील 2017 के सेशन विचारण मामला सं. 10 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, देहरादून द्वारा तारीख 23 नवंबर, 2017 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपए जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 (3) के अधीन 2,50,000/- रुपए की शास्ति भी अधिरोपित की गई ।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक होगा जिनके आधार पर वर्तमान दांडिक अपील फाइल की गई है । ये तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री ने महिला हेल्पलाइन, देहरादून के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श ए.1) इस प्रकथन के साथ दर्ज कराई कि वह एजूकेशन एकेडमी, नेहरु कालोनी, देहरादून में सिविल सेवा के लिए कोचिंग कर रही थी । उसकी भेंट अभियुक्त-अपीलार्थी आनंद कुमार **उर्फ** अनन्त कुमार पाण्डेय से हुई जो लिंक एक्सप्रेस के ए. सी. पैसेन्जर कोच में अटेन्डेंट के पद पर कार्यरत था । कुछ समय बाद दोनों में प्यार हो गया । अभियुक्त-अपीलार्थी अभियोक्त्री के घर कृष्णा निवास जाया करता था, इसके पश्चात् दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए । यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने कई बार विवाह का बहाना करके अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, थोड़े समय पश्चात् उसने यह प्रकट किया कि वह गर्भवती है, इसके पश्चात् उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को अपने गर्भवती होने के संबंध में बताया और उससे विवाह करने की विनती की किन्तु अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसे मात्र सांत्वना ही दी और अपना वचन पूरा नहीं किया । कुछ दिनों बाद अभियोक्त्री को पता चला कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने तारीख 2 मार्च,

2016 को अन्य किसी लड़की के साथ विवाह कर लिया है । उक्त रिपोर्ट के आधार पर मामला सं. 167/2016 दंड संहिता की धारा 376, 504 और 506 के अधीन दर्ज किया गया और पुलिस उपनिरीक्षक प्रीति शर्मा (अभि. सा. 4) द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया, स्थलनक्शा (प्रदर्श ए.6) तैयार किया, गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श ए.7) भी बनाया । अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा तारीख 5 अक्तूबर, 2016 को की गई और उसका कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संबद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किया गया । साक्षियों के कथन अभिलिखित करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 376, 504 और 506 के अधीन आरोप पत्र (प्रदर्श ए.12) अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया ।

3. इस मामले को विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376, 504 और 506 के अधीन आरोप विरचित किए । अपीलार्थी ने उक्त आरोपों के प्रति दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी का दोषसिद्ध करने के लिए पांच साक्षियों अर्थात् शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री (अभि. सा. 1), शबनम जहां (अभि. सा. 2), कांस्टेबल प्रदीप सिंह (अभि. सा. 3) पुलिस उपनिरीक्षक प्रीति सिंह (अभि. सा. 4) और डा. अरूणा डोभाल (अभि. सा. 5) की परीक्षा कराई । इसके पश्चात्, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया जिसमें उसने अपराध में फंसाने वाले सम्पूर्ण साक्ष्य का खंडन करते हुए उक्त अपराध में अन्तर्वलित होने से इनकार किया । यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी और अभियोक्त्री के बीच अपनी-अपनी सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे और अभियुक्त-अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री को उससे कभी भी विवाह करने का वचन नहीं दिया और यह अभिवाक् किया कि उसे अभियोक्त्री ने पैसा हड़पने के लिए इस अपराध में मिथ्या आलिप्त किया है । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में चार साक्षियों की परीक्षा कराई है ।

5. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष सफलतापूर्वक सिद्ध किया है और अभियुक्त को ऊपर उल्लिखित अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करते हुए तद्नुसार दंडादिष्ट किया है । तारीख 23 नवंबर, 2017 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष आवेदन किया है ।

6. अभियोक्त्री/अभि. सा. 1 का कथन तारीख 27 अक्तूबर, 2016 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ उसकी भेंट रेलगाड़ी में हुई थी और उन्होंने एक-दूसरे को अपने फोन नम्बर दिए । इसके पश्चात, अभियुक्त-अपीलार्थी आरागढ़ चौक पर स्थित अभियोक्त्री के घर जाया करता था । अभियोक्त्री ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि दिसंबर में वह और अभियुक्त-अपीलार्थी हरिद्वार के ब्रिज होटल में ठहरे थे जहां पर अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से शारीरिक संबंध बनाने को कहा किन्तु इस पर वह सहमत नहीं हुई क्योंकि उस समय उसकी तबियत ठीक नहीं थी किन्तु अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए । अभियोक्त्री ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने विवाह का बहाना करते हुए उसके साथ संबंध स्थापित किए थे । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 2 मार्च, 2016 को अभियुक्त-अपीलार्थी ने अन्य किसी लड़की के साथ विवाह कर लिया और उसे साढ़े पांच माह के पश्चात् पता चला कि वह गर्भवती है और इसके पश्चात् उसने अभियुक्त को इस संबंध में जानकारी दी जिस पर अभियुक्त-अपीलार्थी उससे क्रुद्ध हो गया और उसे दुष्परिणाम की धमकी दी ।

7. अभियोक्त्री की परीक्षा विचारण न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 1 के रूप में की गई । इस साक्षी ने अपने कथन में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथन की संपुष्टि की है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के

दौरान यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त और उसके बीच शारीरिक संबंध स्वेच्छा से स्थापित हुए थे । आरंभ में उनके संबंध सहमति के आधार पर बने थे; तथापि, अभियोक्त्री ने अपने पक्षकथन में सुधार करते हुए कहा कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसे विवाह का लालच देकर संबंध बनाए थे ।

8. अभियोक्त्री की बहिन अभि. सा. 2 ने अभि. सा. 1 के कथन का समर्थन किया है और यह बताया है कि जब उसे उसकी बहिन के गर्भवती होने के संबंध में जानकारी मिली थी तब अभियोक्त्री ने उसे बताया कि उसके गर्भवती होने का कारण अभियुक्त-अपीलार्थी है ।

9. कांस्टेबल प्रदीप सिंह (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श ए.3) तैयार की है ।

10. उप निरीक्षक प्रीति शर्मा (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् उसने अन्वेषण आरंभ किया, स्थलनक्शा तैयार किया और अभियुक्त-अपीलार्थी का गिरफ्तारी ज्ञापन बनाया । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 17 अक्तूबर, 2016 को उसने न्यायालय से अभियुक्त-अपीलार्थी तथा अभियोक्त्री के बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण कराने की अनुज्ञा प्राप्त की थी । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए जाने और अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा किए जाने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया ।

11. डा. अरुणा डबराल, चिकित्सा अधिकारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरकारी कम्बाइन्ड अस्पताल, देहरादून (अभि. सा. 5) ने अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा की है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि चिकित्सा परीक्षा किए जाने के समय अभियोक्त्री 32 सप्ताह से गर्भवती थी ।

12. अभियुक्त-अपीलार्थी आनंद कुमार **उर्फ** अनन्त कुमार पाण्डेय ने अपनी प्रतिरक्षा में स्वयं की परीक्षा प्रतिरक्षा साक्षी-1 के रूप में कराई है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह ए. सी. कोच में अटेन्डेन्ट के पद पर तैनात था । उसकी भेंट जुलाई, 2015 में लिंक एक्सप्रेस में अभियोक्त्री से हुई । टिकट निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह यादव अभियोक्त्री

को जानते थे और अभियोक्त्री बिना टिकट ए. सी. कोच में यात्रा करती थी और उन्होंने कभी भी अभियोक्त्री से टिकट नहीं मांगा । इस प्रतिरक्षा साक्षी (अभियुक्त-अपीलार्थी) ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि हम दोनों ने एकदूसरे को अपने मोबाइल नम्बर दिए थे ; और हम दोनों के बीच स्वेच्छा से शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि उसने कभी भी विवाह का लालच देकर अभियोक्त्री के साथ संबंध नहीं बनाए । उसने अभियोक्त्री को अपने विवाह के बारे में भी बताया था, विवाह के पश्चात् उनके बीच मैत्री संबंध थे । अगस्त, 2016 में उसे देहरादून के पार्षद से देहरादून समझौता करने के लिए एक कॉल प्राप्त हुई । उसे महिला पुलिस हेल्पलाइन से भी कॉल प्राप्त हुई कि अभियोक्त्री ने उनके समक्ष आवेदन किया है और उसे अक्तूबर में समझाने (काउंसेलिंग) के लिए वहां आकर उनसे मिलना है । अभियुक्त-अपीलार्थी समझाने (काउंसेलिंग) के लिए महिला हेल्पलाइन के कार्यालय में जाकर मिला जहां पर अभियोक्त्री, उसकी बहिन और पार्षद श्री अरुण खन्ना आदि मौजूद थे और उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी पर दबाव डाला कि वह 25-30 लाख रुपए का संदाय करते हुए अभियोक्त्री के साथ इस विवाद का निपटारा कर ले किन्तु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने समझौता नहीं किया, इसके पश्चात् वह मामला पुलिस थाना डालनवाला को सुपुर्द कर दिया गया और अभियुक्त-अपीलार्थी को जेल भेज दिया गया । दिसंबर में अभियोक्त्री अभियुक्त-अपीलार्थी से जेल में मिलने गई और उसने निपटारा करने के लिए 25 लाख रुपए की मांग की । अभियुक्त-अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में की गई अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने विवाह का बहाना करते हुए अभियोक्त्री के साथ कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए थे । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि यह कहना गलत है कि जब उसे अभियोक्त्री के गर्भवती होने के बारे में पता चला था, तब उसने उसे दुष्परिणामों की धमकी दी थी । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि वह बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है ।

13. अभियुक्त-अपीलार्थी की माता श्रीमती राधा रानी (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने अभियुक्त-अपीलार्थी के साक्ष्य का समर्थन किया है ।

14. अरुण खन्ना (प्रतिरक्षा साक्षी 3) और संजय सिंह (प्रतिरक्षा

साक्षी 4) औपचारिक साक्षी हैं ।

15. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल और राज्य की ओर से विद्वान् उप महाधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का परिशीलन किया है ।

16. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभियोक्त्री के कथन में गंभीर विरोधाभास और कमियां हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अभियोक्त्री ने अपनी सहमति से अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ संबंध बनाए हैं । अपीलार्थी की विद्वान् काउंसेल ने **दीपक गुलाटी** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले के पैरा 18, 19 और 20 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत का अवलंब लिया है जो निम्न प्रकार है :–

> "18. सहमति स्पष्ट या विवक्षित, बलपूर्वक या भ्रामक हो सकती है जिसे जानबूझकर या धोखे से प्राप्त किया जा सकता है । सहमति देना ऐसा कृत्य है जो सकारण, जानबूझकर, विवेक का प्रयोग करते हुए और उसके अच्छे तथा बुरे दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए किया जाता है । बलात्संग और सहमति के साथ किए गए संभोग में स्पष्ट अन्तर है और इस प्रकार के मामले में न्यायालय को बहुत सावधानी के साथ इस पर विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त पीड़िता के साथ वास्तव में विवाह करना चाहता था या उसके मन में दुर्भावना थी और उसने केवल अपनी वासना की तुष्टि के लिए मिथ्या वचन दिया था और यह कि यह कृत्य कपट या धोखे की परिधि में आता है या नहीं । मात्र एक वचन के भंग होने और मिथ्या वचन पूरा न करने के बीच बहुत अन्तर है । इस प्रकार न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या आरम्भ के प्रक्रम पर ही अभियुक्त द्वारा, विवाह करने का वचन दिया गया था ; और क्या शारीरिक संबंध बनाने के परिणामों को पूरी तरह समझने के बाद सहमति दी गई थी या नहीं । ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब अभियोक्त्री अभियुक्त के साथ, अत्यधिक

---

[1] (2013)7 एस. सी. सी. 675 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2071.

प्रेम और भावनाओं में बहकर संभोग कर लेती है और संभोग का मात्र एक यही कारण नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा कोई दुर्व्यपदेशन किया गया है या कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों के कारण भी अभियुक्त, अभियोक्त्री के साथ विवाह नहीं कर पाता है जिनका उसे कोई भी पूर्व आभास नहीं होता है या ऐसी परिस्थितियों का सामना अभियुक्त को करना पड़ जाता है जो उसके नियंत्रण में नहीं होती हैं जबकि अभियुक्त का आशय विवाह करने का ही होता है । ऐसे मामलों में अलग तरीके से विचार किया जाना चाहिए । किसी भी अभियुक्त को बलात्संग के लिए केवल तब दोषसिद्ध किया जा सकता है जब उसका आशय दुर्भावपूर्ण हो और आपराधिक हेतु हो ।

19. **दिलीप सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 20 में व्यक्त किया गया मत इस प्रकार है –

> 20. दंड संहिता की धारा 90 के प्रथम भाग में कारक आहत को ध्यान में रखते हुए वर्णित किए गए हैं । इस धारा के द्वितीय भाग में समवर्ती उपबंध अभियुक्त को ध्यान में रखते हुए, अधिनियमित किया गया है । इसके अधीन यह अनुध्यात किया गया है कि अभियुक्त को भी ज्ञान होता है या उसके पास विश्वास करने का यह कारण होता है कि पीड़िता द्वारा, क्षति के भय से या तथ्य के भ्रम के आधार पर सहमति दी गई है । इस प्रकार, इस धारा के द्वितीय भाग में उस व्यक्ति के ज्ञान या युक्तियुक्त विश्वास पर बल दिया गया है जिसने अनुचित सहमति प्राप्त की है । इस धारा के दोनों भागों की अपेक्षाओं का समाधान संचयी रूप से किया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या सहमति देने वाले व्यक्ति ने यह सहमति क्षति के भय से या तथ्य के भ्रम के आधार पर दी है या नहीं और न्यायालय का यह भी समाधान होना चाहिए कि इस अपराध को कारित करने वाला व्यक्ति अर्थात् अभिकथित अपराधी इस तथ्य से अवगत है

या नहीं या उसके पास इस बात का कारण होना चाहिए कि यदि क्षति का भय न होता या तथ्य का भ्रम न होता तो यह सहमति न दी जाती । धारा 90 का यही उद्देश्य है जिसका अर्थ समझने के लिए नकारात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है ।"

20. इस न्यायालय ने प्रदीप कुमार वाले मामले को विनिश्चित करते समय एन. जलादू [आई. एल. आर. (1913) 36 मद्रास 453] वाले मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का अवलंब लिया है –

"11. हमारा यह मत है कि 'तथ्य के भ्रम के अधीन' अभिव्यक्ति की परिधि पर्याप्त रूप से व्यापक है जिसमें ऐसे सभी मामले सम्मिलित हैं जिनमें दुर्व्यपदेशन द्वारा सहमति प्राप्त की जाती है, दुर्व्यपदेशन से ही उस तथ्य का भ्रम होता है जिसके संबंध में सहमति दी गई है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 का दृष्टांत (घ) के अधीन यह उपबंधित है कि कोई मनुष्य अमुक आशय रखता है, एक तथ्य है । इसलिए, वह तथ्य जिसके संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वितीय और तृतीय साक्षी ने साक्ष्य दिया है कि द्वितीय अभियुक्त ने दुर्व्यपदेशन किया था, एक ऐसा तथ्य है जिसका अर्थ यह है कि द्वितीय अभियुक्त का आशय लड़की के साथ विवाह करने का था ....। इस प्रकार, ... यदि उस व्यक्ति से कपट द्वारा सहमति प्राप्त करते हुए उसकी अभिरक्षा से लड़की प्राप्त की जाती है, तब इस प्रकार की गई प्राप्ति उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध समझी जाएगी" । .... यद्यपि संविदा के मामलों में सहमति दबाव या कपट द्वारा प्राप्त किए जाने पर वह संविदा केवल व्यथित पक्षकार द्वारा शून्यकरणीय होगी, दंड संहिता की धारा 90 का उद्देश्य यह है कि ऐसी सहमति का प्रयोग अपराध विधि के अधीन यह समझने के लिए किया जाता है कि अपराध कब गठित हो जाता है ।"

17. दंड संहिता, 1860 के अध्याय 16 में "यौन अपराध" को

परिभाषित किया गया है । दंड संहिता की धारा 375 में अन्तर्विष्ट उपबंधों का उल्लेख करना उचित होगा । ये उपबंध निम्न प्रकार हैं :-

"375. **बलात्संग** – यदि कोई पुरुष –

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कार्य किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,

तो उसके बारे में, यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है –

पहला – उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

दूसरा – उस स्त्री की सम्मति के बिना ।

तीसरा – उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ।

चौथा – उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास

करती है ।

पांचवा – उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है ; प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है ।

छठा – उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है ।

सातवां – जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है ।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए योनि के अन्तर्गत बृहत भगोष्ट भी है ।

स्पष्टीकरण 2 – सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है :

परन्तु ऐसी स्थिति के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाक्लाप के प्रति सम्मति प्रदान की है ।

अपवाद – 1. किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अन्तःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा ।

अपवाद – 2. किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य यदि पत्नि 15 वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है ।

18. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी भी संघटक का समाधान नहीं किया गया है । तथापि, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि आरम्भ में, यह हुआ था कि अपीलार्थी और

अभियोक्त्री को आपस में प्रेम हो गया था और उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए थे तत्पश्चात्, अभियोजन पक्ष ने यह पक्षकथन रखा कि अपीलार्थी ने विवाह का मिथ्या वचन देते हुए अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और इसके पश्चात् उसने अपना वचन पूरा न करते हुए अन्य किसी महिला के साथ विवाह कर लिया । अभियोक्त्री गर्भवती हो गई और साढ़े पांच महीने बाद जब उसे उक्त तथ्य का पता चला तो उसने अपीलार्थी से विवाह करने की विनती की किन्तु अपीलार्थी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे दुष्परिणाम की धमकी दी ।

19. **तिलकराज** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले के पैरा 20 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है :–

> "17. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण साक्ष्य, अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य और चिकित्सा व्यवसायी द्वारा तैयार किए गए चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि विवाह के बहाने संभोग किए जाने से संबंधित अभियोक्त्री की कहानी गढ़ी हुई प्रतीत होती है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । वास्तव में, अपीलार्थी का उक्त कृत्य सहमति के साथ किया गया प्रतीत होता है । विचारण न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है जो निम्न प्रकार है –
>
> > "23. यदि अभियोक्त्री द्वारा न्यायालय में बताई गई कहानी पर विश्वास किया जाए, तब यह अर्थ निकलता है कि अभियुक्त और अभियोक्त्री एक संबंध स्थापित हो गया था और अभियोक्त्री अच्छी तरह जानती थी कि अभियुक्त उसके साथ क्या कर रहा है । अभियोक्त्री के अनुसार उसने कभी अभियुक्त का प्रस्ताव नहीं ठुकराया । अभियोक्त्री ने अभियुक्त को अपने क्वार्टर पर आने की अनुमति दे रखी थी, साथ ही उसे रात में ठहरने के लिए भी अनुज्ञात किया हुआ था, वह अपने इस व्यवहार का परिणाम जानती थी । अभियोक्त्री की आयु जो कि इस समय लगभग 40 वर्ष है,

---

[1] (2016)4 एस. सी. सी. 140=ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 406

को दृष्टिगत करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह यह जानती थी कि रात में अपने शयनकक्ष में अपने किसी पुरुष मित्र को बुलाने का क्या परिणाम हो सकता है ।

24. ऊपर चर्चा की सभी परिस्थितियों तथा अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री की सहमति के बिना उसके साथ संभोग किया था । अभियुक्त का कृत्य सहमतिक प्रकृति का प्रतीत होता है ।

25. यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें अभियोक्त्री द्वारा इस आधार पर सहमति दी गई हो कि अभियुक्त ने उसके साथ विवाह करने का वचन दिया है । स्वयं अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि विवाह की सम्पूर्ण कहानी तारीख 5 जनवरी, 2010 के बाद सामने आई है जब अभियुक्त को तारीख 5 जनवरी, 2010 के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय से उसे बुलाने हेतु समन भेजा गया था । अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त अभियोक्त्री को किसी भी प्रकार से परेशान कर रहा था । अभियोक्त्री ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान इस संबंध में स्पष्ट किया है किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा से यह प्रतीत होता है कि निःसंदेह अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच एक संबंध बना हुआ था किन्तु विवाह के संबंध में दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा । संभोग के पश्चात् दोनों के बीच विवाह के संबंध में बातचीत हुई । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री द्वारा संभोग करने हेतु जो सहमति दी गई थी वह विवाह के भ्रम के अधीन थी ।"

20. **वारके जोसेफ** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतन न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष को

---

[1] (1993) 3 एस. सी. सी. सप्ली. 745 = ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1892.

अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि अभियोजन पक्षकथन साबित किया जा सकता है बल्कि साबित किया जाना चाहिए । जब तक अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन पूरी तरह साबित न कर दे, तब तक दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए । उक्त निर्णय का पैरा 12 निम्न प्रकार है :–

> "12. संदेह सबूत को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता । 'सत्य हो सकता है' और 'सत्य होना चाहिए' के बीच बड़ा अन्तर है और अभियोजन पक्ष को अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित करने के लिए कई प्रक्रम से गुजरना पड़ता है । हमने पहले ही यह विचार किया है कि अभियोजन पक्ष न केवल अपना यह पक्षकथन अपीलार्थी के विरुद्ध साबित करने में असफल रहा है अपितु मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने ही अपराध कारित किया है । हमने पहले ही अपील मंजूर कर दी है और अपीलार्थी को तारीख 12 अप्रैल, 1993 के आदेश द्वारा दोषमुक्त कर दिया है और अपीलार्थी को स्वतंत्र भी कर दिया है और हमें तनिक संदेह है कि उसका निष्पादन अब तक किया गया है या नहीं । अपील मंजूर की जाती है और अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया जाता है ।"

21. स्वीकृततः, अभियोक्त्री ने किसी भी प्रक्रम पर किसी भी व्यक्ति के समक्ष इस संबंध में शिकायत नहीं की है । वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपीलार्थी के समक्ष स्वेच्छया समर्पण किया है, संभवतः विवाह के वचन के आधार पर । अभियोक्त्री की आयु घटना के समय लगभग 22 वर्ष थी । दोनों पक्षों के बीच शारीरिक संबंध अभियोक्त्री की सम्मति से स्थापित हुए क्योंकि कहीं भी प्रतिरोध स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही अभियोक्त्री ने कहीं भी इस संबंध में कोई शिकायत की है जब कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ कई दिन रही है और उसने उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा भी की है । अभियोक्त्री की आयु उस समय 22 वर्ष थी और समुचित रूप से बुद्धिमान थी और उस कृत्य से संबंधित सभी परिणामों को समझने के लिए पूरी तरह परिपक्व थी जिसके लिए उसने अपनी सम्मति दी थी ।

वह इस तथ्य से अवगत थी कि उसका विवाह अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ बहुत से कारणों से नहीं हो सकता है जिनमें से एक कारण यह भी था कि उन दोनों का संबंध अलग-अलग धर्मों से था ।

22. वर्तमान मामले के तथ्य उपरोक्त निर्णय के विनिश्चयाधार से बहुत मेल खाते हैं । इस न्यायालय का यह मत है कि दंड संहिता की धारा 375 का कोई भी संघटक अभियुक्त-अपीलार्थी के मामले को लागू नहीं होता है क्योंकि वर्तमान मामला अभियोक्त्री और अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच आपसी सम्मति का है और अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है ।

23. पूर्वगामी चर्चा को दृष्टिगत करते हुए दोषसिद्धि का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है । इस प्रकार, अपील मंजूर की जाती है । द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, देहरादून द्वारा तारीख 23 नवंबर, 2017 को पारित निर्णय और आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त-अपीलार्थी आनंद कुमार **उर्फ** अनन्त कुमार पाण्डेय जेल में है । यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल छोड़ा जाए ।

24. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 की योजना के अनुसार आहत प्रतिकर पाने की हकदार उस स्थिति में है जब दोषसिद्ध व्यक्ति को दंडादिष्ट किया जाए किन्तु इस योजना से यह प्रतीत नहीं होता है कि इन संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चे को प्रतिकर का संदाय किया जाए । तथापि, ऐसे बच्चे को अपने जैविक पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार होगा ।

25. इस निर्णय की एक प्रति निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ इस आदेश के अनुपालन के लिए निचले न्यायालय को भेजी जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

कृष्णेन्दु दास ठाकुर

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

[2018 की दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. (सी. आर. आर.) 3566]

तारीख 28 जून, 2019

न्यायमूर्ति मधुमति मित्र

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 12, 25(2) और 2(क) [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125(1) स्पष्टीकरण (ख)] – भरणपोषण का आदेश – व्यथित व्यक्ति-पत्नी ने भरणपोषण और वैकल्पिक आवास के लिए किराए का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा अभिप्राप्त किया था, पति द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री अभिप्राप्त करने के परिणामस्वरूप पत्नी को भरणपोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता बल्कि पत्नी पुनर्विवाह करने और अपना भरणपोषण करने में असमर्थ रहने तक भरणपोषण और वैकल्पिक आवास के किराए का आदेश निष्पादित कराने की हकदार है ।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रकीर्ण मामला सं. 27836/2014 में याची को विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा विपक्षी पक्षकार को तारीख 5 अक्तूबर, 2015 से भरणपोषण के लिए 3,000/- रुपए प्रतिमास और अनुकल्पी निवास के किराए के लिए 800/- रुपए प्रतिमास देने का निदेश दिया गया । तत्पश्चात्, याची ने अपनी पत्नी से अपने विवाह के विघटन का विरोध करते हुए वैवाहिक वाद आरम्भ किया और तारीख 23 फरवरी, 2016 को विवाह-विच्छेद की एक तरफा डिक्री अभिप्राप्त की । विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात् याची ने प्रकीर्ण मामला सं. 27835/2014 के संबंध में भरणपोषण और अनुकल्पी निवास के किराए को मंजूर करने वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 5 अक्तूबर, 2015 के आदेश के परिवर्तन/उपांतरण या प्रतिसंहरण का अनुरोध करते हुए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

की धारा 25 के अधीन आवेदन इस आधार पर फाइल किया कि विपक्षी पक्षकार के साथ उसका विवाह तारीख 23 फरवरी, 2016 के विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित हो गया और वह विपक्षी पक्षकार को तारीख 5 अक्तूबर, 2015 के निबंधनानुसार कोई रकम देने का दायी नहीं है । याची की यह विनिर्दिष्ट दलील है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात् वह अब विपक्षी पक्षकार सं. 2 के साथ "घरेलू नातेदारी" में नहीं है । याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन प्रकीर्ण मामला संख्या 27836/2014 से उद्भूत हावड़ा के हावड़ा नगर पालिक न्यायालय के विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित 2016 के प्रकीर्ण निष्पादन मामला सं. 298 के रोक के अनुरोध के खारिजी आदेश और 2017 की दांडिक अपील सं. 82 में हावड़ा के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 10 अक्तूबर, 2018 के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित/अपास्त करने का अनुरोध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह आवेदन फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – निःसंदेह, यहां पक्षकार अर्थात् व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी विवाह द्वारा एक दूसरे से संबंधित थे । पति की यह दलील है कि वह अब पत्नी के साथ घरेलू नातेदारी में नहीं है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अन्तरिम आदेश को प्रतिसंहृत किए जाने की अपेक्षा है । अधिनियम की धारा 23 अन्तरिम आदेश की मंजूरी के बारे में है । अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) को ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में ऐसा अन्तरिम आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक और उचित समझे । व्यथित व्यक्ति और घरेलू नातेदारी दोनों परिभाषाओं में, हमारी विधायिका ने अपने प्रज्ञा से वर्तमान काल और वर्तमान पूर्व काल का प्रयोग किया है । अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने और अनुतोष पाने के लिए व्यथित व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि वह प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या उसके साथ घरेलू नातेदारी में रह रही है । पश्चात्वर्ती अधिनियम में समान संबंध में समान शब्दों का प्रयोग यह उपधारणा पैदा करता है कि

उनका प्रयोग उसी अर्थ में लिया जा रहा है जैसा पूर्व कानून में लिया गया है । तथापि, जब पूर्व कानून में प्रयुक्त उक्त शब्दों का निर्वचन कई अवसरों पर उच्चतर न्यायालयों द्वारा किया गया है तो पश्चात्वर्ती कानून में समान संदर्भ में समान शब्दों का प्रयोग ऐसी उपधारणा के पक्ष में जाता है कि संसद् यह चाहती है कि बाद वाले अधिनियमिति में उन्हीं शब्दों के अर्थान्वयन के लिए वैसा ही निर्वचन किया जाए । स्वीकार्यतः, विपक्षी पक्षकार सं. 2 याची अर्थात् पति और पत्नी के साथ घरेलू नातेदारी में थी । विपक्षी पक्षकार सं. 2 ने भरणपोषण और आवास के बदले किराए का आदेश प्राप्त किया जब वह याची के साथ घरेलू नातेदारी में थी और वह 2005 अधिनियम के अर्थान्तर्गत व्यथित पक्षकार थी । "परिस्थितियों में परिवर्तन" और "वैवाहिक प्रास्थिति के परिवर्तन" बिल्कुल भिन्न हैं । विवाह-विच्छेदित पत्नी को भरणपोषण भत्ता का दावा करने और प्राप्त करने का अधिकार है । उसका उक्त अधिकार उसके पुनर्विवाह तक बना रहता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अपने पति द्वारा विवाह-विच्छेदित महिला अपने पूर्व पति से भरणपोषण के भत्ते का दावा करने के प्रयोजन के लिए पत्नी की प्रास्थिति का तब तक उपभोग करती रहती है यदि वह अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है । वैवाहिक वाद सं. 103/2015 (पूर्व सं. 345/2015) वाले मामले में पारित निर्णय की प्रति से यह प्रतीत होता है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री हिन्दू विवाह अधिनियम के उपबंध के अधीन मंजूर की गई थी । अब विपक्षी पक्षकार सं. 2 की प्रास्थिति हिन्दू पूर्व पति की विवाह-विच्छेद पत्नी की है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (ख) में यथा अन्तर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, हिन्दू विवाह-विच्छेदित पत्नी अपने पूर्व पति से भरणपोषण पाने की हकदार है । यह सही है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (ख) जैसा कोई उपबंध नहीं है । विपक्षी पक्षकार सं. 2 और याची (प्रत्यर्थी) के बीच घरेलू संबंध बहुत जीवंत था जब विपक्षी पक्षकार सं. 2 ने घरेलू हिंसा की शिकायत की । भरणपोषण और वैकल्पिक आवास के किराए

का आदेश, जो विपक्षी पक्षकार सं. 2 के पक्ष में पारित किया गया था, तब तक जारी रहेगा जब तक 2005 अधिनियम की धारा 25(2) में यथावर्णित परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता । विवाह-विच्छेद की डिक्री 2005 अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके पक्ष में मंजूर अनुतोष से पत्नी को वंचित नहीं करती । विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात्, विपक्षी पक्षकार सं. 2 'विवाह-विच्छेदित पत्नी' हो गई । इसके अतिरिक्त, हमारी विधि विवाह-विच्छेदित पत्नी को उसके पुनर्विवाह तक भरणपोषण पाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है । 2005 का यह अधिनियम व्यथित व्यक्ति को अतिरिक्त अधिकार और उपचार प्रदान करता है । यदि याची की दलील को स्वीकार किया जाए तो पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण पाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने के लिए मजबूर होगी । आवश्यकता इस बात की है कि अधिनियम में यथापरिभाषित घरेलू नातेदारी की विद्यमानता 2005 अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने और अनुतोष पाने के लिए आवश्यक है । घरेलू नातेदारी की विद्यमानता 2005 अधिनियम की धारा 12 के अधीन मंजूर आदेश को निष्पादित करने के लिए आवश्यक नहीं है और ऐसी विवाह-विच्छेदित पत्नी, जिसे विवाह-विच्छेद की डिक्री के पूर्व 2005 अधिनियम के अधीन भरणपोषण और अन्य अनुतोष का आदेश प्राप्त हुआ है, इसे निष्पादित कराने की हकदार है यदि वह अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है और अन्य कारणों से । (पैरा 8, 15, 19, 21, 22, 23 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	2016 क्रिमिनल ला जर्नल 330 (एस. सी.) : **कृष्णा भट्टाचार्जी** बनाम **सारथी चौधरी और एक अन्य ;**	11
[2012]	2012 क्रिमिनल ला जर्नल 3462 (ए. पी.) : **ए. अशोक वरधान रेड्डी और अन्य** बनाम **श्रीमती पी. सविता और अन्य** ।	13

आरम्भिक (दांडिक) अधिकारिता : 2018 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. (सी. आर. आर.) 3566.

याची की ओर से सर्वश्री शिवा प्रसाद घोष, चन्द्र भानू सिन्हा और रोहित कुमार शाह

विपक्षी पक्षकार की ओर से सर्वश्री आनन्द केसरी, शेखर मुखर्जी

न्यायमूर्ति मधुमति मित्र – याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन प्रकीर्ण मामला संख्या 27836/2014 से उद्भूत हावड़ा के हावड़ा नगर पालिक न्यायालय के विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित 2016 के प्रकीर्ण निष्पादन मामला सं. 298 के रोक के अनुरोध के खारिजी आदेश और 2017 की दांडिक अपील सं. 82 में हावड़ा के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 10 अक्तूबर, 2018 के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित/अपास्त करने का अनुरोध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह आवेदन फाइल की है ।

2. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रकीर्ण मामला सं. 27836/2014 में याची को विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा विपक्षी पक्षकार को तारीख 5 अक्तूबर, 2015 से भरणपोषण के लिए 3,000/- रुपए प्रतिमास और अनुकल्पी निवास के किराए के लिए 800/- रुपए प्रतिमास देने का निदेश दिया गया । तत्पश्चात्, याची ने अपनी पत्नी से अपने विवाह के विघटन का विरोध करते हुए वैवाहिक वाद आरम्भ किया और तारीख 23 फरवरी, 2016 को विवाह-विच्छेद की एक तरफा डिक्री अभिप्राप्त की । विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात् याची ने प्रकीर्ण मामला सं. 27835/2014 के संबंध में भरणपोषण और अनुकल्पी निवास के किराए को मंजूर करने वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 5 अक्तूबर, 2015 के आदेश के परिवर्तन/उपांतरण या प्रतिसंहरण का अनुरोध करते हुए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन आवेदन इस आधार पर फाइल किया कि विपक्षी पक्षकार के साथ उसका विवाह तारीख 23 फरवरी,

2016 के विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित हो गया और वह विपक्षी पक्षकार को तारीख 5 अक्तूबर, 2015 के निबंधनानुसार कोई रकम देने का दायी नहीं है । याची की यह विनिर्दिष्ट दलील है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात् वह अब विपक्षी पक्षकार सं. 2 के साथ "घरेलू नातेदारी" में नहीं है ।

3. पक्षकारों की ओर से उपस्थित सभी विद्वान् काउंसेलों ने अनेक विनिश्चयों की सहायता से अपने तर्क दिए । मामले में गहराई से विचार करने के पूर्व, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं और उपबंधों पर विचार करना बेहतर होगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 25 इस प्रकार है :-

> "**आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन** – (1) धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश व्यथित व्यक्ति द्वारा निर्मोचन के लिए आवेदन किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा ।
>
> (2) यदि मजिस्ट्रेट का, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण अपेक्षित है तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश, जो वह समुचित समझे, पारित कर सकेगा ।"

धारा 25 के दो भाग हैं । अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) अधिनियम की धारा 18 के अधीन किए गए संरक्षण आदेश के बारे में हैं । दूसरा भाग जो धारा 25 की उपधारा (2) है, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण के बारे में है । जहां तक धारा 25 की उपधारा (1) का संबंध है केवल व्यथित व्यक्ति अधिनियम की धारा 18 के अधीन किए गए संरक्षण आदेश के निर्वहन के लिए आवेदन कर सकेगा ।

4. दूसरी ओर, धारा 25 की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल कर

मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा । यदि व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण का अनुरोध करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि ऐसा कोई आवेदन फाइल किया जाता है तो मजिस्ट्रेट जो वह उचित समझे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आदेश पारित कर सकेगा । धारा 25 की उपधारा (2) में व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी दोनों को इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है । धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन अवलंब का लाभ केवल व्यथित व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है न कि प्रत्यर्थी द्वारा जबकि धारा 25 की उपधारा (2) अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण के बारे में है और व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी दोनों द्वारा अवलंब लिया जा सकता है । धारा 25 की उपधारा (2) के लागू होने की व्याप्ति धारा 25 की उपधारा (1) से अधिक व्यापक है ।

धारा 2(क) "व्यथित व्यक्ति" को इस प्रकार परिभाषित करती है :-

"2(क) "व्यथित व्यक्ति" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है ।"

5. धारा 2(थ) "प्रत्यर्थी" को इस प्रकार परिभाषित करती है :-

"2(थ) "प्रत्यर्थी" से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी ।"

6. धारा 25 की उपधारा (2) यथाअन्तर्विष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिनियम के अधीन

पारित आदेश शाश्वत प्रकृति का नहीं है और इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश को परिवर्तित, उपांतरित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है, यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हो और उस प्रयोजन के लिए व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है । यदि ऐसा अनुरोध किया जाता है तो मजिस्ट्रेट लेखबद्ध रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह समुचित समझे ।

7. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्‌वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, पति और पत्नी के बीच घरेलू नातेदारी बनी रहेगी । इस संबंध में, अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन यथावर्णित घरेलू नातेदारी की परिभाषा को यहां उद्धृत किया जा रहा है :-

> "2(च) 'घरेलू नातेदारी' से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्‌वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्‌वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं ।"

8. निःसंदेह, यहां पक्षकार अर्थात् व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी विवाह द्‌वारा एक दूसरे से संबंधित थे । पति की यह दलील है कि वह अब पत्नी के साथ घरेलू नातेदारी में नहीं है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्‌वारा पारित अन्तरिम आदेश को प्रतिसंहृत किए जाने की अपेक्षा है । अधिनियम की धारा 23 अन्तरिम आदेश की मंजूरी के बारे में है । अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) को ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में ऐसा अन्तरिम आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक और उचित समझे ।

9. अधिनियम की धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्‌वारा पारित कोई आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक यह या तो अधिनियम की

धारा 25 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा या व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी द्वारा की गई अपील के संबंध में अधिनियम की धारा 29 के अधीन अपील न्यायालय द्वारा परिवर्तित, उपांतरित या प्रतिसंहृत नहीं किया जाता ।

10. इस मामले में, अधिनियम की धारा 25 के अधीन अन्तरिम आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण के अनुरोध को विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा नामंजूर किया गया और तत्पश्चात् खारिजी के उक्त आदेश की पुष्टि अपील में की गई । इसका यह अर्थ है कि विद्वान् निचले न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती दो विनिश्चय वर्तमान याची के विरुद्ध हैं ।

11. सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्षकार की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी कि **कृष्णा भट्टाचार्जी** बनाम **सारथी चौधरी और एक अन्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए पत्नी मात्र इस कारण व्यथित व्यक्ति नहीं रह जाती कि पति ने सिविल न्यायालय से विवाह-विच्छेद की डिक्री अभिप्राप्त कर ली है । मैंने, विपक्षी पक्षकार की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल द्वारा यथानिर्दिष्ट विनिश्चय का परिशीलन किया । उक्त विनिश्चय के पैरा 18 और 22 से यह प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या पत्नी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के कारण व्यथित व्यक्ति नहीं रह जाती । उक्त निर्णय के विशेषकर पैरा 22 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह-विच्छेद की डिक्री और न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के बीच अन्तर किया ।

12. उक्त निर्णय के पैरा 22 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त किया :-

> "22. पूर्वोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री और न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के बीच अन्तर है; पूर्व में, हैसियत का संबंध विच्छेद है और पक्षकार पति और पत्नी के रूप में नहीं बने रहते, जबकि बाद वाले

[1] 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 330 (एस. सी.).

में पति और पत्नी के बीच संबंध जारी रहता है और विधिक संबंध बना रहता है मानो यह टूटा ही न हो । इस प्रकार, निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष, जिसकी सहमति उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, की पक्षकार न्यायिक रूप से पृथक् होने के कारण, अपीलार्थी पत्नी "व्यथित व्यक्ति" नहीं रह जाती, पूर्णतः कायम किए जाने योग्य नहीं है ।"

कृष्णा भट्टाचार्जी बनाम **सारथी चौधरी और एक अन्य** (उपरोक्त) के उक्त विनिश्चय में पत्नी ने अधिनियम के अधीन अनुतोष के लिए आवेदन किया । 2005 के अधिनियम की धारा 12 के अधीन उक्त अनुतोष से इस आधार पर इनकार किया गया कि पत्नी न्यायिक पृथक्करण के कारण "व्यथित व्यक्ति" नहीं रह गई । वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति विपक्षी पक्षकार द्वारा यथानिर्दिष्ट विनिश्चय के तथ्यों से विभेदनीय है । इस मामले में, विपक्षी पक्षकार को पहले ही भरणपोषण और अनुकल्पी आवास का किराया पहले ही दिया गया था और पति ने विवाह-विच्छेद के आधार पर उस आदेश के प्रतिसंहरण का अनुरोध किया ।

13. विपक्षी पक्षकार के विद्वान् काउंसेल ने **ए. अशोक वरधान रेड्डी और अन्य** बनाम **श्रीमती पी. सविता और अन्य**[1] वाले एक अन्य विनिश्चय को निर्दिष्ट किया और यह दलील दी कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन आवेदन के संबंध में अधिनियम की धारा 23 के अधीन पारित अन्तरिम आदेश को इस आधार पर विवाह-विच्छेद की किसी पश्चात्वर्ती डिक्री द्वारा परिवर्तित, उपांतरित या प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकता कि अधिनियम की धारा 23 के अधीन अन्तरिम आदेश पारित करने के समय पक्षकार पति और पत्नी के विधिक संबंध में थे ।

14. याची की यह विनिर्दिष्ट दलील है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात्, विपक्षी पक्षकार-पत्नी 2005 के अधिनियम की धारा 2(क) के उपबंधों में यथापरिकल्पित व्यथित व्यक्ति नहीं रह गई । यद्यपि

---

[1] 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 3462 (ए. पी.).

विपक्षी पक्षकार पत्नी याची के साथ घरेलू संबंध में थी किन्तु वह संबंध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा वैधता समाप्त हो गया । विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात् विपक्षी पक्षकार सं. 2 को ऐसी स्थिति होना नहीं कहा जा सकता जो प्रत्यर्थी/याची के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है । अब विपक्षी पक्षकार सं. 2 की हैसियत विवाह-विच्छेदित पत्नी के रूप में है क्योंकि विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त हो गया है । विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात् विपक्षी पक्षकार को व्यथित व्यक्ति या वर्तमान याची के साथ घरेलू नातेदारी में होना नहीं माना जा सकता ।

15. व्यथित व्यक्ति और घरेलू नातेदारी दोनों परिभाषाओं में, हमारी विधायिका ने अपने प्रज्ञा से वर्तमान काल और वर्तमान पूर्व काल का प्रयोग किया है । अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने और अनुतोष पाने के लिए व्यथित व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि वह प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या उसके साथ घरेलू नातेदारी में रह रही है ।

16. अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) मजिस्ट्रेट को अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश को उपांतरित, परिवर्तित और प्रतिसंहृत करने की शक्ति प्रदान करती है जब परिस्थितियों में परिवर्तन हो ।

विवाद्यक प्रश्न इस प्रकार हैं, जिनपर विचार किए जाने की अपेक्षा है :-

(1) क्या विपक्षी पक्षकार 2005 के अधिनियम के उपबंध के अधीन उसके पक्ष में पहले ही मंजूर भरणपोषण के आदेश को निष्पादित करने के लिए घरेलू नातेदारी में बने रहने की अपेक्षा है;

(2) क्या विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विपक्षी पक्षकार सं. 2 की वैवाहिक हैसियत के परिवर्तन को अधिनियम की धारा 25(2) में यथावर्णित परिस्थितियों में परिवर्तन होना माना जा सकता है ।

17. दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ।

2005 अधिनियम की धारा 25(2) "परिस्थितियों में परिवर्तन" के बारे में है । परिस्थितियों का अभिप्राय घटना या कार्रवाई से जुड़ी या सुसंगत तथ्य या परिस्थिति से है । "परिस्थितियों में परिवर्तन" पद को 2005 अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है ।

18. परिस्थितियों में परिवर्तन शब्द का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 489 अब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 में "परिस्थितियों में परिवर्तन" पद रहने की लागत, पक्षकारों की आय, आदि को व्यापक रूप से समाविष्ट करता है । दंड प्रक्रिया संहिता और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 दोनों में परिस्थितियों में परिवर्तन शब्द का प्रयोग भरणपोषण के आदेश के परिवर्तन के संबंध में किया गया है ।

19. पश्चात्वर्ती अधिनियम में समान संबंध में समान शब्दों का प्रयोग यह उपधारणा पैदा करता है कि उनका प्रयोग उसी अर्थ में लिया जा रहा है जैसा पूर्व कानून में लिया गया है । तथापि, जब पूर्व कानून में प्रयुक्त उक्त शब्दों का निर्वचन कई अवसरों पर उच्चतर न्यायालयों द्वारा किया गया है तो पश्चात्वर्ती कानून में समान संदर्भ में समान शब्दों का प्रयोग ऐसी उपधारणा के पक्ष में जाता है कि संसद् यह चाहती है कि बाद वाले अधिनियमिति में उन्हीं शब्दों के अर्थान्वयन के लिए वैसा ही निर्वचन किया जाए ।

20. "पत्नी" पद को 2005 अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (ख) में यह उल्लेख है कि पत्नी के अन्तर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है ।

21. स्वीकार्यतः, विपक्षी पक्षकार सं. 2 याची अर्थात् पति और पत्नी के साथ घरेलू नातेदारी में थी । विपक्षी पक्षकार सं. 2 ने भरणपोषण और आवास के बदले किराए का आदेश प्राप्त किया जब वह याची के साथ घरेलू नातेदारी में थी और वह 2005 अधिनियम के अर्थान्तर्गत व्यथित पक्षकार थी । "परिस्थितियों में परिवर्तन" और

"वैवाहिक प्रास्थिति के परिवर्तन" बिल्कुल भिन्न हैं । विवाह-विच्छेदित पत्नी को भरणपोषण भत्ता का दावा करने और प्राप्त करने का अधिकार है । उसका उक्त अधिकार उसके पुनर्विवाह तक बना रहता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अपने पति द्वारा विवाह-विच्छेदित महिला अपने पूर्व पति से भरणपोषण के भत्ते का दावा करने के प्रयोजन के लिए पत्नी की प्रास्थिति का तब तक उपभोग करती रहती है यदि वह अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है ।

22. वैवाहिक वाद सं. 103/2015 (पूर्व सं. 345/2015) वाले मामले में पारित निर्णय की प्रति से यह प्रतीत होता है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री हिन्दू विवाह अधिनियम के उपबंध के अधीन मंजूर की गई थी । अब विपक्षी पक्षकार सं. 2 की प्रास्थिति हिन्दू पूर्व पति की विवाह-विच्छेद पत्नी की है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (ख) में यथा अन्तर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, हिन्दू विवाह-विच्छेदित पत्नी अपने पूर्व पति से भरणपोषण पाने की हकदार है । यह सही है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (ख) जैसा कोई उपबंध नहीं है ।

23. विपक्षी पक्षकार सं. 2 और याची (प्रत्यर्थी) के बीच घरेलू संबंध बहुत जीवंत था जब विपक्षी पक्षकार सं. 2 ने घरेलू हिंसा की शिकायत की । भरणपोषण और वैकल्पिक आवास के किराए का आदेश, जो विपक्षी पक्षकार सं. 2 के पक्ष में पारित किया गया था, तब तक जारी रहेगा जब तक 2005 अधिनियम की धारा 25(2) में यथावर्णित परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता । विवाह-विच्छेद की डिक्री 2005 अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके पक्ष में मंजूर अनुतोष से पत्नी को वंचित नहीं करती । विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात्, विपक्षी पक्षकार सं. 2 'विवाह-विच्छेदित पत्नी' हो गई ।

24. इसके अतिरिक्त, हमारी विधि विवाह-विच्छेदित पत्नी को उसके पुनर्विवाह तक भरणपोषण पाने के अधिकार को मान्यता प्रदान

करती है । 2005 का यह अधिनियम व्यथित व्यक्ति को अतिरिक्त अधिकार और उपचार प्रदान करता है । यदि याची की दलील को स्वीकार किया जाए तो पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण पाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने के लिए मजबूर होगी । आवश्यकता इस बात की है कि अधिनियम में यथापरिभाषित घरेलू नातेदारी की विद्यमानता 2005 अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने और अनुतोष पाने के लिए आवश्यक है । घरेलू नातेदारी की विद्यमानता 2005 अधिनियम की धारा 12 के अधीन मंजूर आदेश को निष्पादित करने के लिए आवश्यक नहीं है और ऐसी विवाह-विच्छेदित पत्नी, जिसे विवाह-विच्छेद की डिक्री के पूर्व 2005 अधिनियम के अधीन भरणपोषण और अन्य अनुतोष का आदेश प्राप्त हुआ है, इसे निष्पादित कराने की हकदार है यदि वह अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है और अन्य कारणों से ।

25. उपरोक्त कारणों से, मैं याची द्वारा फाइल आवेदन में कोई सार और बल नहीं पाता हूं ।

परिणामतः, आवेदन खारिज किया जाता है ।

2019 की दांडिक आवेदन सं. 1348 वाले मामले में

2018 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 3566 वाले मामले में पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए आवेदन निरर्थक हो गया और खारिज हो गया ।

इस निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति तत्काल पक्षकारों को सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जाए, यदि आवेदन किया जाए ।

याचिका खारिज की जाती है ।

पा.

अब्दुल रहीमुद्दीन उर्फ अब्दुल रहीम

बनाम

असम राज्य और एक अन्य

(2015 की दांडिक अपील सं. 157)

तारीख 15 मार्च, 2019

न्यायमूर्ति सांगखुपचुंग सेरटो और न्यायमूर्ति मीर अल्फाज अली

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 149 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – विधिविरुद्ध जमाव और हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा खंजर, दाउ, लाठी आदि से पीड़ित पर हमला किया जाना जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाना – यदि अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा समूह में एकत्र होकर आयुधों से पीड़ित पर हमला किया है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य एक-दूसरे से संगत हैं तथा यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित की हत्या करने के स्पष्ट उद्देश्य से अभियुक्त ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया है तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के बारे में मात्र यह कहना कि वे पीड़ित के नातेदार हैं उस कारण से उनके विश्वसनीय साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में 30 अभियुक्त-व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया है तथा मामले में अभियुक्त-व्यक्तियों की दोषसिद्धि की गई है तो उनको दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और 149 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – यद्यपि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना के बारे में विस्तृत अभिसाक्ष्य दिया है, उन साक्षियों में से किसी ने भी सह-अभियुक्तों को हमलावार नहीं बताया है – सह-अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर अपराध में फंसाने वाला कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है – सह-अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं हैं और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के बारे में स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया गया है । केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में सह-अभियुक्त के नामों का उल्लेख किया

जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं है तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को लिखने वाले ने न्यायालय में सह-अभियुक्तों को आलिप्त नहीं किया है, इसलिए सह-अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 149 और 300] – मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य – असंगतता – प्रभाव – विधिविरुद्ध जमाव का अपराध और हत्या – पीड़ित को कई क्षतियों के साथ तीन कटी हुई क्षतियां पहुंची थीं – जब हमलावरों की अधिसंख्या द्वारा पीड़ित पर हमला किया गया और उसे क्षतियां पहुंचाई गई तब प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन को मात्र इस आधार पर हटाया नहीं जा सकता कि डाक्टर की जानकारी में आई हुई कटी हुई क्षतियों की संख्या उनके कथनों से मेल नहीं खाती । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का इस बारे में परिसाक्ष्य कि पीड़ित पर हमला करने में अभियुक्त-व्यक्ति का शामिल होना धारदार आयुध से क्षतियां कारित करने में कोई दुर्बलता नहीं दिखाई देती । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य में प्रकट हुए विभेद और क्षतियों की यथावत् संख्या के बारे में चिकित्सा साक्ष्य के बारे में अभियोजन मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 149 – विधिविरुद्ध जमाव – विधिविरुद्ध जमाव को गठित करने वाले कारक ।

अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 1 अक्तूबर, 1998 को लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न जब पीड़ित अब्दुल वहाब, राज अली (अभि. सा. 4), अफजल अली (अभि. सा. 5) और इत्तिलाकर्ता राहिज उद्दीन अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी भूमि में मकान का सन्निर्माण कर रहे थे, अभियुक्त-व्यक्ति अब्दुल वहाब के घर की ओर भीड़ के साथ पहुंचे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्त-व्यक्तियों के बारे में यह जानकारी में आया है जो लाठी, बरछा, कटार आदि से सज्जित होकर अब्दुल वहाब के घर की ओर बढ़े, अब्दुल वहाब ने अन्य लोगों के साथ सौराब अली के घर पर आश्रय लिया । तथापि, अभियुक्त-व्यक्तियों ने शौराब अली के घर को चारों ओर से घेर लिया, और उसके घर की दीवार को तोड़ दिया तथा पीड़ित अब्दुल वहाब पर हमला किया । अभियुक्त

आजाद अली ने बरछा से अब्दुल वहाब पर प्रहार किया और अभियुक्त ताजुद्दीन और शमशुल हक ने कटार से उसे वेधित घाव पहुंचाया । शेष अभियुक्त-व्यक्तियों ने विभिन्न आयुधों से दाऊ, लाठी, डंडे आदि से पीड़ित पर हमला किया और अब्दुल वहाब की हत्या करने के पश्चात् वे उसके शव को ले गए और उसके शव को ब्रहमपुत्र नदी में फेंक दिया । अभियुक्त-व्यक्तियों ने अपराध करने के पश्चात् ब्रहमपुत्र नदी को बक्कार अली नामक व्यक्ति से संबंधित इंजन की नाव से पार किया, राहिजुददीन अभि. सा. 1 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 1) दर्ज की जिसके आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 147/148/149/324/326/302/201 के अधीन बगबार पुलिस थाना में मामला सं. 145/1998 को दर्ज किया और अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया । घटना के चार दिन पश्चात् पीड़ित का सड़ा हुआ शव नदी के किनारे पर बहता हुआ पाया गया था, जिसे शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था । अन्वेषण के दौरान कुछ साथियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए थे । कुछ अपराध में फंसाने वाली वस्तुएं भी बरामद की गई थीं, मोहम्मद लाल चंद सिकदार (अभि. सा. 17) द्वारा शव की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी और शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था । विचारण के दौरान अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 147/148/324/302/201 के साथ पठित धारा 149 के अधीन आरोप विरचित किए, जिस पर सभी अभियुक्त-व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया । अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए 17 साक्षियों की परीक्षा की । न्यायालय द्वारा दो साक्षियों के सक्षम साक्षी 1 और सक्षम साक्षी 2 के रूप में परीक्षा की । विचारण के दौरान दो से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन कार्यवाही की गई थी और अभियुक्त-व्यक्तियों का आरोप पत्र के अनुसार विचारण किया गया था । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने अपनी-अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्रियों का मूल्यांकन करते हुए विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने सभी 32 अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया और उनके लिए दंड अधिनिर्णीत किया जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित

होकर अपीलार्थियों ने वर्तमान अपीलें फाइल की हैं । तद्नुसार आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने साक्ष्य की बारीकी से समीक्षा करके यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने एक आवाज में संगत परिसाक्ष्य दिया है, कि अभियुक्त-व्यक्ति समूह में इकट्ठा होकर आयुधों से लैस थे और उन्होंने पीड़ित अब्दुल वहाब पर हमला किया । सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का संगत मौखिक परिसाक्ष्य यह है कि अधिक संख्या में व्यक्ति जो भीड़ में भिन्न-भिन्न आयुधों से लैस थे और उन्होंने पीड़ित अब्दुल वहाब का पीछा किया और युद्ध की घोषणा करके इसकी हत्या कर दी । इससे स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि वहां पर विधिविरुद्ध जमाव था और जमाव का उद्देश्य पीड़ित अब्दुल वहाब की हत्या करने के अलावा कुछ नहीं था । वास्तव में अपराध के अपराधकर्ताओं द्वारा विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया गया था और ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का स्पष्ट उद्देश्य पीड़ित अब्दुल वहाब की हत्या करने का रहा जिस बात पर प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एच. आर. ए. चौधरी तथा श्री बी. के. महाजन ने पुरजोर यह निवेदन किया है कि अभियोजन साक्षी जो बहुधा पीड़ित के नातेदार थे, उन्होंने निर्दोष दर्शकों को भी फंसाया था जो विधिविरुद्ध जमाव के न तो सदस्य थे और न जमाव के सामान्य उद्देश्य में उनकी भागीदारी थी । इस बारे में दी गई दलील कि अपराध की प्रकृति तथा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घटना घटी थी, घटना के स्थान के बारे में मात्र मौजूद व्यक्ति या सभी अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध बहु प्रयोजन अभिकथन यह है कि वे घटना के स्थान पर भी मौजूद थे । इससे वैयक्तिक रूप से प्रत्यक्ष कार्य के सबूत के अभाव में दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से अपराध किए जाने के लिए ऐसे सभी व्यक्तियों को अधिरोपित करना पर्याप्त नहीं होगा । निष्पक्ष संवीक्षा और साक्ष्य के निर्धारण से यह प्रकट होता है कि यद्यपि कुल मिलाकर 30 व्यक्ति जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया है, अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 जिनमें से सभी घटना के

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे । उन्होंने अपने-अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जिसमें उन्होंने अपीलार्थी रहीमुद्दीन, ऐनुल, बादशाह अली, सनसूल हक, बबलू, कौमार अली, बदर अली, उमर अली, आजाद, ताजुद्दीन, संतेष, मुईन **उर्फ** मयान, साहेब और निशान अली उनका वैयक्तिक रूप से प्रत्यक्ष कार्य किया जाना माना गया । तथापि, हमारा आगे संवीक्षा करने से यह भी प्रकट हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उनके अभिलिखित उनके पूर्ववर्ती कथनों में संतेष और मयान **उर्फ** मुईन के नामों का किसी ने भी उल्लेख नहीं किया है । साहेब अली के नाम के बारे में किसी भी साक्षी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध पूर्ववर्ती कथन में भी उल्लेख नहीं किया गया है । इसलिए, जो कुछ भी हमने निष्कर्ष निकाला है कि जहां तक रहीमउद्दीन, ऐनुल, बादशाह अली, सनसूल हक, बबलू, कौमार अली, बदर अली, उमर अली, आजाद, ताजुद्दीन और निशान का संबंध है, ऊपर उल्लिखित सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य पूर्ण रूप से संगत था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रारंभ करने के सभी प्रक्रमों पर तथा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उनका अभिसाक्ष्य देने तक । तथापि, अभि. सा. 8 ने उन सभी के नामों का उल्लेख नहीं किया है जिसका कारण यह रहा कि स्वीकृतत: उसे संपूर्ण घटना के साक्षी होने का अवसर नहीं मिला क्योंकि अभि. सा. 8 के अनुसार वह भय के मारे घर से बाहर नहीं निकला । अभि. सा. 13 ने सभी साक्षी के नामों का उल्लेख भी नहीं किया क्योंकि केवल थोड़े से अभियुक्त-व्यक्तियों ने नाव से नदी को पार किया था और अन्य लोगों ने बक्कार नामक व्यक्ति से संबंधित दूसरी नाव को प्रयोग में लिया था । अत: साक्ष्य का हमारा निर्धारण के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊपर उल्लिखित 11 अभियुक्त-व्यक्तियों के शामिल होने के बारे में युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है । इसमें ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम जहां तक अपीलार्थी रहीमुउद्दीन, आईनाल, बादशाह समसुल हक, बबलू, कौमार अली, बदर, उमर अली, ताजुद्दीन, निशान और आजाद की दोषसिद्धि और दंडादेश का संबंध है, उस पर विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से

सहमत हैं । तथापि, हमने अपीलार्थी चानमियां, काददूस अली, जबान अली, अनार, जुबेर, संतेष, सूरतजमाल, साबेद अली और मुईन अली **उर्फ** मयान, साकेत, आलेप, तालेब, नाकीब, अतवार, जुमर **उर्फ** झुमार, सय्यद और साहेब अली के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य पर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि युक्तियुक्त संदेह के परे आरोपों को साबित करना संपूर्ण रूप से अपर्याप्त है और इस प्रकार, हम ऊपर उल्लिखित अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं । तद्नुसार, अभियुक्त काददूस अली, चंदमाई, अनार, सुमेज, साबेद, जबान, साहेब अली (गांवबुराह), जुमार, सूरतजमाल, संतेष, सय्यद, साकेत और मुईन **उर्फ** मयान और 2015 की दांडिक अपील सं. 157 और अपीलार्थी नाकीब आलेप, तालेब और अतवार के संबंध में 2015 की दांडिक अपील सं. 166 को मंजूर किया जाता है । अपीलार्थी रहीमुउद्दीन, ऐनुल, बादशाह, समसुल हक, बबलू, कौमार अली, बदर, उमर अली, ताजुद्दीन, निशान और आजाद के विरुद्ध अपील को खारिज किया जाता है । संपूर्ण साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर, हमने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि साक्षियों में से किसी ने भी अभियुक्त अपीलार्थी काददूस अली, जबान अली, अनार, सोमेज, सूरतजमाल, अतवार और सोवेद अली को शामिल नहीं किया है । वास्तव में, इन सात व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य में अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य नहीं था । उनके बारे में अध्यपेक्षित सामान्य उद्देश्य या जानकारी या किसी अपराध में फंसाने वाली सामग्री के साथ विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, किसी भी साक्षी ने घटना के स्थान पर उनकी मौजूदगी के बारे में अभिसाक्ष्य नहीं दिया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में केवल यह प्रकट था कि जिसमें उन सात व्यक्तियों के नाम उनके द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य करने के बारे में सम्मिलित नहीं किया गया था । यह घिसी-पिटी विधि है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मूलभूत साक्ष्य नहीं है और उसका केवल विभेद या अपराध के कर्ता की संपुष्टि के लिए साधारण रूप से प्रयोग किया जा सकता है जब तक कि साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 या किसी उपबंध के अधीन साक्ष्य में नहीं दिया गया है । यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि अभि. सा. 1 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के

कर्ता अभि. सा. 1 ने न्यायालय में अपने साक्ष्य में इन सातों अपीलार्थियों को भी शामिल नहीं किया है । अतः, हमारा विचारित मत यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के समक्ष किसी विधिक साक्ष्य का अभाव से केवल इन आठ अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है । तथापि, पुलिस द्वारा आरोप पत्रित सभी अभियुक्त-व्यक्तियों को दोषसिद्ध करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर दृष्टि ओझल करना पाया गया है, कि दंड संहिता की धारा 149 के साथ किसी अपराध में दोषी ठहराने के लिए आठ अपीलार्थियों को उपरोक्त रूप से नामित करने के लिए पूर्णतया कोई विधिक साक्ष्य नहीं पाया गया । विधि में यह प्रकट नहीं है कि सभी मामलों में जहां चिकित्सा साक्ष्य का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के मौखिक साक्ष्य में विरोध है, इसलिए मौखिक परिसाक्ष्य को अस्वीकार किया जाता है बल्कि सुस्थिर विधि भिन्न रूप में है । वर्तमान मामले में, प्रकटतः पीड़ित के धारदार आयुध से उसके शरीर पर तीन कटी हुई क्षतियां पाई गई थीं । जब अधिक संख्या में लोगों की भीड़ थी और अधिक संख्या में साक्षी नहीं थे और अधिकांश साक्षी पीड़ित के निकट के नातेदार थे और पीड़ित पर वीभत्स रूप से हमला किया गया था जिस पर अत्यधिक आघात लगा था और उनके नजदीक हत्या हुई थी । यह भी नैसर्गिक रूप से प्रकट हुआ है कि ऐसी स्थिति में साक्षियों के लिए यह संभव नहीं हो सकता कि वे बारीकी से इस बात का अवलोकन करें कि किसने कौन से आयुध से प्रहार किए थे । उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से यह आशा करना भी व्यर्थ है कि उन्होंने घटना में अति सटीकता के साथ क्या देखा था । वस्तुतः, पीड़ित के नजदीकी नातेदारों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर किए गए कथन की प्रवृत्ति से अपराधियों के दंड को सुनिश्चित करने में उलझन होती है । ऐसा भी हो सकता है कि यह तथ्य शेष रह जाता है कि पीड़ित ने तीन कटी हुई क्षतियों सहित कई क्षतियां प्राप्त की थीं, इसलिए, जब अत्यधिक व्यक्तियों ने पीड़ित पर हमला किया और उसकी मृत्यु कारित करने के लिए कई क्षतियां उसे पहुंचाईं तब प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के वृत्तांत को मात्र इस कारण से दूर नहीं किया जा सकता कि कटी हुई क्षतियां जैसा कि

डाक्टर की जानकारी में आया है कि उन्हें मौखिक परिसाक्ष्य में कही गई बातों के साथ तुलना नहीं की गई है उसका कारण यह रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य जो अभियुक्त-व्यक्तियों के शामिल होने के संबंध में है और धारदार आयुध से कारित की गई क्षतियां जो संगत थीं और उस पर कही गई बातों में कोई दुर्बलता प्रकट नहीं होती है । ऐसा भी विभेद हो सकता है जब दो वृत्तांत पारस्परिक रूप से एक दूसरे को नष्ट करते हैं कि एक वृत्तांत पूर्ण रूप से नकारात्मक है या दूसरे वृत्तांत को अस्वीकार करवाता है । जब चिकित्सा साक्ष्य में यह कहा गया है कि पीड़ित को तीन कटी हुई क्षतियां पहुंची थी जिस पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के वृत्तांत में यह कहा गया है कि तीन व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारदार आयुध से पीड़ित को चोट पहुंचाई गई थी । चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बीच भिन्नता जो वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रकट हुई है उस पर सही अर्थ में विभेद होने की कल्पना नहीं की जा सकती । इसके अलावा तथ्य और परिस्थितियों तथा उस स्थान के वातावरण को ध्यान में रखते हुए जिसमें घटना घटी, चिकित्सा साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच ऐसी भिन्नताएं जैसा कि ऊपर उपदर्शित है या पीड़ित को पहुंचाई गई क्षतियों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें जो स्वाभाविक प्रकृति की हैं उस पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई आधार नहीं है । (पैरा 9, 30, 40, 38 और 32)

यदि एक बार दंड संहिता की धारा 149 के सभी उपरोक्त तत्वों से समाधान होता है, विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्य जमाव के किसी सदस्य द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए उसे संरचनात्मक रूप से दायी ठहराया जा सकता है जिसमें निजी भागीदारी को ध्यान में नहीं लाया जाता या इस बात को भी ध्यान में नहीं लाया जाता है कि जमाव के प्रत्येक सदस्य का प्रत्यक्ष कार्य से कोई सबूत प्रकट हुआ है । अतः, दंड संहिता की धारा 149 के अधीन संरचनात्मक दोषसिद्धि के आधार को अध्यपेक्षित सामान्य उद्देश्य या जानकारी के साथ विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में माना जाता है और न कि कोई व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कार्य । क्या कोई व्यक्ति जिसने विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य या उसने

विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य में भागीदारी की हो या उसे अध्यपेक्षित जानकारी थी, जिस बात को अलग-अलग वैयक्तिक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिए । इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कठोर सूत्र नहीं हो सकता । विधिविरुद्ध जमाव की सदस्यता या अध्यपेक्षित सामान्य उद्देश्य या जानकारी में भाग लेना । एक साथ हमले के मामले में या जहां अधिक संख्या में व्यक्ति शामिल हों तब प्राय: यह पाया जाता है कि कुछ व्यक्ति कौतूहल के कारण अपराध के स्थान पर एकत्रित थे और इस बारे में क्या वहां पर घटित हुआ या विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के रहते हुए बिना क्या घटित होने जा रहा था या वहां पर किसी सामान्य उद्देश्य में भागीदारी की गई थी । इसलिए, भीड़ द्वारा हमले के मामले में जिसमें कई व्यक्ति शामिल होते हैं या ग्राम समुदाय की गुटबंदी हैं तब न्यायालय अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए विवश है ताकि जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मामले में किसी निर्दोष दर्शक को मिथ्या रूप से न फंसाया गया हो । ऐसी सावधानी के अभाव में असुरक्षित या निर्दोष व्यक्ति दोषसिद्ध हो सकता है जिससे न्याय की अपहानि होगी । यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि दंड संहिता की धारा 149 के अधीन रचनात्मक दायित्व के आधारित सिद्धांत विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के बारे में हैं जिसमें सामान्य उद्देश्य और अध्यपेक्षित जानकारी भी होनी चाहिए । जब एक बार अध्यपेक्षित सामान्य उद्देश्य और जानकारी के साथ सदस्यता साबित की जाती है, तब यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशिष्ट सदस्य के वैयक्तिक प्रत्यक्ष कार्य को साबित किया जाए । क्या यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को रचनात्मक आपराधिक दायित्व के लिए दंडित किए जाने से पूर्व न्यायालय को इस बात पर निश्चित होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है और उसने जमाव के सामान्य उद्देश्य में भागीदारी की है या उसे यह जानकारी थी कि विशिष्ट अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए संभवत: किया गया है । इस बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के साथ विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था या उसे इस बारे में अध्यपेक्षित की जानकारी थी, न्यायालय घटना के स्थान पर ऐसे व्यक्ति

की मात्र उपस्थिति होने से, कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर किसी व्यक्ति को जमाव के सदस्य होने के रूप में ठहराया जाना पर्याप्त नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ, जब पुराने वैर-भाव से प्रेरित होकर विरोधी समूह द्वारा जिसमें अधिकांश व्यक्ति हों, अपराध को कारित करने में एक साथ अन्तर्वलित हों तब ऐसे हमले को वैर-भाव से किया जाना माना जाएगा । इसलिए, यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त उद्धृत विनिश्चय में अधिकथित सिद्धांत के आधार पर रचनात्मक आपराधिक दायित्व के आधार को हल्का नहीं करता है, बल्कि सावधानी के नियम को अंगीकृत करता है । वर्तमान मामले में सुस्पष्टतया समूह द्वारा हमला किया गया था और अत्यधिक व्यक्तियों को आलिप्त किए जाने की ईप्सा की गई थी और इस प्रकार, सावधानी के नियम के लिए ऐसी प्रज्ञा जिसमें दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से संरचनात्मक दायित्व के आधार पर उनकी दोषिता मानी जाती है । पूर्वोक्त सिद्धांत को सावधानी से ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की हमारे द्वारा जांच की जानी चाहिए । (पैरा 12 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3681 : **गंगा भवानी** बनाम **राया पाती वेंकटारेड्डी** ;	32
[2013]	(2013) 4 एस. सी. सी. 752 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6515 : **रणजीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** ;	14
[2013]	(2013) 4 एस. सी. सी. 607 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3627 : **सुबल गोरई और अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य ;**	15
[2010]	(2010) 13 एस. सी. सी. 657 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 7049 : **सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता (डा.) और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	36

[2009]	(2009) 10 एस. सी. सी. 773 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 236 : **पांडुरंग चन्द्रकांत महात्रे और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	9, 13
[2002]	(2002) 2 एस. सी. सी. 426 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 620 : **हरियाणा राज्य** बनाम **राम सिंह** ।	31

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 157.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से	सर्वश्री एच. आर. ए. चौधरी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, आई. ए. हजारिका और बी. के. महाजन
प्रत्यर्थियों की ओर से	सुश्री एस. जहान, लोक अभियोजक असम

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मीर अल्फाज अली ने दिया ।

न्या. अली – हम सामान्य निर्णय से 2015 की दांडिक अपील सं. 157 और 2015 की दांडिक अपील सं. 166 का विनिश्चय करते हैं क्योंकि ये दोनों अपीलें 2008 के सेशन मामला सं. 8 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), बारपेटा द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं ।

2. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), बारपेटा द्वारा 32 अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया है जिन्हें दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भोगने तथा व्यतिक्रम की शर्त के साथ 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया । अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 147/148 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है और क्रमश: एक वर्ष और 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । अपीलार्थियों को दंड

संहिता की धारा 201 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है और 6 मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

3. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 1 अक्तूबर, 1998 को लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न जब पीड़ित अब्दुल वहाब, राज अली (अभि. सा. 4), अफजल अली (अभि. सा. 5) और इत्तिलाकर्ता राहिज उद्दीन अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी भूमि में मकान का सन्निर्माण कर रहे थे, अभियुक्त-व्यक्ति अब्दुल वहाब के घर की ओर भीड़ के साथ पहुंचे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अभियुक्त-व्यक्तियों के बारे में यह जानकारी में आया है जो लाठी, बरछा, कटार आदि से सज्जित होकर अब्दुल वहाब के घर की ओर बढ़े, अब्दुल वहाब ने अन्य लोगों के साथ सौराब अली के घर पर आश्रय लिया । तथापि, अभियुक्त-व्यक्तियों ने सौराब अली के घर को चारों ओर से घेर लिया, और उसके घर की दीवार को तोड़ दिया तथा पीड़ित अब्दुल वहाब पर हमला किया । अभियुक्त आजाद अली ने बरछा से अब्दुल वहाब पर प्रहार किया और अभियुक्त ताजुद्दीन और शमशुल हक ने कटार से उसे वेधित घाव पहुंचाया । शेष अभियुक्त-व्यक्तियों ने विभिन्न आयुधों से दाऊ, लाठी, डंडे आदि से पीड़ित पर हमला किया और अब्दुल वहाब की हत्या करने के पश्चात् वे उसके शव को ले गए और उसके शव को ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दिया । अभियुक्त-व्यक्तियों ने अपराध करने के पश्चात् ब्रह्मपुत्र नदी को बक्कार अली नामक व्यक्ति से संबंधित इंजन की नाव से पार किया, राहिजुद्दीन अभि. सा. 1 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 1) दर्ज की जिसके आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 147/148/149/324/326/302/201 के अधीन बगबार पुलिस थाना में मामला सं. 145/1998 को दर्ज किया और अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया । घटना के चार दिन पश्चात् पीड़ित का सड़ा हुआ शव नदी के किनारे पर बहता हुआ पाया गया था, जिसे शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था । अन्वेषण के दौरान कुछ साथियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए थे । कुछ अपराध में फंसाने वाली वस्तुएं भी बरामद की गई थीं, मोहम्मद लाल चंद सिकदार (अभि. सा. 17) द्वारा शव की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी और शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था ।

4. डाक्टर एन. एन. शर्मा (अभि. सा. 2) ने पीड़ित के शव का शवपरीक्षण किया और निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

> "1. दाहिने कन्धे की संधि के सामने की ओर एक कटी हुई क्षति । पार्श्विक थर्ड पर दाहिने हंसली का अस्थिभंग पर (4" × 2" × 1½") (एल. × बी. × डी.)
>
> 2. वाहिकाओं की मांसपेशियों के सडाव के साथ बाएं कन्धे पर एक गहरी कटी हुई क्षति ।
>
> 3. शिरोवल्क के मध्य पर एक कटी हुई क्षति (3" × 2" × 1") (एल. × बी. × डी.) = दोनों रिमिटल पर पाए गए अस्थिभंग के साथ मस्तिष्क द्रव्य बाहर निकला हुआ ।
>
> 4. अण्डकोश पर सूजन ।
>
> 5. दोनों कलाई के संधि पर बंध के चिह्न । सभी क्षतियां धारदार आयुध से की गईं और वे गंभीर, प्रकृति में मृत्यु-पूर्व की हैं ।"

डाक्टर की राय में मृत्यु आघात और रक्तस्राव के कारण हुई थी जो क्षतियों के परिणामस्वरूप थी । अन्वेषण के निष्कर्ष पर आरोप पत्र तीस अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध थी जिन सभी का विचारण हुआ था ।

5. विचारण के दौरान अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 147/148/324/302/201 के साथ पठित धारा 149 के अधीन आरोप विरचित किए, जिस पर सभी अभियुक्त-व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया । अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए 17 साक्षियों की परीक्षा की । न्यायालय द्वारा दो साक्षियों की परीक्षा न्यायालय साक्षी-1 और न्यायालय साक्षी-2 के रूप में की गई । विचारण के दौरान दो से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन कार्यवाही की गई थी और अभियुक्त-व्यक्तियों का आरोप पत्र के अनुसार विचारण किया गया था । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने अपनी-अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्रियों का मूल्यांकन करते हुए

विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने सभी 32 अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया और उनके लिए दंड अधिनिर्णीत किया जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है ।

6. विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने वर्तमान अपीलें फाइल की हैं ।

7. अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी शोबेर, शरीफ उद्दीन, सोहराब और निजाम अली की मृत्यु हो गई, इसलिए, शेष 28 अपीलार्थी हमारे समक्ष विचारण के लिए मौजूद हैं ।

8. हमने दो अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले ज्येष्ठ काउंसेल श्री एच. आर. ए. चौधरी जिनकी श्री ए. अहमद द्वारा सहायता की गई और श्री बी. के. महाजन जिनकी श्री ए. चौधरी द्वारा सहायता की गई । हमने राज्य प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री एस. जहान विद्वान् अपर लोक अभियोजक को भी सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्रियों का बारीकी से परिशीलन किया ।

9. हमने साक्ष्य की बारीकी से समीक्षा करके यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने एक आवाज में संगत परिसाक्ष्य दिया है, कि अभियुक्त-व्यक्ति समूह में इकट्ठा होकर आयुधों से लैस थे और उन्होंने पीड़ित अब्दुल वहाब पर हमला किया । सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का संगत मौखिक परिसाक्ष्य यह है कि अधिक संख्या में व्यक्ति जो भीड़ में भिन्न-भिन्न आयुधों से लैस थे और उन्होंने पीड़ित अब्दुल वहाब का पीछा किया और ललकारते हुए इसकी हत्या कर दी । इससे स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि वहां पर विधिविरुद्ध जमाव था और जमाव का उद्देश्य पीड़ित अब्दुल वहाब की हत्या करने के अलावा कुछ नहीं था । वास्तव में अपराध के अपराधकर्ताओं द्वारा विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया गया था और ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का स्पष्ट उद्देश्य पीड़ित अब्दुल वहाब की हत्या करने का रहा जिस बात पर प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एच. आर. ए. चौधरी तथा श्री बी. के. महाजन ने पुरजोर यह निवेदन किया है कि अभियोजन साक्षी जो बहुधा पीड़ित के नातेदार थे, उन्होंने निर्दोष

दर्शकों को भी फंसाया था जो विधिविरुद्ध जमाव के न तो सदस्य थे और न जमाव के सामान्य उद्देश्य में उनकी भागीदारी थी । इस बारे में दी गई दलील कि अपराध की प्रकृति तथा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घटना घटी थी, घटना के स्थान के बारे में मात्र मौजूद व्यक्ति या सभी अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध बहु प्रयोजन अभिकथन यह है कि वे घटना के स्थान पर भी मौजूद थे । इससे वैयक्तिक रूप से प्रत्यक्ष कार्य के सबूत के अभाव में दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से अपराध किए जाने के लिए ऐसे सभी व्यक्तियों को अधिरोपित करना पर्याप्त नहीं होगा । उक्त निवेदन को प्रोत्साहन देने के लिए विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने **पांडुरंग चन्द्रकांत महात्रे और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया ।

10. दंड संहिता की धारा 149 का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "**विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी** – यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा ।"

11. उपरोक्त उपबंध का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि दंड संहिता की धारा 149 के उपबंध को लागू करने के लिए यह साबित होना चाहिए कि वहां पर विधिविरुद्ध जमाव था जैसा कि दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा किए जाने के लिए अपराध में फंसाने वाला कार्य किया था या जमाव के सदस्यों की जानकारी के

---

[1] (2009) 10 एस. सी. सी. 773 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 236.

अन्तर्गत ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कारित किया जाना संभव है । अतः, दंड संहिता की धारा 149 के उपबंधों का अवलंब लेने के लिए निम्नलिखित संघटकों को सिद्ध किया जाना अपेक्षित है –

(i) वहां पर विधिविरुद्ध जमाव होना चाहिए ;

(ii) विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध का किया जाना ;

(iii) ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया है ;

(iv) जमाव के सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि विशिष्ट अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए संभवतया कारित किया जाना हो ।

12. यदि एक बार दंड संहिता की धारा 149 के सभी उपरोक्त तत्वों से समाधान होता है, विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्य जमाव के किसी सदस्य द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए उसे संरचनात्मक रूप से दायी ठहराया जा सकता है जिसमें निजी भागीदारी को ध्यान में नहीं लाया जाता या इस बात को भी ध्यान में नहीं लाया जाता है कि जमाव के प्रत्येक सदस्य का प्रत्यक्ष कार्य से कोई सबूत प्रकट हुआ है । अतः, दंड संहिता की धारा 149 के अधीन संरचनात्मक दोषसिद्धि के आधार को अध्यपेक्षित सामान्य उद्देश्य या जानकारी के साथ विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में माना जाता है और न कि कोई व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कार्य । क्या कोई व्यक्ति जिसने विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य या उसने विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य में भागीदारी की हो या उसे अध्यपेक्षित जानकारी थी, जिस बात को अलग-अलग वैयक्तिक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिए । इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कठोर सूत्र नहीं हो सकता । विधिविरुद्ध जमाव की सदस्यता या अध्यपेक्षित सामान्य उद्देश्य या जानकारी में भाग लेना । एक साथ हमले के मामले में या जहां अधिक संख्या में व्यक्ति शामिल हों तब प्रायः यह

पाया जाता है कि कुछ व्यक्ति कौतूहल के कारण अपराध के स्थान पर एकत्रित थे और इस बारे में क्या वहां पर घटित हुआ या विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के रहते हुए बिना क्या घटित होने जा रहा था या वहां पर किसी सामान्य उद्देश्य में भागीदारी की गई थी । इसलिए, भीड़ द्वारा हमले के मामले में जिसमें कई व्यक्ति शामिल होते हैं या ग्राम समुदाय की गुटबंदी हैं तब न्यायालय अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए विवश है ताकि जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मामले में किसी निर्दोष दर्शक को मिथ्या रूप से न फंसाया गया हो । ऐसी सावधानी के अभाव में असुरक्षित या निर्दोष व्यक्ति दोषसिद्ध हो सकता है जिससे न्याय की अपहानि होगी ।

13. उच्चतम न्यायालय ने **पांडुरंग चन्द्रकांत माहत्रे और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में एक साथ हमला करने के मामले में दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य के मानक पर अत्यधिक गहराई से विचार किया जाना चाहिए या जहां कई व्यक्ति मामले में अन्तर्वलित हो, उत्कथित पूर्ववर्ती विनिश्चयों के अनुमोदन से भिन्न-भिन्न मत अभिकथित किए गए हैं और पैरा 66, 67, 68 और 69 में यह अभिनिर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है :–

> "66. मसालती **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202 वाले मामले में इस न्यायालय ने यह उपदर्शित किया है (ए. आई. आर. पी. पी. 210-11 जी पैरा 17) –
>
> > 'किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस बात को साबित किया जाना चाहिए जिसके बारे में विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने का अभिकथन किया गया है, यह है कि वह उन व्यक्तियों में से ऐसा व्यक्ति था जिसने जमाव का गठन किया और उसने सामान्य उद्देश्य के साथ जमाव के अन्य सदस्यों को भी साथ लिया जैसा कि दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है और धारा 142 में यह उपबंध

[1] 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 216.

> किया गया है कि जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है । दूसरे शब्दों में, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमाव जिनका एक या उससे अधिक सामान्य उद्देश्य हो जिस बात को धारा 141 के पांचवें खंड में विनिर्दिष्ट किया गया है, विधिविरुद्ध जमाव है । ऐसे मामले में अवधारण किए जाने हेतु निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या जमाव में पांच या अधिक व्यक्ति हैं और क्या उक्त व्यक्तियों ने एक या उससे अधिक सामान्य उद्देश्य को ग्रहण किया गया है जैसा कि धारा 141 में विनिर्दिष्ट किया गया है । इस प्रश्न का अवधारण करते समय, इस बात पर विचार करना सुसंगत होगा कि क्या जमाव में कुछ व्यक्ति सम्मिलित हैं जो नाम मात्र रूप से निष्क्रिय साक्षी हैं और वे जमाव में सम्मिलित हुए थे जो जमाव के सामान्य उद्देश्य को ग्रहण करने के लिए बिना आशय के कौतूहल के कारण मामले में सम्मिलित हुए थे ।'

मसालती वाले मामले में अधिकथित विधिक स्थिति में निस्संदेह यह स्वीकार किया गया है और जिस मामले का बार-बार अनुसरण किया गया है । तथापि, जहां कई व्यक्तियों के बारे में जिनका अपराध में भागीदारी किया जाना अभिकथित है और उन्हें दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से मामले में दर्ज किया जाना ईप्सित है, इस न्यायालय ने विशिष्ट तथ्य स्थिति पर विचार करके सावधानी का नियम लागू किया है और उन अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया है जिनकी मौजूदगी स्पष्ट रूप से सिद्ध हुई थी और उनके बारे में प्रत्यक्ष कार्य किया जाना साबित हुआ था ।

67. शेरे **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1991 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2583) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है (पृष्ठ 440, पैरा 4 देखें) –

> "4. जब कई व्यक्तियों के विरुद्ध मामले में साधारण

अभिकथन किए गए हैं तब न्यायालय नैसर्गिक रूप से ऐसे अस्पष्ट साक्ष्य पर उन सभी को दोषसिद्ध करने में हिचकिचाहट महसूस करता है । इसलिए, हम कुछ युक्तियुक्त परिस्थितियों पर निष्कर्ष निकालते हैं जिनसे हमें आश्वासन मिलता है । उक्त मत पर ध्यान देगा केवल तब सुरक्षित होगा कि ऊपर उल्लिखित नौ अभियुक्तों को दोषसिद्ध करें जिनकी मौजूदगी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के प्रक्रम पर संगत रूप से उल्लिखित नहीं है परंतु जिनके बारे में प्रत्यक्ष कार्य किया जाना माना गया है ।'

68. मूसा खान **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2566) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है (एस. सी. सी. पृष्ठ 736 एम. पैरा 5 ; पृष्ठ 2569 में, ए. आई. आर. का पैरा 5) –

'5.......... इस प्रकार न्यायालय यह उपधारणा करने का हकदार नहीं है कि कोई और प्रत्येक व्यक्ति जिसके बारे में किसी समय पर दंगाई भीड़ के नजदीक मौजूद होना साबित किया गया है या अपने-अपने क्रियाकलापों के दौरान किसी प्रक्रम पर ऐसे दंगे में सम्मिलित होना या वहां से चले जाना ऐसे कार्य के किए जाने के प्रारंभ से अंत तक उसमें घटित प्रत्येक कार्य के लिए विधि में दोषी हैं या ऐसे भीड़ का प्रत्येक सदस्य प्रारंभिक या सामयिक रूप से किए गए कार्यों के लिए दोषी होगा और उन्हें ऐसे अवैध क्रियाकलापों की प्रकृति में रखा जाएगा जिसमें जमाव का गठन किया गया था । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मामले में यह साबित होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न केवल किसी प्रक्रम पर विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं था परंतु सभी निर्णायक प्रक्रमों पर उसके द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य में भागीदारी की थी ।'

69. नागरजीत अहिर **बनाम** बिहार राज्य (ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 722) वाले मामले में इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सावधानी का नियम लागू करके यह

अभिनिर्धारित किया है कि 'केवल उन व्यक्तियों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित हो सकता है जिनके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से प्रत्यक्ष कार्य किया जाना अभिकथित है ।'"

14. **रणजीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले का विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एच. आर. ए. चौधरी द्वारा अवलंब लिया गया, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ग्राम समुदाय के अन्तर्गत बने हुए गुट (दल) की यह प्रवृत्ति रहती है कि दोषी व्यक्तियों के साथ निर्दोष व्यक्तियों को भी फंसाया जाए । खास तौर पर जब हमलावरों की अधिक संख्या हो और किसी अपराध को कारित किए जाने में अन्तर्वलित हों और जो मामला सामान्य जानकारी का हो । ऐसे मामलों में साक्ष्य पक्षपाती भी हो सकता है जबकि न्यायालय केवल इस आधार पर ऐसे साक्ष्य को आसानी से अस्वीकार नहीं कर सकता है जिस पर सावधानीपूर्वक अभिसाक्ष्य को दृष्टिगत करना ईप्सित होना चाहिए और अत्यधिक बारीकी से साक्ष्य की संवीक्षा की जानी चाहिए जिससे कि न्याय की अपहानि को दूर किया जाए ।

15. **सुबल गोरई और अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि "संरचनात्मक दायित्व की अवधारणा पर यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए जिससे कि निर्दोष दर्शकों को मिथ्या रूप से फंसा दिया जाए । प्राय: अपराध के स्थान पर एकत्रित लोग जो कौतूहल के कारण इकट्ठा होते हैं । वे विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य में भागीदारी नहीं करते हैं । यदि सामान्य अभिकथन कई लोगों के विरुद्ध किए जाते हैं, तब न्यायालय को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि मात्र दर्शक की दोषसिद्धि के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए जिन्होंने विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य में भागीदारी नहीं की है जब तक कि युक्तियुक्त प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिस्थितियों से अभियोजन पक्षकथन को बल नहीं मिलता है कि उन्होंने विधिविरुद्ध के सामान्य उद्देश्य में भागीदारी की है, उन्हें दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध नहीं किया जा

[1] (2013) 6 एस. सी. सी. 752 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6515.

[2] (2013) 4 एस. सी. सी. 607 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3627.

सकता । प्रत्येक मामले में यह साबित होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति किसी भी प्रक्रम पर विधिविरुद्ध जमाव के न केवल सदस्य हैं बल्कि सभी निर्णायक प्रक्रमों पर तथा जमाव के सामान्य उद्देश्य पर सभी प्रक्रमों में भागीदारी की हो । न्यायालय को अपनी राय विरचित करने के लिए कुछ सामग्रियों पर विचार करना चाहिए कि अभियुक्त ने सामान्य उद्देश्य में भागीदारी की है । विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य का विशिष्ट प्रक्रम है जिसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के आचरण को ध्यान में रखकर अवधारित किया जाना चाहिए और हमले के समय पर, उनके व्यवहार अपराध के स्थान के नजदीक, अपराध के लिए हेतु, और उनके द्वारा लाए गए आयुध और ऐसे अन्य सुसंगत बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए । दांडिक न्यायालय को अपराध में निर्दोष लोगों को अधिरोपित करने से बचना चाहिए । इस न्यायालय द्वारा अधिकथित इन सिद्धांतों को रचनात्मक दायित्व की उपधारणा से हल्का नहीं किया जाना चाहिए । उन्हें सावधानी के नियम को सम्मिलित करना चाहिए ।

16. यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि दंड संहिता की धारा 149 के अधीन रचनात्मक दायित्व के आधारित सिद्धांत विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के बारे में हैं जिसमें सामान्य उद्देश्य और अध्यपेक्षित जानकारी भी होनी चाहिए । जब एक बार अध्यपेक्षित सामान्य उद्देश्य और जानकारी के साथ सदस्यता साबित की जाती है, तब यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशिष्ट सदस्य के वैयक्तिक प्रत्यक्ष कार्य को साबित किया जाए । क्या यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को रचनात्मक आपराधिक दायित्व के लिए दंडित किए जाने से पूर्व न्यायालय को इस बात पर निश्चित होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है और उसने जमाव के सामान्य उद्देश्य में भागीदारी की है या उसे यह जानकारी थी कि विशिष्ट अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए संभवतः किया गया है । इस बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के साथ विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था या उसे इस बारे में अध्यपेक्षित की जानकारी थी, न्यायालय घटना के स्थान पर ऐसे व्यक्ति की मात्र उपस्थिति होने से, कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर किसी व्यक्ति को जमाव के सदस्य होने के रूप में ठहराए जाना पर्याप्त नहीं

हो सकता । उदाहरणार्थ, जब पुराने वैर-भाव से प्रेरित होकर विरोधी समूह द्वारा जिसमें अधिकांश व्यक्ति हों, अपराध को कारित करने में एक साथ अन्तर्वलित हों तब ऐसे हमले को वैर-भाव से किया जाना माना जाएगा । इसलिए, यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त उद्धृत विनिश्चय में अधिकथित सिद्धांत के आधार पर रचनात्मक आपराधिक दायित्व के आधार को हल्का नहीं करता है, बल्कि सावधानी के नियम को अंगीकृत करता है । वर्तमान मामले में सुस्पष्टतया समूह द्वारा हमला किया गया था और अत्यधिक व्यक्तियों को आलिप्त किए जाने की ईप्सा की गई थी और इस प्रकार, सावधानी के नियम के लिए ऐसी प्रज्ञा जिसमें दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से संरचनात्मक दायित्व के आधार पर उनकी दोषिता मानी जाती है । पूर्वोक्त सिद्धांत को सावधानी से ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की हमारे द्वारा जांच की जानी चाहिए ।

17. रायजुद्दीन (अभि. सा. 1) पीड़ित के पुत्र ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन को जब वह अपने पिता अब्दुल वहाब (पीड़ित) के साथ अपनी भूमि में काम रहा था तब उनकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त-व्यक्ति विभिन्न आयुधों से खंजर नुकीले छड़, भाले आदि से लैस थे और वे अब्दुल वहाब को चोट पहुंचाने की दृष्टि से उनके मकान की ओर आगे बढ़े थे और अब्दुल वहाब को (पकड़ो और मारो) जोर-जोर से बोल रहे थे । अभियुक्त-व्यक्तियों के भीड़ को आते हुए देखकर जिस पर उन्होंने अपना मकान छोड़ दिया और सोहराब अली नामक व्यक्ति के मकान में शरण ली, जिसका मकान थोड़ी दूर पर था । अभियुक्त-व्यक्ति पीड़ित का पीछा करते हुए सोहराब अली के मकान पर पहुंचे । अपीलार्थी रायजुद्दीन ने सोहराब के मकान की ओर इशारा किया और अन्य लोगों को यह बताया कि वहाब सौरभ के मकान के अंदर है जिस पर सभी अभियुक्त-व्यक्तियों के सोहराब के मकान को घेर लिया । अभियुक्त रहीम उद्दीन, साहेब उद्दीन, सोहराब देवानी, सोन्तेश अली, कोमार अली, निजाम, निशान, मोहिन, जुमर, बदर अली, उमर अली, आसद, आफज और बेतलु ने सोहराब के मकान के दरवाजे और दीवार तोड़ दी तथा अभियुक्त आजाद अली ने लोहे की छड़ और खंजर से अब्दुल वहाब पर हमला किया । अभियुक्त रहीम उद्दीन और साहेब अली,

(गांवबुराह) नाजिम, उमर अली और कुमहार अली ने खंजर से पीड़ित वहाब को चोट पहुंचाई । सोहराब देवानी, बबलू, बदर अली, बादशाह और चानमियां ने लाठी से पीड़ित पर हमला किया । समसुल और रहीम उद्दीन ने अब्दुल वहाब (पीड़ित) पर नुकीले छड़ से चोट पहुंचाई और ऐसे हमले के परिणामस्वरूप, अब्दुल वहाब की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त बादशाह अली ने रस्सी से पीड़ित के पैरों को बांध दिया । जब उसने (अभि. सा. 6) ने विरोध किया तब अभियुक्त बदर अली ने अभि. सा. 1 को चोट पहुंचाई । अभियुक्त ने उसकी बहिन रूपबानो (अभि. सा. 6), उसकी माता जुलेखा (अभि. सा. 3) छोटे भाई अफजल (अभि. सा. 5) और आजाद अली (अभि. सा. 1) पर भी हमला किया । अभियुक्त-व्यक्तियों ने उसकी बहिन रूपबानो (अभि. सा. 6), उसकी माता जुलेखा (अभि. सा. 3) छोटे भाई अफजल (अभि. सा. 5) ने हमला किया । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि अभियुक्त उमर, बादशाह ऐनुल और बदर वहाब के शव को इंजन की नाव से ब्रहमपुत्र नदी पर लाए और नदी में शव को फेंक दिया । प्रतिपरीक्षा से यह भी उपदर्शित हुआ है कि उसने अभियुक्त संतेष और मुईन के नामों का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने पूर्व के कथन में उल्लेख नहीं किया है । उसने (अभि. सा. 1) ने अभियुक्त कददस अली, चानमियां, साहेब अली, जुमर अली के नामों का अपने पूर्ववर्ती कथन में उल्लेख नहीं किया है । यह भी प्रकट हुआ था कि यद्यपि वैयक्तिक प्रत्यक्ष कार्य भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया माना गया था । अभि. सा. 1 ने न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते हुए उसने अपने पूर्व में दिए गए कथन में अभियुक्त-व्यक्तियों के बारे में कोई वैयक्तिक प्रत्यक्ष कार्य किया जाना नहीं माना है ।

18. पीड़ित की पत्नी (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि रहीम उद्दीन, सोहराब अली, बाबुल, सोफर अली, चंदीमियां, बादशाह, निजाम, आयानाल, कोमर अली, उमर अली, निषेन और बदर उनके मकान पर पहुंचे थे और यह बात जानकारी में आई थी कि वे अपना मकान छोड़कर सोहराब के मकान में उन्होंने शरण ली । तब अभियुक्त-व्यक्ति सोहराब के मकान के दरवाजे और दीवार को तोड़ कर अंदर घुसे

थे, और उसके पति अब्दुल वहाब को घसीट कर बाहर लाए और उस पर हमला करने लगे । उसने यह भी कथन किया कि रहीम उद्दीन, साहेब अली, सोहराब, बाबुल, निजाम, मुईन, उमर और कोमार ने खंजर से पीड़ित पर हमला किया । चानमियां, संतेष, निशान, बदर और ऐनुल ने लाठी से हमला किया । इसके पश्चात्, अभियुक्त संतेष और बादशाह ने उसके पति के हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए थे और उसे ब्रहमपुत्र नदी की ओर ले गए । जब उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की उस पर भी खंजर और लाठी से हमला किया गया ।

19. अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि वह अभि. सा. 1, अभि. सा. 6, अभि. सा. 3, अभि. सा. 5, अभि. सा. 11, अभि. सा. 10 और नयाब अली नामक व्यक्ति द्वारा धरमपुरचार में मकान का सन्निर्माण कर रहे थे । जब वे अपने काम में लगे हुए थे तब उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त-व्यक्तियों ने बक्कार देवानी नामक व्यक्ति के मशीनी नाव से नदी को पार किया था और सभी अभियुक्त-व्यक्ति अर्थात् रहीम उद्दीन सोहराब, सौफेर बबलू, समसुल निजाम, चानमियां, मुईन, बादशाह, कौमार अली, उमर अली, निशान अली, ऐनुल अली, सब्बूर, समेज अली, समसुल हक, सय्यद अली, साकेत अली, आजाद अली, तालेब अली, नाकिब अली, अतवार अली उर्फ अतवार अली और कई अन्य व्यक्ति लाठी और दाउ आदि से लैस होकर उनकी ओर आगे बढ़े थे और अब्दुल वहाब को पकड़ो और उसे चोट पहुंचाओ, का संबोधन कर रहे थे, इन व्यक्तियों के समूह को देखकर उन्होंने सोहराब के मकान में शरण ली थी । उसी बीच में सभी अभियुक्त-व्यक्तियों ने सोहराब के मकान को पार किया, ताजुद्दीन ने यह बताया कि अब्दुल वहाब सोहराब के मकान के अंदर था । तब सभी अभियुक्त-व्यक्तियों ने सोहराब के मकान को घेर लिया । अभियुक्त रहीमद्दीन, सोहराब साहेब, संतेष, उमर अली, उमर अली, निशान, मुईन, बदर, बबलू और आजाद ने उसके मकान के दरवाजे और दीवारें तोड़ दी और अभियुक्त आजाद अली ने खंजर से अब्दुल वहाब को घाव पहुंचाया और उसे मकान से खींच कर बाहर ले आया और अभियुक्त आजाद रहीमुउद्दीन, सोहराब सोफर, बबलू, मुईन, उमर अली, उमर अली ने उसे खंजर से चोट पहुंचाई । नाजिम अली **उर्फ** निजाम अली ने धारदार आयुध से अब्दुल वहाब को

चोट पहुंचाई, निशान, समसुल हक और बादशाह और चानमियां संतेष अली, ऐनुल, नायेब और बादशाह अली ने लाठी से पीड़ित पर हमला किया और ऐसे हमलों के परिणामस्वरूप पीड़ित की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु के पश्चात् अभियुक्त संतेष अली और बादशाह अली ने पीड़ित के हाथ पैर बांध दिए और उमर अली, बदर उद्दीन, ऐनुल और अन्य व्यक्ति पीड़ित के शव को बाहर लाए और ब्रहमपुत्र नदी में फेंक कर उसे ठिकाने लगा दिया ।

20. अफजल अली अभि. सा. 5 (पीड़ित का पुत्र) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह पीड़ित के मकान में कार्य कर रहा था, अभियुक्त-व्यक्ति अर्थात् रहीम उद्दीन, साहेब अली, सुबुर, सोहराब, बबलू, निजाम, मुईन अली, उमर अली, कौमार अली, समसुल, बादशाह, संतेष, ऐनुल, बदर, जुमार अली और निशान यह उद्घोषणा करते हुए कि वहाब को पकड़ो और उसकी हत्या कर दो । मशीनी नाव से वहां पर पहुंचो, यह नारा दिया कि "वहाब को पकड़ो और उसकी हत्या कर दो" । अभियुक्त-व्यक्तियों को देखकर वे मकान से बाहर निकले और चलकर सोहराब के मकान में शरण ली । अभियुक्त ताजुद्दीन ने यह बताया कि अब्दुल वहाब सोहराब के मकान के अंदर था और तब सभी अभियुक्त-व्यक्ति मकान के अंदर घुसे और उन्होंने मकान का दरवाजा और दीवार तोड़ दी तथा पीड़ित को बाहर खींच कर लाए । इसके पश्चात्, सभी व्यक्तियों, अभियुक्त दाउ, लाठी आदि जो उनके द्वारा लाई गई थी उससे अब्दुल वहाब पर हमला किया । अभियुक्त-व्यक्तियों ने उस पर भी हमला किया । अभियुक्त संतेष और बादशाह ने जूट की रस्सी से पीड़ित को बांध दिया और इसके पश्चात् अभियुक्त मुईन और निशान, ऐनुल और बादशाह पीड़ित के शव को ब्रहमपुत्र नदी में फेंकने के लिए ले गए थे । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित उसके कथन में उसने अभियुक्त-व्यक्तियों के नाम पुलिस को बताए थे ।

21. रूपबानो (अभि. सा. 6) (पीड़ित की पुत्री) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह और उसकी माता जुलेखा खातुन (अभि. सा. 3) अपने मकान में भूमि की खुदाई कर रहे थे । उसके भाई रहीसाहिदुल, शरीफ

और अपनी भूमि पर अपने पिता (पीड़ित) के साथ काम कर रहे थे । उसी समय अभियुक्त-व्यक्ति रहीमउद्दीन, साहेब अली, साफेर अली, सोहराब, बबलू, निजाम, मुईन, उमर अली, कौमार अली, संतेष, बादशाह, समसुल, आजाद, बदर, निशान्त, ऐनुल और जुमर अली उसके पिता के मकान में घुसे और दरवाजे तोड़कर पीड़ित को घसीट कर बाहर लाए तथा पीड़ित पर दाउ, खंजर, लाठी, डंडा आदि से हमला किया । इसके पश्चात्, अभियुक्त संतेष और सोहराब ने जूट की रस्सी से पीड़ित को बांध दिया और ब्रहमपुत्र नदी में उसके शव को फेंकने के लिए उसे वहां पर लाया गया । घटना के चार दिन पश्चात् शव को बरामद किया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त-व्यक्तियों का विरोध करने का प्रयास किया, तब अभियुक्त ऐनुल द्वारा उस पर भी हमला किया गया था । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान यह बात भी प्रकट हुई थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष कथन अभिलिखित करते समय उसे अभियुक्त-व्यक्तियों के नामों के बारे में पता चला । तथापि, उसने उनके नामों का उल्लेख नहीं किया है बल्कि यह कथन किया है कि कुछ व्यक्तियों ने अब्दुल वहाब पर हमला करने के लिए उसका पीछा किया । इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी प्रकट हुआ कि उसने रहीमुद्दीन, निजाम, साहेब, बादशाह, उमर, ऐनुल और जूमर के नामों के बारे में पुलिस के समक्ष कोई उल्लेख नहीं किया है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि यद्यपि उसे सभी अभियुक्त-व्यक्तियों के नामों के बारे में पता है, उसने केवल 15/16 अभियुक्त-व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया है और शेष अभियुक्त-व्यक्तियों के नामों के बारे में कोई कथन नहीं किया है ।

22. अभि. सा. 7 के अनुसार, जब वह पीड़ित अब्दुल वहाब के मकान के निर्माण के कार्य में लगा हुआ था तब शाहजहान और अफजल भी साथ थे, अभियुक्त-व्यक्ति समद, साकेत, आजाद अली, समसुल, तालेब, ताजुद्दीन, अताब और अलफूदीन, लाठी और दाउ डंडे आदि से लैस होकर वहां पर पहुंचे और यह चिल्लाए कि "अब्दुल वहाब को पकड़ो" । उन्हें देखकर अब्दुल वहाब बाहर की ओर दौड़ा और उसने

सोहराब के मकान में शरण ली । उसने यह भी कथन किया है कि जब उन्होंने अब्दुल वहाब (पीड़ित) को बचाने की कोशिश की तब अभियुक्त सैय्याद, ताजुद्दीन, साकेत और आजाद अली तथा तालेब ने उस पर भी हमला किया । तथापि, इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।

23. अभि. सा. 8 सोहराब अली का पड़ोसी है जिसके मकान में पीड़ित ने शरण ली थी और उसने यह भी अभिसाक्ष्य किया है कि अभियुक्त समसुल, ताजुद्दीन, ने 5/6 अभियुक्तों के साथ वहाब का पीछा किया और पूर्वोक्त व्यक्तियों ने उसके मकान में अब्दुल वहाब की हत्या की । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि वह अपने मकान में था और भयभीत होने के कारण वह बाहर नहीं निकला और इसलिए, उसने इस वारदात को नहीं देखा कि किसने पीड़ित की हत्या की ।

24. अभि. सा. 10 (पीड़ित का पुत्र) ने उसी तरह यह भी कथन किया है कि जब वह अभि. सा. 1, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के साथ कार्य कर रहा था तब अभियुक्त-व्यक्ति अर्थात् रहीमुद्दीन, साहेब, साकेत, बबलू, अफाज, उमर, कौमार, मुईन, संतेष, बादशाह, बदर, जुनार और अजहर आदि नाव से घटना के स्थान पर पहुंचे, यह नाव बक्कार देवानी के नाम के व्यक्ति की थी । नाव से उन्होंने यह चिल्लाना शुरू किया कि वहाब को पकड़ो और उसको समाप्त कर दो । अभियुक्त-व्यक्तियों की बात सुनकर वे घर से बाहर निकले और सोहराब के मकान में उन्होंने शरण ली और अभियुक्त पीड़ित वहाब का पीछा करते हुए वहां पर पहुंचे और उन्होंने सोहराब के मकान को चारों ओर से घेर लिया । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त-व्यक्तियों ने सोहराब के मकान से पीड़ित को खींचकर बाहर लाए और उस पर दाउ, खंजर और लाठी आदि से हमला किया । जिस कारण पीड़ित की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । अभियुक्त-व्यक्तियों ने पीड़ित को बांध दिया और उसके शव को फेंकने के लिए ब्रहमपुत्र नदी पर ले गए । घटना के तीन-चार दिन के पश्चात् उसका शव ब्रहमपुत्र नदी के किनारे से बरामद हुआ था ।

25. अभि. सा. 11 (पीड़ित का पुत्र) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि

लगभग 6/7 बजे पूर्वाहन जब वह अपने पिता (पीड़ित) के साथ काम कर रहा था तब अभियुक्त-व्यक्तियों ने यह चिल्लाते हुए कि "अब्दुल वहाब को पकड़ो", उनके घर की ओर आए थे । अभियुक्त-व्यक्तियों को देखकर उन्होंने घर छोड़ दिया था और सोहराब अली के मकान में शरण ली थी । अभियुक्त-व्यक्ति रहीमुद्दीन, साहेब, साफर, बबलू, समसुल हक, संतेष, बादशाह, निजाम, ऐनुल, उमर, कमर, निशान, बदर और मुईन ने उसके पिता पीड़ित पर हमला किया और उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । अभियुक्त-व्यक्तियों ने पीड़ित के हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए और शव को ब्रहमपुत्र नदी में फेंक दिया ।

26. अभि. सा. 13 जिन्होंने नाविक होने पर यह अभिसाक्ष्य दिया कि रात्रि के लगभग 3.00 बजे अपराहन सफीकुल ने उससे यह अनुरोध किया कि नदी की ओर चलकर उसे पार किया जाए परंतु उसने इनकार कर दिया । तथापि, उक्त सफीकुल ने उस पर दबाव डाला और आठ से दस व्यक्ति ने नाव से ब्रहमपुत्र की उपनदी को पार किया और डेढ़ घंटे पश्चात् उसकी जानकारी में यह आया कि वहाब की हत्या कर दी गई है । उसने यह भी कथन किया कि 8/10 व्यक्ति में से जिन्होंने उसकी नाव से उस नदी को पार किया । वह उनको साकेत, साहेब, और निशान और उमर के नाम से जानता है । तथापि, वह बाकी अभियुक्त-व्यक्तियों की पहचान नहीं कर सकता ।

27. अभि. सा. 9 और अभि. सा. 14 अभिग्रहण सूची के साक्षी हैं और अभि. सा. 12 भी रिपोर्ट देने वाला साक्षी है जिसकी जानकारी में बाद में घटना घटने की बात सामने आई । अभि. सा. 15, अभि. सा. 16 और अभि. सा. 17 अन्वेषक अधिकारी हैं । तीनों अन्वेषक अधिकारी में से अभि. सा. 15 मुख्य अन्वेषक अधिकारी है जिनकी प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा विभेदों और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित साक्षी के पूर्ववर्ती कथन को साबित करने के लिए विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा की गई थी ।

28. अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 15 के मौखिक परिसाक्ष्य का उल्लेख करते हुए जिनके माध्यम से प्रतिरक्षा पक्ष ने पूर्ववर्ती कथन तथा कतिपय विभेदों और उसके मौखिक परिसाक्ष्य में विभेदताओं को साबित

करने की ईप्सा की है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षियों का न केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उनके पहले के कथनों में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में भी विभेद प्रकट हुए हैं, और उनके एक दूसरे के तात्विक तथ्यों के विरुद्ध भी विभेद प्रकट हुए हैं जिसमें भिन्न-भिन्न अभियुक्त-व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कार्य भी सम्मिलित हैं । विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि यद्यपि कुल मिलाकर 30 अभियुक्त-व्यक्तियों का अभि. सा. 1 द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नाम दिया गया था और केवल तीन अभियुक्त-व्यक्तियों अर्थात् आजाद अली, ताजुद्दीन और समसुल हक द्वारा प्रत्यक्ष कार्य किया जाना माना गया था । जबकि न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते हुए अभियोजन साक्षी जिसमें अभि. सा. 1 भी सम्मिलित है, ने स्पष्ट रूप से सभी अभियुक्त-व्यक्तियों के वैयक्तिक अधिकांश प्रत्यक्ष कार्य किया जाना माना गया था और इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के मौखिक साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सका । यह भी दलील दी गई कि अभियोजन साक्षी ने न्यायालय में प्रथम बार कुछ अभियुक्त-व्यक्तियों के नामों को बताया जिस बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 या 161 के अधीन पूर्व में अभिलिखित कथन में नहीं बताया गया था ।

29. हमने संपूर्ण रूप से साक्ष्य की छानबीन की और साक्ष्य पर हमारा मूल्यांकन यह है जो हमारी जानकारी में आया है कि अभियोजन साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य में कुछ बढ़ा-चढ़ाकर बातें की गई हैं । हमने अभि. सा. 15 के साक्ष्य में और अभियोजन साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य में ध्यान दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 तथा 164 में अभिलिखित पूर्ववर्ती कथन में कुछ लोप हुए थे । यह सुस्पष्ट है कि मामले में सामूहिक रूप से हमला हुआ था और व्यक्तियों की अधिक संख्या द्वारा वीभत्स रूप से हमला किया था और उसकी हत्या कर दी थी । प्रकटत: घटना के लगभग 10 वर्ष पश्चात् साक्ष्य अभिलिखित किया गया था और इसलिए अपरिवर्तित कुछ लोग और विभेद भी मामले में घटित हुए थे क्योंकि सनकी याददाश्त के कारण व्यक्तिगत बोध तथ्यों आदि के बारे में उनका अवलोकन किया गया था । अत:

भिन्नताएं और विभेद जो स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे और अभियोजन मामले की तह पर नहीं पहुंचते हैं या विभेद जो तात्विक नहीं हैं उनसे साक्षियों का संपूर्ण परिसाक्ष्य दुर्बल नहीं होता है जबकि साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए एक बात को विभेद में रखा जाना अपेक्षित है कि विश्वस्त तथ्य की स्थिति में तथा उसकी चारों ओर की परिस्थितियों में घटना घटी है । हमें यह भी पता है कि वर्तमान प्रकृति के अपराध के मामले में जो पूर्ववर्ती वैर-भाव के कारण प्रेरित हुआ था जहां व्यक्तियों की अत्यधिक संख्या अन्तर्वलित है, और साक्षियों की अधिसंभाव्यता खास तौर पर जो पीड़ित के निकट के नातेदार हैं और हितबद्ध हैं, उन्होंने यथासंभव कई व्यक्तियों को आरोपित करने की कोशिश की जो अन्य समूह से संबंधित हैं या क्रोधवश उनका संबंध रहा है जिस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती । साक्षियों की प्रवृत्ति खास तौर पर पीड़ित के नातेदारों ने कथन को बढ़ा-चढ़ाकर बनाने की कोशिश की जिससे अत्यधिक दंड को सुनिश्चित किया जाए या कम से कम यह सुनिश्चित किया जाए कि अपराध के कर्ताओं दंड से बचने के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा है और यह बात पूर्ण रूप से नैसर्गिक भी है और इसलिए बढ़ा-चढ़ाकर की गई बातों पर दिए गए साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जाता है ।

30. निष्पक्ष संवीक्षा और साक्ष्य के निर्धारण से यह प्रकट होता है कि यद्यपि कुल मिलाकर 30 व्यक्ति जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया है, अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 जिनमें से सभी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे । उन्होंने अपने-अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जिसमें उन्होंने अपीलार्थी रहीमुद्दीन, ऐनुल, बादशाह अली, सनसूल हक, बबलू, कौमार अली, बदर अली, उमर अली, आजाद, ताजुद्दीन, संतेष, मुईन **उर्फ** मयान, साहेब और निशान अली उनका वैयक्तिक रूप से प्रत्यक्ष कार्य किया जाना माना गया । तथापि, हमारा आगे संवीक्षा करने से यह भी प्रकट हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उनके अभिलिखित उनके पूर्ववर्ती कथनों में संतेष और मयान **उर्फ** मुईन

के नामों का किसी ने भी उल्लेख नहीं किया है । साहेब अली के नाम के बारे में किसी भी साक्षी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध पूर्ववर्ती कथन में भी उल्लेख नहीं किया गया है । इसलिए, जो कुछ भी हमने निष्कर्ष निकाला है कि जहां तक रहीमउद्दीन, ऐनुल, बादशाह अली, सनसूल हक, बबलू, कौमार अली, बदर अली, उमर अली, आजाद, ताजुद्दीन और निशान का संबंध है, ऊपर उल्लिखित सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य पूर्ण रूप से संगत था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रारंभ करने के सभी प्रक्रमों पर तथा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उनका अभिसाक्ष्य देने तक । तथापि, अभि. सा. 8 ने उन सभी के नामों का उल्लेख नहीं किया है जिसका कारण यह रहा कि स्वीकृतत: उसे संपूर्ण घटना के साक्षी होने का अवसर नहीं मिला क्योंकि अभि. सा. 8 के अनुसार वह भय के मारे घर से बाहर नहीं निकला । अभि. सा. 13 ने सभी साक्षी के नामों का उल्लेख भी नहीं किया क्योंकि केवल थोड़े से अभियुक्त-व्यक्तियों ने नाव से नदी को पार किया था और अन्य लोगों ने बक्कार नामक व्यक्ति से संबंधित दूसरी नाव को प्रयोग में लिया था । अत: साक्ष्य का हमारा निर्धारण के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊपर उल्लिखित 11 अभियुक्त-व्यक्तियों के शामिल होने के बारे में युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है ।

31. विद्वान् काउंसेल, श्री एच. आर. ए. चौधरी ने यह दलील दी कि अभियोजन साक्षियों का मौखिक परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता क्योंकि वह चिकित्सा साक्ष्य के विभेदकारी हैं और इस प्रकार विश्वास के योग्य नहीं हैं । चिकित्सा साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि पीड़ित को तीन कटी हुई क्षतियां पहुंची थी जो नुकीले धारदार आयुध से कारित करके उन क्षतियों का अस्थिभंग हुआ था जिसमें दाहिने कंधे के सामने का भाग भी था और दूसरी बाएं कंधे पर कारित की गई थीं और तीसरी कपाल के मध्य पर कारित की गई थीं । इसके अतिरिक्त उपरोक्त तीनों कटी हुई क्षतियां धारदार आयुध से कारित की गई थीं, पीड़ित के दोनों कलाई के संधियों पर बंध चिन्ह भी कारित किया गया था और जिसमें सूजन थी जबकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक

परिसाक्ष्य के अनुसार जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है कि आठ अभियुक्त-व्यक्तियों ने खंजर की भांति धारदार आयुध से पीड़ित को चोट पहुंचाई थी और अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों ने लाठी से पीड़ित पर हमला किया था । विद्वान् काउंसेल, श्री एच. आर. ए. चौधरी ने दलील देते हुए उपरोक्त साक्ष्य का उल्लेख किया है कि अभियोजन साक्षियों का मौखिक परिसाक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के प्रतिकूल है, और इसलिए, ऐसे मौखिक परिसाक्ष्य पर कोई विश्वास नहीं हो सकता है । इसके निवेदन पर विद्वान् काउंसेल ने **हरियाणा राज्य** बनाम **राम सिंह**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का भी अवलंब लिया । उक्त मामले के तथ्यों पर जहां चिकित्सा साक्ष्य पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के वृत्तांत का प्रभाव प्रतिकूल है, उच्चतम न्यायालय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य में विश्वास करने में अनिच्छुक था । **हरियाणा राज्य** बनाम **राम सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में तथ्य यह था कि सभी साक्षी हत्या किए जाने के मामले में कैदी के रूप में विचारण के अधीन थे और उन्हें पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाकर न्यायालय में लाया गया था और उन साक्षियों का साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के प्रतिकूल पाया गया था, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उन्हें विश्वसनीय नहीं पाया गया था ।

32. विधि में यह प्रकट नहीं है कि सभी मामलों में जहां चिकित्सा साक्ष्य का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के मौखिक साक्ष्य में विरोध है, इसलिए मौखिक परिसाक्ष्य को अस्वीकार किया जाता है बल्कि सुस्थिर विधि भिन्न रूप में है । **गंगा भवानी** बनाम **राया पाती वेंकटारेड्डी**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विश्वसनीय पाया जाता है, और चिकित्सा साक्ष्य से सभी वैकल्पिक अधिसंभाव्यताएं प्रकट होती हैं तब उसे निश्चायक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है । वर्तमान मामले में, प्रकटत: पीड़ित के धारदार आयुध से उसके शरीर पर तीन कटी हुई क्षतियां पाई गई थीं । जब अधिक संख्या में लोगों की भीड़ थी और अधिक संख्या में साक्षी

---

[1] (2002) 2 एस. सी. सी. 426 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 620.

[2] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3681.

नहीं थे और अधिकांश साक्षी पीड़ित के निकट के नातेदार थे और पीड़ित पर वीभत्स रूप से हमला किया गया था जिस पर अत्यधिक आघात लगा था और उनके नजदीक हत्या हुई थी । यह भी नैसर्गिक रूप से प्रकट हुआ है कि ऐसी स्थिति में साक्षियों के लिए यह संभव नहीं हो सकता कि वे बारीकी से इस बात का अवलोकन करें कि किसने कौन से आयुध से प्रहार किए थे । उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से यह आशा करना भी व्यर्थ है कि उन्होंने घटना में अति सटीकता के साथ क्या देखा था । वस्तुतः, पीड़ित के नजदीकी नातेदारों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर किए गए कथन की प्रवृत्ति से अपराधियों के दंड को सुनिश्चित करने में उलझन होती है । ऐसा भी हो सकता है कि यह तथ्य शेष रह जाता है कि पीड़ित ने तीन कटी हुई क्षतियों सहित कई क्षतियां प्राप्त की थीं, इसलिए, जब अत्यधिक व्यक्तियों ने पीड़ित पर हमला किया और उसकी मृत्यु कारित करने के लिए कई क्षतियां उसे पहुंचाई तब प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के वृत्तांत को मात्र इस कारण से दूर नहीं किया जा सकता कि कटी हुई क्षतियां जैसा कि डाक्टर की जानकारी में आया है कि उन्हें मौखिक परिसाक्ष्य में कही गई बातों के साथ तुलना नहीं की गई है उसका कारण यह रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य जो अभियुक्त-व्यक्तियों के शामिल होने के संबंध में है और धारदार आयुध से कारित की गई क्षतियां जो संगत थी और उस पर कही गई बातों में कोई दुर्बलता प्रकट नहीं होती है । ऐसा भी विभेद हो सकता है जब दो वृत्तांत पारस्परिक रूप से एक दूसरे को नष्ट करते हैं कि एक वृत्तांत पूर्ण रूप से नकारात्मक है या दूसरे वृत्तांत को अस्वीकार करवाता है । जब चिकित्सा साक्ष्य में यह कहा गया है कि पीड़ित को तीन कटी हुई क्षतियां पहुंची थी जिस पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के वृत्तांत में यह कहा गया है कि तीन व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारदार आयुध से पीड़ित को चोट पहुंचाई गई थी । चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बीच भिन्नता जो वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रकट हुई है उस पर सही अर्थ में विभेद होने की कल्पना नहीं की जा सकती । इसके अलावा तथ्य और परिस्थितियों तथा उस स्थान के वातावरण को ध्यान में रखते हुए जिसमें घटना घटी,

चिकित्सा साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच ऐसी भिन्नताएं जैसा कि ऊपर उपदर्शित है या पीड़ित को पहुंचाई गई क्षतियों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें जो स्वाभाविक प्रकृति की हैं उस पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई आधार नहीं है ।

33. श्री बी. के. महाजन ने अभि. सा. 1, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 के मौखिक परिसाक्ष्य और कच्चा नक्शा (प्रदर्श 7) का उल्लेख करते हुए यह दलील दी है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 के साक्ष्य से अपीलार्थी ताजुद्दीन को विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं ठहराया जा सकता है जिसका उसमें सामान्य उद्देश्य रहा हो या अध्यपेक्षित जानकारी उसमें रही हो । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 5 ने अपने-अपने साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि अभियुक्त ताजुद्दीन से यह दर्शित हुआ है कि वहाब, सोहराब के घर के अंदर था और तब अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों ने सोहराब के मकान को घेर लिया और वहाब पर हमला किया था । अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त-व्यक्ति आगे बढ़े और सोहराब के घर को पार किया तब ताजुद्दीन ने यह कहा कि "तुम कहां आगे की ओर बढ़ रहे हो ? अब्दुल वहाब सोहराब के मकान के अंदर है" तब सभी अभियुक्त-व्यक्तियों ने सोहराब के मकान को घेर लिया और पीड़ित पर हमला किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई । श्री महाजन ने यह दलील दी कि उपरोक्त साक्ष्य से यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि ताजुद्दीन सह गांव वासी रहा है और उसने सामान्य उद्देश्य में भागीदारी कि या वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य भी था, यद्यपि सह गांव वासियों के साथ दर्शक के रूप में घटना के स्थान पर मौजूद भी हो सकता है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1, 4, 5 और 7 के उपरोक्त साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि ताजुद्दीन और कुछ अन्य अभियुक्त-व्यक्ति जिनका उसके द्वारा नाम लिया गया । वे लाठी और दाउ, डन्डे आदि से लैस थे, उन्होंने यह पुकारते हुए "पीड़ित वहाब का पीछा किया कि अब्दुल वहाब को पकड़ लो ।" तथापि, अभि. सा. 7 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था । यह घिसी पिटी विधि है कि पक्षद्रोही साक्षी के परिसाक्ष्य को मान इस कारण से अभियोजन पक्ष द्वारा अगर अस्वीकार कर लिया जाता है तो उसे

अभिलेख से हटाया नहीं जाता । यदि पक्षद्रोही साक्षियों का मौखिक परिसाक्ष्य अन्य साक्ष्य के समर्थन में पाया जाता है, तब ऐसे पक्षद्रोही साक्षी के परिसाक्ष्य का अवलंब लेना या उस पर विश्वास करने में कोई वर्जन नहीं है । अभि. सा. 7 के परिसाक्ष्य से स्पष्टतया अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 को स्पष्ट रूप से समर्थन मिलता है जिसमें घटना के स्थान पर ताजुद्दीन की मौजूदगी को दर्शाया गया है जो अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों की पीड़ित को घसीटते समय उनकी सहायता करना बताया गया है, पीड़ित वहाब ने सोहराब अली के मकान पर शरण ली थी । अभि. सा. 8 और अन्य स्वतंत्र साक्षियों ने यह कथन किया है कि अन्य लोगों के साथ ताजुद्दीन ने वहाब का पीछा किया । तथापि, अभि. सा. 8 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने घटना को देखा था और वह अपने मकान से बाहर नहीं आया । जब अभि. सा. 8 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने पीड़ित का पीछा करते हुए अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों के साथ अभियुक्त ताजुद्दीन को देखा था तब अभियुक्त 8 का मौखिक परिसाक्ष्य जिस पर कोई खोट नहीं है केवल उसका भय के मारे मकान से बाहर नहीं आने पर अविश्वास नहीं किया जा सकता । उसके द्वारा संपूर्ण घटना को देखा जाना नहीं हो सकता या सभी अभियुक्त-व्यक्ति मकान से बाहर नहीं निकले थे परंतु जो कुछ भी उसने कथन किया है, उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अत्यधिक नैसर्गिक साक्षी है जो सोहराब का निकट का पड़ोसी रहा है, जिसके मकान में घटना घटी, और वास्तव में घटना के समय पर अभि. सा. 8 का अपने मकान में मौजूद होने के बारे में विवाद भी नहीं किया गया । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि ताजुद्दीन पीड़ित अब्दुल वहाब का पीछा करते हुए अभियुक्त-व्यक्तियों के साथ चल रहा था और वह ताजुद्दीन था जिसने सोहराब के मकान में पीड़ित को खोजने के लिए विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्यों की सहायता की, इस बात में कोई संदेह प्रकट नहीं होता है कि उसने (ताजुद्दीन) सामान्य उद्देश्य में भागीदारी की थी या कम से कम उसे इस बात की जानकारी थी कि पीड़ित अब्दुल वहाब को सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने के लिए

संभवतः उसकी हत्या की गई थी । यह भी सुस्पष्ट है कि अभियुक्त-व्यक्ति पीड़ित का पीछा करते हुए प्राणघातक आयुध से लैस थे और इस बारे में भी चिल्ला रहे थे कि "वहाब को पकड़ो हत्या करो" तथा ताजुद्दीन भी उनके साथ चल रहा था और उसने सक्रिय रूप से भागीदारी की और पीड़ित का पता लगाने के लिए अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन भी किया । उपरोक्त स्पष्ट साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई कारण नहीं पाया है कि ताजुद्दीन मात्र दर्शक था ।

34. अभियुक्त मुईन अली **उर्फ** मयान, संतेष अली के शामिल होने के बारे में हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से किसी ने भी अर्थात् अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 ने या तो घटना के तत्काल पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध अपने पूर्ववर्ती कथनों में या घटना के लगभग 12/13 दिन पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लेखबद्ध कथन में इन दो अभियुक्त-व्यक्तियों को आलिप्त नहीं किया है । इन दो अभियुक्त के बारे में कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाना नहीं माना गया था । तथापि, घटना के लगभग 10 वर्ष पश्चात् न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते समय सभी ऊपर उल्लिखित साक्षियों जो पीड़ित की पत्नी, पुत्र और पुत्रियां आदि हैं, उन्होंने विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कार्य किए जाने को मानते हुए उन्हें आलिप्त किए जाने की कोशिश की । इसलिए, अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 का मौखिक परिसाक्ष्य अभियुक्त संतेष अली और मुईन अली **उर्फ** मयान के शामिल होने के बारे में जिनका नाम न तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित पूर्व कथन में उल्लिखित है और न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन में, किसी भी साक्षी पर मुश्किल से विश्वास किया जाता है और इस प्रकार, हमारा विचारित मत यह है कि यह अभिनिर्धारित करना असुरक्षित होगा कि संतेष और मुईन दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से आरोपित अपराधों के भी दोषी हैं ।

35. जहां तक अभियुक्त/अपीलार्थी साहेब अली का संबंध है, किसी

भी साक्षी ने अभियुक्त साहेब अली (गांवबुराह) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित पूर्ववर्ती अपने कथन में आलिप्त नहीं किया है । मजिस्ट्रेट द्‌वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 6 जो पीड़ित का पुत्र और पत्नी है, उनको छोड़कर अन्य लोगों ने साहेब अली (गांवबुराह) को आलिप्त नहीं किया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी साधारण अभिकथन के सिवाय भी किसी अन्य प्रत्यक्ष कार्य को इस अपीलार्थी के बारे में किया हुआ नहीं माना गया है । तथापि, न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते समय अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 10 जो सभी पीड़ित के पुत्र, पुत्री और पत्नी निकट के नातेदार हैं जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, उन्होंने साहेब अली को आलिप्त किया है । हमारी यह भी जानकारी में आया है कि अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 दोनों स्वतंत्र साक्षी रहे हैं । उन्होंने अपीलार्थी साहेब अली (गांवबुराह) के नाम के बारे में अपने साक्ष्य में कोई भी उल्लेख नहीं किया है । इसलिए, अपीलार्थी साहेब अली (गांवबुराह) को केवल साक्षियों द्‌वारा प्रत्यक्ष रूप से आलिप्त किया गया था, जो पीड़ित के नातेदार थे जिन्होंने न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते समय उन्हें आलिप्त किया था । अत: इस मामले में जो कुछ भी प्रकट हुआ है यद्‌यपि सभी साक्षी पीड़ित के नातेदार हैं । उन्होंने अपीलार्थी साहिब अली के प्रत्यक्ष कार्य का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए न्यायालय के समक्ष आक्रामक रूख अपनाते हुए अभिसाक्ष्य दिया है, इन साक्षियों में से किसी ने भी दंड प्रकिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने पूर्ववर्ती कथन में उसके नाम का उल्लेख भी नहीं किया है और केवल अभि. सा. 1 और अभि. सा. 6 ने घटना के 12 दिन पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन परीक्षा के दौरान साहेब अली के नाम का उल्लेख किया है । पूर्ववर्ती कथन में तात्विक तथ्यों में ऐसे लोप जो साहेब अली के शामिल होने के बारे में न्यायालय के समक्ष मौखिक परिसाक्ष्य की विश्वसनीतया पर परदा डालता है क्योंकि सभी साक्षियों द्‌वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उनके पूर्ववर्ती कथनों में तात्विक तथ्यों पर विभेद है जिससे अपीलार्थी साहेब अली के शामिल होने के बारे में तात्विक

तथ्यों पर विभेद प्रकट करता है जिससे संदेह उत्पन्न होता है ।

36. **सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता (डा.) और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले के पैरा 35 का उल्लेख करना लाभदायक हो सकता है, उक्त निर्णय का विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एच. आर. ए. चौधरी द्वारा अवलंब लिया गया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया, जो इस प्रकार है :–

> "35. ऐसी दशा में, जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में शिकायतकर्ता या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में साक्षी ने कतिपय तथ्यों के बारे में नहीं बताया है परन्तु न्यायालय के समक्ष प्रथम बार अभियोजन पक्षकथन में लिए गए वृत्तांत जहां विश्वास की कमी है और तब ऐसा वृत्तांत को त्यक्त किया जाना चाहिए ।"

37. अपीलार्थी तालेब के शामिल होने के बारे में केवल अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7 ने अपने साक्ष्य में साधारणतया उसके नाम का उल्लेख किया है । उसने किसी विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कार्य को किया जाना नहीं माना गया है । तथापि, उनमें से किसी ने अपने पूर्ववर्ती कथन में उक्त अपीलार्थी तालेब के बारे में कथन नहीं किया है । अन्य अभियोजन साक्षी ने उसे आलिप्त भी नहीं किया है । इसी तरह, न्यायालय में साक्ष्य के दौरान प्रथम बार अभि. सा. 7 ने अपीलार्थी आलेप **उर्फ** आलेपुद्दीन को शामिल किया है, अभि. सा. 4 ने अपीलार्थी नेकीब और सय्यद को शामिल किया है । अभि. सा. 4, अभि. सा. 7, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 10 ने अभियुक्त साकेत को शामिल किया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 ने चानमियां को शामिल किया है । तथापि, उपरोक्त अभियोजन साक्षी में से किसी ने अपने पूर्ववर्ती कथन में अपीलार्थी नाकीब, साकेत, सय्यद, चानमियां और आलेप के नामों के बारे में कथन नहीं किया है । न्यायालय में दिए गए अपने साक्ष्य में उनके बारे में भी किसी प्रत्यक्ष कार्य को किया जाना नहीं माना गया था । अभि. सा. 1, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 10 ने

---

[1] (2010) 13 एस. सी. सी. 657 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 7049.

प्रथम बार न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते हुए अपीलार्थी जुमर अर्थात् झुमेर के नाम को शामिल किया है । तथापि, उनमें से किसी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 या 164 के अधीन अपने पूर्ववर्ती कथन में जुमर **उर्फ** झुमेर की मौजूदगी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है । अत: साक्ष्य जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है उस पर हमारा विचारित मत अपीलार्थी आलेप, तालेब, नकीब, जुमर **उर्फ** झुमेर, चानमियां, सय्यद और साकेत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दंड संहिता 149 के साथ अपराध कारित करने में शामिल करना अपर्याप्त था ।

38. संपूर्ण साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर, हमने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि साक्षियों में से किसी ने भी अभियुक्त अपीलार्थी काददूस अली, जबान अली, अनार, सोमेज, सूरतजमाल, अतवार और सोवेद अली को शामिल नहीं किया है । वास्तव में, इन सात व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य में अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य नहीं था । उनके बारे में अध्यपेक्षित सामान्य उद्देश्य या जानकारी या किसी अपराध में फंसाने वाली सामग्री के साथ विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, किसी भी साक्षी ने घटना के स्थान पर उनकी मौजूदगी के बारे में अभिसाक्ष्य नहीं दिया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में केवल यह प्रकट था कि जिसमें उन सात व्यक्तियों के नाम उनके द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य करने के बारे में सम्मिलित नहीं किया गया था । यह घिसी-पिटी विधि है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मूलभूत साक्ष्य नहीं है और उसका केवल विभेद या अपराध के कर्ता की संपुष्टि के लिए साधारण रूप से प्रयोग किया जा सकता है जब तक कि साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 या किसी उपबंध के अधीन साक्ष्य में नहीं दिया गया है । यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि अभि. सा. 1 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के कर्ता अभि. सा. 1 ने न्यायालय में अपने साक्ष्य में इन सातों अपीलार्थियों को भी शामिल नहीं किया है । अत:, हमारा विचारित मत यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के समक्ष किसी विधिक साक्ष्य का अभाव से केवल इन आठ अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है । तथापि, पुलिस द्वारा आरोपपत्रित सभी अभियुक्त-व्यक्तियों को दोषसिद्ध करते हुए

विद्‌वान् विचारण न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर दृष्टि ओझल करना पाया गया है, कि दंड संहिता की धारा 149 के साथ किसी अपराध में दोषी ठहराने के लिए आठ अपीलार्थियों को उपरोक्त रूप से नामित करने के लिए पूर्णतया कोई विधिक साक्ष्य नहीं पाया गया ।

39. अतः, संपूर्ण साक्ष्य का सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर हमारी विचारित राय यह है कि अभियुक्त अपीलार्थी अब्दुल काददूस, चानमियां, जुमर **उर्फ**, झुमार, जबान अली, साहेब अली (गांवबुराह), अनार अली, सामेज अली, सूरतजमाल, साबेद, संतेष, अतवार, नाकीब, आलेप, तालेब, साकेत, सय्यद और मुईन अली **उर्फ** मयान के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है । जहां तक अभियुक्त रहीमुद्दीन, ऐनुल, बादशाह, समसूल हक, बबलू, उमर अली, कौमार अली, बदर, ताजुद्दीन, निशान और आजाद का संबंध है, अभियोजन साक्ष्य सभी प्रक्रमों पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने से न्यायालय में परिसाक्ष्य देने पर संगत पाया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सभी संदेहों के परे यह सिद्ध किया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित 11 अभियुक्त अपीलार्थी अपने विरुद्ध आरोपित अपराधों से दोषी हैं ।

40. इसमें ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम जहां तक अपीलार्थी रहीमुउद्दीन, ऐनुल, बादशाह समसुल हक, बबलू, कौमार अली, बदर, उमर अली, ताजुद्दीन, निशान और आजाद की दोषसिद्धि और दंडादेश का संबंध है, उस पर विद्‌वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत हैं । तथापि, हमने अपीलार्थी चानमियां, काददूस अली, जबान अली, अनार, जुबेर, संतेष, सूरतजमाल, साबेद अली और मुईन अली **उर्फ** मयान, साकेत, आलेप, तालेब, नाकीब, अतवार, जुमर **उर्फ** झुमार, सय्यद और साहेब अली के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य पर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि युक्तियुक्त संदेह के परे आरोपों को साबित करना संपूर्ण रूप से अपर्याप्त है और इस प्रकार, हम ऊपर उल्लिखित अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं । तद्‌नुसार, अभियुक्त काददूस अली, चंदमाई, अनार, सुमेज, साबेद, जबान, साहेब अली (गांवबुराह), जुमार, सूरतजमाल, संतेष, सय्यद, साकेत और मुईन **उर्फ**

मयान और 2015 की दांडिक अपील सं. 157 और अपीलार्थी नाकीब आलेप, तालेब और अतवार के संबंध में 2015 की दांडिक अपील सं. 166 को मंजूर किया जाता है । अपीलार्थी रहीमुउद्दीन, ऐनुल, बादशाह, समसुल हक, बबलू, कौमार अली, बदर, उमर अली, ताजुद्दीन, निशान और आजाद के विरुद्ध अपील को खारिज किया जाता है ।

41. तद्नुसार, हम यह निदेश देते हैं कि अपीलार्थी काददूस अली, चानमियां, अनार, सौमेज, साहेब, साहिब अली (गांवबुराह), जुमर **उर्फ** झुमार, सूरतजमाल, संतेष, मुईन अली **उर्फ** मयान, नाकीब, आलेप, तालेब, अतवार, साकेत, जबान अली **उर्फ** जबान और सय्यद को यदि वे किसी मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तत्काल निर्मुक्त किया जाता है ।

42. तद्नुसार दोनों अपीलों का निपटारा किया जाता है ।

43. निर्णय की प्रति के साथ निचले न्यायालय के अभिलेख वापस भेजे जाते हैं । निर्णय की प्रति जेल अधीक्षक, बारपेटा को भी भेजा जाता है ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

आर्य.

मधुसूदन मुरारीलाल शर्मा

बनाम

ज्योत्सना निलेश शर्मा और अन्य

[2015 का दांडिक आवेदन (ए. पी. एल.) सं. 206]

तारीख 28 मार्च, 2019

न्यायमूर्ति रोहित बी. देव

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 2(क), (च) और धारा 19 – घरेलू हिंसा – साझी गृहस्थी में परिवादी और आवेदक के बीच प्रवेश और निकास के संबंध में विवाद – जहां परिवादी और आवेदक भवन के भिन्न-भिन्न तल पर निवास करते हैं वहां यह नहीं कहा जा सकता कि वे साझी गृहस्थी में रह रहे हैं या उनके बीच घरेलू नातेदारी है, अतः उक्त अधिनियम लागू न होने के कारण परिवाद अभिखंडनीय है ।

आवेदक-मधुसूदन मुरारीलाल शर्मा गैर-आवेदक श्रीमती ज्योत्सना निलेश शर्मा द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थित कार्यवाहियों की मान्यता को प्रश्नगत कर रहे हैं । कार्यवाहियों की मान्यता के आक्षेप को खामगांव के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट (न्यायालय सं. 1) द्वारा आदेश तारीख 5 फरवरी, 2014 द्वारा खारिज किया गया और आवेदक द्वारा किया गया दांडिक पुनरीक्षण सं. 46/2014 को निर्णय तारीख 8 अक्तूबर, 2014 के निर्णय द्वारा खामगांव के अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया । श्रीमती ज्योत्सना निलेश शर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल किया । परिवाद का सार यह है कि श्रीमती ज्योत्सना और उसके पति श्री निलेश शर्मा पैतृक मकान के दूसरे तल पर रह रहे हैं और आवेदक श्री मधुसूदन शर्मा भूमि तल और प्रथम तल पर रह रहे हैं । परिवाद में यह कथन है कि आवेदक श्री मधुसूदन शर्मा श्रीमती ज्योत्सना को अपने निवास का प्रवेश बन्द कर शारीरिक और मानसिक

रूप से तंग कर रहे हैं । न्यायनिर्णयन के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या परिवाद के परिकथनों को देखने से महिला संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अधीन संज्ञान लिया जा सकता है । उच्च न्यायालय द्वारा परिवाद खारिज करते हुए और आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – महिला संरक्षण अधिनियम का आशय उन महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना है जो ऐसे दुरुपयोगकर्ता के संबंध में है या रहे हैं जहां दोनों पक्षकार साझी गृहस्थी में एक साथ रह रहे थे और सगोत्रत, विवाह या विवाह या दत्तक ग्रहण प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधी हैं । ऐसे कुटुम्ब के सदस्यों के साथ संबंध जो संयुक्त कुटुम्ब के रूप में एकसाथ रहते हैं, को भी सम्मिलित किया गया है । विधान-मंडल का आशय निश्चित रूप से परिस्थितियों की परवाह किए बिना, अपराधी से संबंध या शिकायत की प्रकृति की परवाह किए बिना सभी व्यथित महिला को मंच और उपचार उपलब्ध कराना नहीं है । कानूनी स्कीम से यह प्रकट होता है कि महिला संरक्षण अधिनियम के उपबंध का आश्रय केवल ऐसे व्यथित व्यक्ति द्वारा ही लिया जा सकता है जो ऐसी महिला के रूप में परिभाषित है जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन होने का अभिकथन है । अधिकारितागत तथ्य जो संज्ञान लेने की पूर्व शर्त है, यह है कि (क) महिला को प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में होना चाहिए या रहा होना चाहिए, और (ख) उसे प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी कार्य का शिकार होना चाहिए । कानूनी रूप से परिभाषित घरेलू नातेदारी की यह पूर्व कल्पना है कि प्रत्यर्थी और परिवादी साझी गृहस्थी में एक साथ निवास करते थे या निवास कर चुके हैं जिसे इस तरह परिभाषित किया गया है कि ऐसी गृहस्थी जहां व्यथित व्यक्ति अकेले या प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में किसी समय रहते है या रह चुके हैं । गृहस्थी व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन या किराए पर या उनमें से किसी एक के स्वामित्वाधीन या किराए पर हो सकती है और ऐसे संयुक्त कुटुम्ब की हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी सदस्य है । यह कि क्या व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी का साझी गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, महत्वहीन है ।

प्रारम्भिक मुद्दा यह है कि क्या परिवादी श्रीमती ज्योत्सना इसमें आवेदक के साथ घरेलू नातेदारी में है या रह रही है जो श्रीमती ज्योत्सना के पति का भतीजा है । यदि परिवादी के प्रकथनों को उनके प्रत्यक्ष मूल्य को स्वीकार किया जाए तो यह प्रकट है कि आवेदक और श्रीमती ज्योत्सना घरेलू नातेदारी में नहीं थे । किसी भी समय आवेदक और श्रीमती ज्योत्सना साझी गृहस्थी में एक साथ नहीं रह रहे थे । यदि यह माना जाए जैसा परिवाद में प्रकथित है कि आवेदक और श्रीमती ज्योत्सना भिन्न-भिन्न तलों पर एक ही भवन में रह रहे हैं तो किसी भी कल्पना तक क्या यह कहा जा सकता है कि वह साझी गृहस्थी में एक साथ रह रहे थे । आवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री से यह इंगित होता है कि आवेदक के कुटुम्ब और परिवादी श्रीमती ज्योत्सना के पति के कुटुम्ब के बीच कई विवाद हैं । प्रवेश और निकास का एकमात्र मुद्दा जो महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन परिवाद में उठाया गया है, न्यायालयाधीन होना प्रतीत होता है । तथापि, विद्वान् काउंसेल श्रीमती आर. एस. सिरपूरकर का यह निवेदन है कि महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों का संस्थापन एक दूरस्थ हेतुक और तनावपूर्ण संबंध तथा परस्पर विवाद, जो न्यायालयाधीन है, से किया गया है । निवेदन पर कोई निर्णायक मत व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन परिवाद दुर्भाव से किया गया है । यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि पूर्ण परिवाद के पढ़ने से अधिकारितागत तथ्य जो कार्यवाहियों का संज्ञान लेने की अधिकारिता वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट के अधीन आता है, स्थापित नहीं होता है । परिवाद के प्रकथनों को स्वीकार करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि परिवादी श्रीमती ज्योत्सना आवेदक के साथ घरेलू नातेदारी में है या थी, जो श्रीमती ज्योत्सना के पति का भतीजा है । मामले के इस दृष्टिकोण से आवेदन मंजूर किए जाने योग्य है । (पैरा 8, 9 और 10)

आरम्भिक (दांडिक) अधिकारिता : 2015 का दांडिक आवेदन (ए. पी. एल.) सं. 206.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से — सुश्री आर. एस. सिरपूरकर और श्री एस. अग्रवाल

गैर-आवेदकों की ओर से — श्री एम. के. पठान, अपर लोक अभियोजक

आदेश

आवेदक-मधुसूदन मुरारीलाल शर्मा गैर-आवेदक श्रीमती ज्योत्सना निलेश शर्मा द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (संक्षेप में महिला संरक्षण अधिनयम) के अधीन संस्थित कार्यवाहियों की मान्यता को प्रश्नगत कर रहे हैं । कार्यवाहियों की मान्यता के आक्षेप को खामगांव के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट (न्यायालय सं. 1) द्वारा आदेश तारीख 5 फरवरी, 2014 द्वारा खारिज किया गया और आवेदक द्वारा किया गया दांडिक पुनरीक्षण सं. 46/2014 को निर्णय तारीख 8 अक्तूबर, 2014 के निर्णय द्वारा खामगांव के अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया ।

2. आवेदक के विद्वान् काउंसेल सुश्री आर. एस. सिरपूरकर और गैर-आवेदक सं. 2/महाराष्ट्र राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक को सुना । गैर-आवेदक सं. 1 श्रीमती ज्योत्सना निलेश शर्मा की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. आवेदक की ओर से विद्वान् काउंसेल सुश्री आर. एस. सिरपूरकर का यह निवेदन है कि महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन परिवाद विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है । यह निवेदन इस प्राख्यान पर निश्चयपूर्वक कहा गया है कि परिवादी और वर्तमान आवेदक महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2(त) के अर्थान्तर्गत "घरेलू नातेदारी" में नहीं थे/नहीं हैं । उक्त निवेदन का विस्तार यह है कि यदि परिवाद के प्रकथनों को देखा जाए, तो घरेलू हिंसा का कोई मामला नहीं बनता ।

4. पक्षपोषित निवेदन के संदर्भ में, तारीख 15 अक्तूबर, 2011 के परिवाद का परिशीलन करना आवश्यक होगा जो परिवादी श्रीमती ज्योत्सना द्वारा बुलधाना के महिला सहायता सेल (पुलिस) के पुलिस अधीक्षक को अग्रेषित किया गया है । उक्त परिवाद को अधिकारी द्वारा

नायब तहसीलदार को अग्रेषित किया गया जिन्होंने महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 5(1) (2) और धारा 17(3) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की । उक्त रिपोर्ट को बुलधाना के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 1 को अग्रेषित किया गया और महिला संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रकीर्ण दांडिक मामला 48/2012 रजिस्टर किया गया ।

इसमें आवेदक परिवादी ज्योत्सना के पति श्री निलेश शर्मते का चचेरा भाई है । श्रीमती ज्योत्सना संबद्ध अधिकारी को अग्रेषित परिवाद इस प्रकार है :-

"श्री लक्ष्मी गौतम, भा. पु. से.,

पुलिस अधीक्षक,

(महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के लिए राज्य सहायता) और महिला सहायता सेल (पुलिस), बुलधाना (महाराष्ट्र राज्य)

माननीय,

विषय :- असहाय महिला का दोषपूर्ण परिरोध - घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम और इसके अधीन नियम, 2006 के अधीन कार्रवाई का अनुरोध - शीघ्र सहायता का अनुरोध ।

काफी दुख और पीड़ा के साथ, मैं आपका ध्यान अपने ससुरालवालों के नातेदार द्वारा यातना के कारण 1-1/2 वर्ष से अधिक समय से स्वयं द्वारा झेली गई शारीरिक व्यथा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मेरा विवाह श्री निलेश के. शर्मा के साथ हुआ था और ऐसे ससुराल वालों की पैतृक संपत्ति के दूसरे तल पर रह रही थी जिसके नातेदार पहले और भूमि तल पर रह रहे हैं जहां से मेरे तल का प्रवेश है । पिछले एक वर्ष छह माह से, मेरे पति के चचेरे भाई श्री मधुसूदन एम. शर्मा (नीचे दिए गए पते के अनुसार) मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं । मुझे मेरे कमरों का प्रवेश बन्द कर दोषपूर्ण परिरोध में भी रखा गया है और

मैं चिकित्सीय उपचार के लिए जाने में असमर्थ हूं । मेरे पति ने पहले ही मुझे दोषपूर्ण परिरोध से बचाने के लिए कई प्राधिकारियों से सम्पर्क किया । किन्तु, पुलिस प्राधिकारी, आदि द्वारा आरम्भ किए गए उपाय और अभियुक्त व्यक्ति श्री मधुसूदन के विरुद्ध कई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल किए जाने के बावजूद वे विधि का पालन करने के लिए और न ही पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निदेशों को मानते हैं । तथापि, अभियुक्त व्यक्ति और उनके समर्थकों ने दुर्भाव से छद्म किया और किसी तरह मेरे मकान की बिजली का कनेक्शन कटवा दिया और मैं एक वर्ष से अधिक समय से अंधेरे कमरों में रह रही हूं । यह उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक क्रियाकलापों में लिप्त रहने के लिए कई आपराधिक मामले फाइल किए हैं जो इस प्रकार हैं :–

(अगले पृष्ठ पर सारणी देखें)

मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि मैं गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं और अच्छे अस्पताल में उपचार कराना चाहती हूं फिर भी, मैं अभियुक्त व्यक्ति और उनके समर्थकों द्वारा दोषपूर्ण परिरोध के कारण घर से निकलने में असमर्थ हूं । यदि मेरे साथ उचित बर्ताव नहीं किया गया, तो मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है । यदि ऐसी कोई बात होती है तो मेरे छोटे बच्चे अपने मां खो देंगे और उस दशा में, मुझे यह डर है कि मेरे बच्चे उनके द्वारा मार दिए जाएंगे ।

मैं आपसे अन्य बातों के साथ-साथ उस अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 और उसके अधीन नियम, 2008 के अधीन तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं जो विधि की दृष्टि में आदतन अपराधी है और महिला और असहाय के विरुद्ध गंभीर अपराध करने के कारण समाज में उपद्रवी है और उसे सलाखों के पीछे रखा जाए या उसे देश निकाला किया जाए ताकि शांतिप्रिय नागरिक और महिलाएं शांतिपूर्ण ढंग से जीवन-यापन कर सकें ।”

क्रम सं.	प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. और तारीख	भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अधीन	न्यायालय केस सं.	पक्षकार का नाम
01	165/08, 10-8-08	341, 143, 323 और 506	808/2008	राज्य ब. अधिवक्ता मधुसूदन शर्मा और अन्य
02	106/10, 26-6-2010	457, 380, 447, 448, 143, 147, 149, 323 और 341	107/2010	राज्य ब. अधिवक्ता मधुसूदन शर्मा और अन्य
03	114/10, 08-7-2010	341, 342, 343, 448 और 427	114/2010	राज्य ब. अधिवक्ता मधुसूदन शर्मा और अन्य
04	147/10, 10-10-2010	147, 148, 149, 324, 504, 506 और 427	56/11	राज्य ब. अधिवक्ता मधुसूदन शर्मा और अन्य
05	107/11, 02-8-2011	341, 343 और 143	अभिप्राप्त करना	राज्य ब. अधिवक्ता मधुसूदन शर्मा और अन्य
06	113/11, 13-8-2011	341	अभिप्राप्त करना	राज्य ब. अधिवक्ता मधुसूदन शर्मा और अन्य

5. परिवाद का सार यह है कि श्रीमती ज्योत्सना और उसके पति श्री निलेश शर्मा पैतृक मकान के दूसरे तल पर रह रहे हैं और आवेदक श्री मधुसूदन शर्मा भूमि तल और प्रथम तल पर रह रहे हैं । परिवाद में

यह कथन है कि आवेदक श्री मधुसूदन शर्मा श्रीमती ज्योत्सना को अपने निवास का प्रवेश बन्द कर शारीरिक और मानसिक रूप से तंग कर रहे हैं ।

6. न्यायनिर्णयन के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या परिवाद के परिकथनों को देखने से महिला संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अधीन संज्ञान लिया जा सकता है ।

महिला संरक्षण अधिनियम को संविधान के अधीन गारंटीकृत ऐसी महिलाओं के अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण का उपबंध करने जो कुटुम्ब के भीतर होने वाले किसी प्रकार की हिंसा के शिकार हैं और उससे संबद्ध या उससे आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया है । धारा 2(क) "व्यथित व्यक्ति" को इस प्रकार परिभाषित करती है :–

> "2(क) "व्यथित व्यक्ति" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है ।"

धारा 2(च) "घरेलू नातेदारी" को इस प्रकार परिभाषित करती है :–

> "2(च) 'घरेलू नातेदारी' से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं ।"

उपधारा 2(ध) "साझी गृहस्थी" को इस प्रकार परिभाषित करती है :–

> "2(ध) 'साझी गृहस्थी' से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अन्तर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और

प्रत्यर्थी के संयुक्तः स्वामित्व या किरायेदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किरायेदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अन्तर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुम्ब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है ।"

7. घरेलू हिंसा को धारा 3 में विस्तार से परिभाषित किया गया है । संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता आदि के शक्तियों और कर्तव्यों को धारा 4 से 11 को सम्मिलित करते हुए अध्याय 3 में स्पष्ट किया गया है । अध्याय 4 में अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख है । धारा 12(1) में यह उपबंध है कि कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए गैर-आवेदक द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है । धारा 17 में यह उपबंध है कि घरेलू नातेदारी की प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रदहित रखती हो या नहीं और यह कि उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग में बेदखल या उपवर्जित नहीं किया जाएगा । धारा 18 में संरक्षण आदेश का उपबंध है जो मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा यदि उसका प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है ।

धारा 19 में निवास आदेश का उपबंध है जो इस प्रकार है –

“निवास आदेश – (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश पारित कर सकेगा –

(क) प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से, किसी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने से या किसी अन्य रीति में उस कब्जे में विघ्न डालने से अवरुद्ध करना, चाहे, प्रत्यर्थी, उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रूप से हित रखता है या नहीं ;

(ख) प्रत्यर्थी को, उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निदेश देना ;

(ग) प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग में, जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है, प्रवेश करने से अवरुद्ध करना ;

(घ) प्रत्यर्थी को, किसी साझी गृहस्थी के अन्यसंक्रांत करने या व्ययनित करने या उसे विल्लंगमित करने से अवरुद्ध करना ;

(ङ) प्रत्यर्थी को, मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय, साझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से, अवरुद्ध करना ; या

(च) प्रत्यर्थी को, व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की आनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराए का संदाय करने, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करे, सुनिश्चित करने के लिए निदेश करना :

परन्तु यह कि खंड (ख) के अधीन कोई आदेश किसी व्यक्ति के, जो महिला है, विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की

किसी संतान की सुरक्षा के लिए, संरक्षण देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा या कोई अन्य निदेश पारित कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझे ।

(3) मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा किए जाने का निवारण करने के लिए प्रत्यर्थी से, एक बंधपत्र, प्रतिभुओं सहित या उनके बिना निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किया गया कोई आदेश समझा जाएगा और तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश को पारित करते समय, न्यायालय, उस व्यथित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए या उसकी सहायता के लिए या आदेश के क्रियान्वयन में उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को निदेश देते हुए आदेश भी पारित कर सकेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य संदायों के उन्मोचन से संबंधित बाध्यताओं को प्रत्यर्थी पर अधिरोपित कर सकेगा ।

(7) मजिस्ट्रेट, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में, संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है, निदेश कर सकेगा ।

(8) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का, जिसके लिए वह हकदार है, कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा ।"

धारा 20 से 22 धनीय अनुतोष, अभिरक्षा आदेश और प्रतिकर

आदेश के बारे में है जो महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में मंजूर/जारी किए जा सकते हैं ।

महिला संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का कथन इस प्रकार है :-

"घरेलू हिंसा निःसंदेह मानवीय अधिकारों का मुद्दा है और विकास के लिए गंभीर अवरोध है । 1994 के वियना समझौता और बीजिंग घोषणा कार्रवाई संबंधी मंच (1995) ने इसे अभिस्वीकार किया है । स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति से संबंधित कन्वेंशन (सीडो) विषयक संयुक्त राष्ट्र समिति ने अपनी साधारण सिफारिश सं. 12 (1989) में यह सिफारिश की है कि राज्य पक्षकारों को किसी भी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध, विशेष रूप से जो कुटुम्ब के भीतर हो रही है, स्त्रियों को संरक्षण देने के लिए कार्य करना चाहिए ।

2. घरेलू हिंसा की प्रवृत्ति व्यापक रूप से विद्यमान है किन्तु जन-साधारण क्षेत्र में वह अधिकतर अदृश्य रही है । इस समय, जहां किसी स्त्री के साथ उसके पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता की जाती है वहां वह भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध होती है । तथापि, सिविल विधि संपूर्णतः इस संप्रवृत्ति का समाधान नहीं है ।

3. अतः, यह प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों को दृष्टि में रखते हुए सिविल विधि के अधीन किसी उपचार का उपबंध करने वाली विधि को अधिनियमित किया जाए, जो घरेलू हिंसा का शिकार होने से स्त्रियों का संरक्षण करने और समाज में घरेलू हिंसा होने का निवारण करने के लिए आशयित हो ।

4. विधेयक, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है –

(i) यह उन स्त्रियों का समावेश करता है, जो दुर्व्यवहारी के साथ नातेदारी में हैं या रही है, जहां दोनों पक्षकार साझी

गृहस्थी में एक साथ रह चुके हैं और समरक्तता, विवाह द्वारा या दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं । इसके अतिरिक्त अविभक्त कुटुम्ब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्यों के साथ नातेदारियां भी सम्मिलित हैं । वे स्त्रियां भी, जो बहनें, विधवाएं, माताएं, एकल स्त्रियां हैं या जो दुर्व्यवहारी के साथ रह रही हैं, प्रस्तावित विधान के अधीन विधिक संरक्षण के लिए हकदार हैं । तथापि, विधेयक, किसी पत्नी या किसी स्त्री को, जो विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रह रही है, पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध प्रस्तावित अधिनियमिति के अधीन, कोई परिवाद फाइल करने में समर्थ बनाता है, यह पति या पुरुष भागीदार की किसी स्त्री नातेदार को पत्नी या स्त्री भागीदार के विरुद्ध परिवाद फाइल करने में समर्थ नहीं बनाता है ;

(ii) यह 'घरेलू हिंसा' अभिव्यक्ति को वास्तविक दुर्व्यवहार या धमकी या ऐसे दुर्व्यवहार को जो शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक है, सम्मिलित करने के लिए परिभाषित करता है । स्त्री या उसके नातेदारों से विधिविरुद्ध दहेज संबंधी मांगों के रूप में उत्पीड़न भी इस परिभाषा के अन्तर्गत आएगा ;

(iii) यह आवास सुनिश्चित करने के लिए स्त्रियों के अधिकारों के लिए उपबंध करता है । यह किसी स्त्री के, उसके दांपत्य निवास या साझी गृहस्थी में रहने के अधिकार का भी उपबंध करता है, भले ही वह ऐसे निवास या गृहस्थी में कोई हक या अधिकार रखती है या नहीं । यह अधिकार ऐसे निवास आदेश द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है ;

(iv) यह किसी मजिस्ट्रेट को व्यथित व्यक्ति के पक्ष में प्रत्यर्थी का, घरेलू हिंसा के किसी कार्य या किसी अन्य विनिर्दिष्ट कार्य में सहायता करने से या उसे करने से, व्यथित

व्यक्ति द्वारा किसी कार्यस्थल या किसी अन्य स्थल पर जहां व्यथित व्यक्ति बार-बार आता जाता है, प्रवेश करने से, उसके साथ बातचीत करने के प्रयत्न से, दोनों पक्षकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी आस्ति को पृथक् करने से और व्यथित व्यक्ति, उसके नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध उसकी सहायता करते हैं, निवारण करने के लिए संरक्षण आदेश पारित करने के लिए सशक्त करता है ;

(v) यह व्यथित व्यक्ति को उसकी चिकित्सीय परीक्षा, विधिक सहायता, सुरक्षित संश्रय आदि प्राप्त करने के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के रूप में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और गैर सरकारी संगठनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करता है ।"

8. महिला संरक्षण अधिनियम का आशय उन महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना है जो ऐसे दुरुपयोगकर्ता के संबंध में है या रहे हैं जहां दोनों पक्षकार साझी गृहस्थी में एक साथ रह रहे थे और सगोत्रत, विवाह या विवाह या दत्तक ग्रहण प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधी हैं । ऐसे कुटुम्ब के सदस्यों के साथ संबंध जो संयुक्त कुटुम्ब के रूप में एकसाथ रहते हैं, को भी सम्मिलित किया गया है । विधान-मंडल का आशय निश्चित रूप से परिस्थितियों की परवाह किए बिना, अपराधी से संबंध या शिकायत की प्रकृति की परवाह किए बिना सभी व्यथित महिला को मंच और उपचार उपलब्ध कराना नहीं है । कानूनी स्कीम से यह प्रकट होता है कि महिला संरक्षण अधिनियम के उपबंध का आश्रय केवल ऐसे व्यथित व्यक्ति द्वारा ही लिया जा सकता है जो ऐसी महिला के रूप में परिभाषित है जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन होने का अभिकथन है । अधिकारितागत तथ्य जो संज्ञान लेने की पूर्व शर्त है, यह है कि (क) महिला को प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में होना चाहिए या रहा होना चाहिए, और (ख) उसे प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी कार्य का शिकार होना चाहिए । कानूनी रूप से परिभाषित घरेलू नातेदारी की

यह पूर्व कल्पना है कि प्रत्यर्थी और परिवादी साझी गृहस्थी में एक साथ निवास करते थे या निवास कर चुके हैं जिसे इस तरह परिभाषित किया गया है कि ऐसी गृहस्थी जहां व्यथित व्यक्ति अकेले या प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में किसी समय रहते हैं या रह चुके हैं । गृहस्थी व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी द्‌वारा संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन या किराए पर या उनमें से किसी एक के स्वामित्वाधीन या किराए पर हो सकती है और ऐसे संयुक्त कुटुम्ब की हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी सदस्य है । यह कि क्या व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी का साझी गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, महत्वहीन है ।

9. प्रारम्भिक मुद्दा यह है कि क्या परिवादी श्रीमती ज्योत्सना इसमें आवेदक के साथ घरेलू नातेदारी में है या रह रही है जो श्रीमती ज्योत्सना के पति का भतीजा है । यदि परिवादी के प्रकथनों को उनके प्रत्यक्ष मूल्य को स्वीकार किया जाए तो यह प्रकट है कि आवेदक और श्रीमती ज्योत्सना घरेलू नातेदारी में नहीं थे । किसी भी समय आवेदक और श्रीमती ज्योत्सना साझी गृहस्थी में एक साथ नहीं रह रहे थे । यदि यह माना जाए जैसा परिवाद में प्रकथित है कि आवेदक और श्रीमती ज्योत्सना भिन्न-भिन्न तलों पर एक ही भवन में रह रहे हैं तो किसी भी कल्पना तक क्या यह कहा जा सकता है कि वह साझी गृहस्थी में एक साथ रह रहे थे ।

10. आवेदक द्‌वारा प्रस्तुत सामग्री से यह इंगित होता है कि आवेदक के कुटुम्ब और परिवादी श्रीमती ज्योत्सना के पति के कुटुम्ब के बीच कई विवाद हैं । प्रवेश और निकास का एकमात्र मुद्दा जो महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन परिवाद में उठाया गया है, न्यायालयाधीन होना प्रतीत होता है । तथापि, विद्‌वान् काउंसेल श्रीमती आर. एस. सिरपूरकर का यह निवेदन है कि महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों का संस्थापन एक दूरस्थ हेतुक और तनावपूर्ण संबंध तथा परस्पर विवाद, जो न्यायालयाधीन है, से किया गया है । निवेदन पर कोई निर्णायक मत व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन परिवाद दुर्भाव से किया गया है । यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि पूर्ण परिवाद के पढ़ने से

अधिकारितागत तथ्य जो कार्यवाहियों का संज्ञान लेने की अधिकारिता वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट के अधीन आता है, स्थापित नहीं होता है । परिवाद के प्रकथनों को स्वीकार करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि परिवादी श्रीमती ज्योत्सना आवेदक के साथ घरेलू नातेदारी में है या थी, जो श्रीमती ज्योत्सना के पति का भतीजा है । मामले के इस दृष्टिकोण से आवेदन मंजूर किए जाने योग्य है ।

11. परिवाद की संधार्यता के आक्षेप को खारिज करने वाले तारीख 5 फरवरी, 2014 के आदेश सहित प्रकीर्ण दांडिक आवेदन सं. 48/2012 की कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाता है ।

12. अनुरोध खंड (1) के निबंधनानुसार आवेदन मंजूर किया जाता है जो इस प्रकार है :-

"(1) इस आवेदन को मंजूर करें और उपाबंध 7 पर प्रकीर्ण दांडिक आवेदन संख्या 48/2012 में खामगांव के विद्वान् प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रदर्श 19 द्वारा तारीख 5 फरवरी, 2014 के आदेश को अभिखंडित और अपास्त करें तथा उपाबंध 9 पर दांडिक पुनरीक्षण सं. 46/2014 में प्रदर्श 13 द्वारा खामगांव के अपर सेशन न्यायालय द्वारा पारित तारीख 8 अक्तूबर, 2014 के आदेश को अभिखंडित और अपास्त करें ।"

आवेदन मंजूर किया गया ।

पा.

सुब्रह्मणि और अन्य

बनाम

राज्य

(2012 की दांडिक अपील सं. 160 और 335)

तारीख 20 मार्च, 2019

न्यायमूर्ति डा. जी. जयाचन्द्रन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 148, 149, 352, 294(ख) और 324 – विधिविरुद्ध जमाव – अभियुक्तों द्‌वारा किए गए हमले से घटना के छह दिन बाद मृतक की मृत्यु होना – इत्तिलाकर्ता का आंशिक रूप से हमलावर होना – अभियुक्तों को कारित हुई क्षतियों का अभियोजन पक्ष द्‌वारा छिपाया जाना – चिकित्सक के साक्ष्य का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से मेल न खाना – चिकित्सक ने यह उल्लेख किया है कि मृतक पर चार व्यक्तियों द्‌वारा हमला किया गया था जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से पता चलता है कि छह व्यक्तियों द्‌वारा हमला किया गया था, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है और की गई दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं होगी ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 173 – पुलिस रिपोर्ट – कार्यवाही का बन्द किया जाना – एक ही घटना से दो मामलों का उद्भूत होना – तथ्य की भूल – दोनों पक्षों के विरुद्ध साक्ष्य का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना - एक ही घटना से उद्भूत किसी मामले और प्रति मामलें में यदि अन्वेषण अधिकारी की राय में एक मामला तथ्य की भूल के आधार पर दर्ज किया गया है तब ऐसी स्थिति में वह उस मामले को बन्द नहीं कर सकता अर्थात् दूसरे पक्ष के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकता और उसका कर्तव्य दोनों ओर के साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करना है, अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

इस मामले में अभियुक्त और आहत एक ही ग्राम के रहने वाले हैं । विजयरंगन (अभियुक्त 6) वाणी (अभि. सा. 5) से विवाह करने के लिए इच्छुक था । किन्तु वाणी, शंकर (अभि. सा. 1) से प्रेम करती थी और उसके साथ तारीख 21 जनवरी, 2008 को वाणी का विवाह हो गया । इस संबंध में दोनों परिवारों के बीच शत्रुता हो गई । तारीख 23 जून, 2009 को अपराह्न लगभग 10.30 बजे शंकर (अभि. सा. 1) और उसका साला/जीजा रंजीत जब हीरो स्पलेंडर मोटरसाइकिल से जा रहा था, तब उसने मुत्थू (अभियुक्त 1) और राजेन्द्रन को टक्कर मार दी जो उस समय साइकिल पर सवार थे । इस घटना के तुरन्त पश्चात् अपराह्न लगभग 10.45 बजे मुत्थू (अभियुक्त 1) और अन्य अभियुक्त (अभियुक्त 2 से 6) मलार (अभि. सा. 2) के घर पर आए जो वाणी (अभि. सा. 5) की बहिन है और मर्गबंदू (मृतक) के परिवार के सदस्यों को गालियां देने लगे । यह सुनकर मृतक मर्गबंदू और उसके पुत्र शंकर (अभि. सा. 1), बाबू (अभि. सा. 3) और गणेशन (अभि. सा. 6) घटनास्थल पर आए । इन सब व्यक्तियों पर लकड़ी के डंडों से अभियुक्त 1 से अभियुक्त 6 द्वारा अंधाधुंध हमला किया गया । मर्गबंदू को अस्पताल में भर्ती कराया गया और तारीख 29 जून, 2008 को उसकी मृत्यु हो गई । शंकर अभि. सा. 1 की शिकायत तारीख 24 सितंबर, 2008 को प्रत्यर्थी पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई जिसके आधार पर मामला सं. 227/2008 रजिस्ट्रीकृत किया गया । मृतक मर्गबंदू, शंकर (अभि. सा. 1), गणेशन (अभि. सा. 6), बाबू और रंजित के विरुद्ध शान्ति (अभियुक्त 5) की शिकायत (जिसमें शान्ति और विजयरंगन अर्थात् अभियुक्त 6 पर हमला किए जाने का अभिकथन किया गया था) तारीख 25 जून, 2008 को मामला सं. 228/2008 के रूप में दर्ज की गई । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, शान्ति (अभियुक्त 5) की शिकायत पर की जाने वाली कार्यवाही तथ्य की भूल मानकर बंद कर दी गई । अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण अभिलेख के आधार पर, विचारण न्यायालय ने मुत्थू (अभियुक्त-1), सुब्रह्मणि (अभियुक्त-2), तिलागावती (अभियुक्त-3), वीरामणि (अभियुक्त-4), शांति (अभियुक्त-5) और विजयरंगन (अभियुक्त-6) के विरुद्ध निम्न आरोप विरचित किए :–

क्रम सं.	अभियुक्त	आरोप
1.	अभियुक्त-1 से अभियुक्त-6	दंड संहिता की धारा 148
2.	अभियुक्त-1	दंड संहिता की धारा 294(ख)
3.	अभियुक्त-1 से अभियुक्त-3	दंड संहिता की धारा 302
4.	अभियुक्त-2 से अभियुक्त-6	दंड संहिता की धारा 352
5.	अभियुक्त-4 से अभियुक्त-6	दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302

अभियोजन पक्ष के 16 साक्षियों (अभि. सा. 1 से अभि. सा. 16) की परीक्षा करने के पश्चात् एक प्रतिरक्षा साक्षी (प्रतिरक्षा साक्षी 1), 19 अभियोजन प्रदर्श (प्रदर्श पी. 1 से पी. 19), चार प्रतिरक्षा दस्तावेज (प्रदर्श डी. 1 से डी. 4), 6 तात्विक वस्तु (तात्विक वस्तु 1 से 6) का परिशीलन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त 1 से अभियुक्त 6 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 148 ; अभियुक्त 1 को दंड संहिता की धारा 324 और 294 (ख); अभियुक्त-2 को दंड संहिता की धारा 324 और अभियुक्त-3 से अभियुक्त-6 को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया । दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अभियुक्त-2, अभियुक्त-4, अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 द्वारा दांडिक अपील सं. 160/2012 प्रस्तुत की गई । अभियुक्त-3 द्वारा दांडिक अपील सं. 335/2012 प्रस्तुत की गई । सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 148 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया । अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 को दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया । अभियुक्त-3 से अभियुक्त-6 को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 324 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि दोनों परिवारों के बीच शत्रुता थी और घटना के ठीक पहले अपराह्न लगभग 10.45 बजे अभि. सा. 1 और रंजीत ने अपनी मोटरसाइकिल से मुत्थू और राजेन्द्रन में टक्कर मारी थी । घटनास्थल कलाथुमेडू है । यह स्थल शांति (अभियुक्त-5) और मलाद (अभि. सा. 2) के मकान के सामने स्थित है । शांति (अभियुक्त-5) की शिकायत उस अस्पताल से सबसे पहले पुलिस में दी गई जहां शांति को उपचार के लिए भर्ती किया गया था । पुलिस ने मामला सं. 360/2008 दर्ज करने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जो शंकर (अभि. सा. 1) द्वारा तारीख 24 जून, 2009 को अपराह्न 11.30 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने अड्कंबराई अस्पताल में उससे पूछताछ की थी । अभि. सा. 13 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मर्गबंदू को तारीख 23/24 जून, 2008 की मध्य-रात्रि में अस्पताल में भर्ती कराया गया था । इस साक्षी ने पूर्वाह्न लगभग 1 बजे मर्गबंदू की चिकित्सा-परीक्षा की थी । अतः, तारीख 24 जून, 2008 को अपराह्न 11.30 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में जो विलंब हुआ है वह महत्वपूर्ण है और यह रिपोर्ट एक ही घटना से उद्भूत प्रति-शिकायत के आधार पर दर्ज कराई गई है । यह विलंब अनदेखा किए जाने योग्य नहीं है । अभि. सा. 2 के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि मुत्थू के अपशब्दों को सुनने पर यह साक्षी अपने घर से बाहर आई । इसके पश्चात् मर्गबंदू और अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचे । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा यह पूरी तरह स्वीकार किया गया है कि मर्गबंदू और अन्य व्यक्तियों के घटनास्थल पर पहुंचने तक कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था । तारीख 24 जून, 2008 को पूर्वाह्न लगभग 1 बजे अभिलिखित दुर्घटना रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 12) में चिकित्सक ने यह उल्लेख किया है कि मर्गबंदू ने यह बताया था कि उस पर चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में, जो कि घटना के 24 घन्टे बाद दर्ज कराई गई थी, यह उल्लेख किया गया कि 6 व्यक्तियों ने मिलकर हमला किया है । अतः, बनावटी, मिथ्या या फर्जी सूचना दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ।

प्रतिरक्षा पक्ष ने प्रदर्श डी. 3 और प्रदर्श डी. 4 प्रदर्शित किए हैं जिनसे यह पता चलता है कि अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 को क्षतियां पहुंची हैं । अगले दिन पूर्वाहन 10.45 बजे तक वे सरकारी अस्पताल, वेलोर पहुंच गए । सरकारी अस्पताल जाने के पूर्व अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 की चिकित्सा परीक्षा की गई । प्रतिरक्षा साक्षी-1 ने अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 के सिर पर विदीर्ण घाव देखे । अभियुक्त-6 के सिर पर प्राइवेट चिकित्सक द्वारा टांके लगाए गए थे । प्रतिरक्षा साक्षी-1 और अभि. सा. 13 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि 23/24 जून, 2008 की मध्यरात्रि में कलाथमेडू के अंपूडी ग्राम में दो दलों में झगड़ा हुआ था । दोनों ही दलों के सदस्यों को क्षतियां पहुंचीं । पुलिस ने आरंभ में यह पाया कि वास्तविक शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने हमला किया है । इसके पश्चात् मर्गबंदू की गंभीर दशा देखकर और यह देखते हुए कि उसे चेन्नई के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और तत्पश्चात् तारीख 29 जून, 2008 को उसकी मृत्यु हो गई है, अभि. सा. 1 और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 'तथ्य की भूल' के आधार पर कार्यवाही उपशमित कर दी गई । इस प्रकार, उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य सहित उपरोक्त तथ्यों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह अवधारित किया जा सकता है कि मृतक, अभि. सा. 1, अभि. सा. 6, रंजीत और बाबू के विरुद्ध दर्ज प्रति मामला सं. 228/2008 का संबंध इस मामले के अपीलार्थियों/अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज मामले से है । प्रतिरक्षा पक्ष के अनुसार वर्तमान मामले में अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 को उक्त घटना में क्षतियां पहुंची हैं और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है । ऊपर निर्दिष्ट सामग्री और साक्ष्य के आधार पर प्रतिरक्षा पक्ष के अभिवाक से इनकार नहीं किया जा सकता । अभियोजन सामग्री, साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर प्रतिरक्षा पक्ष अपनी प्रतिरक्षा साबित करने में सफल हुआ है । (पैरा 12, 13, 14, 16, 20 और 21)

एक ही घटना से उद्भूत किसी मामले और प्रति-मामले में अन्वेषण अधिकारी की यदि यह राय हो कि इनमें से एक मामला 'तथ्य की भूल' के आधार पर दर्ज किया गया है, तब ऐसी स्थिति में वह दूसरे पक्ष के

विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकता । अन्वेषण अधिकारी का कर्तव्य दोनों पक्षकारों के विरुद्ध अपराधजन्य सामग्री प्रस्तुत करना है ताकि न्यायालय उसके आधार पर विनिश्चय कर सके । अन्वेषण अधिकारी के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अभियुक्तों को कारित हुई क्षतियों को छिपाए और आगे अन्वेषण किए बिना शिकायत पर की जाने वाली कार्यवाही बंद कर दे । अपनी दलील के समर्थन में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि जब एक ही घटना से उद्भूत दो मामले दर्ज किए जाएं तब एक ही न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय के माध्यम से उनका निपटारा उसी ही दिन किया जाना चाहिए । एक ही घटना से उद्भूत दो दांडिक मामलों को कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा एक साथ मिलाकर मामला और प्रति-मामला (केस और काउंटर केस) कहा गया है और कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा मामला और प्रति-मामला (केस और क्रास केस) कहा गया है । 1920 में मद्रास उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ (न्यायमूर्ति वालर और कार्निश) ने गोरीपार्थी कृष्टम्मा वाले मामले में यह मत व्यक्त किया है कि "एक ही घटना से उद्भूत मामले और प्रति-मामले का विचारण, यदि व्यवहारिक हो, एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए और प्रत्येक पक्षकार को निर्दोष आहत और साथ ही हमलावर समझा जाना चाहिए ।" (पैरा 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2001] (2001) 2 एस. सी. सी. 688 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 826 :
सुधीर और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** ; 18

[1954] ए. आई. आर. 1954 मद्रास 15 :
बोयागज्जी पेडा वेंकटन्ना उर्फ **बोडेन्ना और अन्य** । 19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 160 और 335.

2010 के सेशन विचारण मामला सं. 45 में विद्वान् अपर जिला

और सेशन न्यायालय, वेलोर द्वारा तारीख 20 फरवरी, 2012 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री एस. सन्तकुमारी और श्री डी. ए. सुगुमार

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री कृतिका कमल पी. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायमूर्ति डा. जी. जयाचन्द्रन – ये दोनों अपीलें 2010 के सेशन विचारण मामला सं. 45 में विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायालय, वेलोर द्वारा तारीख 20 फरवरी, 2012 को पारित निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई हैं ।

2. इस मामले में अभियुक्त और आहत एक ही ग्राम के रहने वाले हैं । विजयरंगन (अभियुक्त 6) वाणी (अभि. सा. 5) से विवाह करने के लिए इच्छुक था । किन्तु वाणी, शंकर (अभि. सा. 1) से प्रेम करती थी और उसके साथ तारीख 21 जनवरी, 2008 को वाणी का विवाह हो गया । इस संबंध में दोनों परिवारों के बीच शत्रुता हो गई । तारीख 23 जून, 2009 को अपराह्न लगभग 10.30 बजे शंकर (अभि. सा. 1) और उसका साला/जीजा रंजीत जब हीरो स्पलेंडर मोटरसाइकिल से जा रहा था, तब उसने मुत्थू (अभियुक्त 1) और राजेन्द्रन को टक्कर मार दी जो उस समय साइकिल पर सवार थे । इस घटना के तुरन्त पश्चात् अपराह्न लगभग 10.45 बजे मुत्थू (अभियुक्त 1) और अन्य अभियुक्त (अभियुक्त 2 से 6) मलार (अभि. सा. 2) के घर पर आए जो वाणी (अभि. सा. 5) की बहिन है और मर्गबंदू (मृतक) के परिवार के सदस्यों को गालियां देने लगे । यह सुनकर मृतक मर्गबंदू और उसके पुत्र शंकर (अभि. सा. 1), बाबू (अभि. सा. 3) और गणेशन (अभि. सा. 6) घटनास्थल पर आए । इन सब व्यक्तियों पर लकड़ी के डंडों से अभियुक्त 1 से अभियुक्त 6 द्वारा अंधाधुंध हमला किया गया । मर्गबंदू को अस्पताल में भर्ती कराया गया और तारीख 29 जून, 2008 को उसकी मृत्यु हो गई । शंकर (अभि. सा. 1) की शिकायत तारीख 24 सितंबर, 2008 को प्रत्यर्थी पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई जिसके आधार

पर मामला सं. 227/2008 रजिस्ट्रीकृत किया गया । मृतक मर्गबंदू, शंकर (अभि. सा. 1), गणेशन (अभि. सा. 6), बाबू और रंजीत के विरुद्ध शान्ति (अभियुक्त 5) की शिकायत (जिसमें शान्ति और विजयरंगन अर्थात् अभियुक्त 6 पर हमला किए जाने का अभिकथन किया गया था) तारीख 25 जून, 2008 को मामला सं. 228/2008 के रूप में दर्ज की गई । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, शान्ति (अभियुक्त 5) की शिकायत पर की जाने वाली कार्यवाही तथ्य की भूल मानकर बंद कर दी गई ।

3. अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण अभिलेख के आधार पर, विचारण न्यायालय ने मुत्थू (अभियुक्त-1), सुब्रह्मणि (अभियुक्त-2), तिलागावती (अभियुक्त-3), वीरामणि (अभियुक्त-4), शांति (अभियुक्त-5) और विजयरंगन (अभियुक्त-6) के विरुद्ध निम्न आरोप विरचित किए :–

क्रम सं.	अभियुक्त	आरोप
1.	अभियुक्त-1 से अभियुक्त-6	दंड संहिता की धारा 148
2.	अभियुक्त-1	दंड संहिता की धारा 294(ख)
3.	अभियुक्त-1 से अभियुक्त-3	दंड संहिता की धारा 302
4.	अभियुक्त-2 से अभियुक्त-6	दंड संहिता की धारा 352
5.	अभियुक्त-4 से अभियुक्त-6	दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302

4. अभियोजन पक्ष के 16 साक्षियों (अभि. सा. 1 से अभि. सा. 16) की परीक्षा करने के पश्चात् एक प्रतिरक्षा साक्षी (प्रतिरक्षा साक्षी 1), 19 अभियोजन प्रदर्श (प्रदर्श पी. 1 से पी. 19), चार प्रतिरक्षा दस्तावेज (प्रदर्श डी. 1 से डी. 4), 6 तात्विक वस्तु (तात्विक वस्तु 1 से 6) का परिशीलन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त 1 से अभियुक्त 6 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 148 अभियुक्त-1 को दंड संहिता की धारा 324 और 294 (ख) अभियुक्त-2 को दंड संहिता की धारा 324

और अभियुक्त 3 से अभियुक्त-6 को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया ।

5. दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अभियुक्त-2, अभियुक्त-4, अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 द्वारा दांडिक अपील सं. 160/2012 प्रस्तुत की गई । अभियुक्त-3 द्वारा दांडिक अपील सं. 335/2012 प्रस्तुत की गई । सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 148 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया । अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 को दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया । अभियुक्त-3 से अभियुक्त-6 को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 324 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया ।

6. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 (वास्तविक शिकायतकर्ता), अभि. सा. 2 अर्थात् जिसके साथ अभियुक्त का अभिकथित झगड़ा आरंभ हुआ है, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 16) के अभिसाक्ष्यों का परिशीलन करते हुए यह दलील दी कि घटना शांति (अभियुक्त-5) के घर के सामने घटित हुई थी । वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) और उसके परिवार के सदस्यों ने हमला किया था । ये सभी व्यक्ति हथियारों से लैस होकर आए थे और अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 पर हमला किया । अन्य अभियुक्त बीच-बचाव के लिए आए थे । इस झगड़े में मर्गबंदू कलाथुमेडू के सीमेन्ट से बने फर्श पर गिर गया । डा. शिवराज (अभि. सा. 13) जिसने तारीख 24 जून, 2008 को मर्गबंदू का उपचार किया, उसने उसके सिर पर कोई भी बाह्य क्षति नहीं देखी । घटना की इस रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 12) में केवल माथे की दाएं ओर गुमटे और नाक से रक्तस्राव होने का उल्लेख किया गया है । रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि रोगी को चक्कर आ रहे थे और वह अर्ध-चेतना अवस्था में था ।

7. प्रतिरक्षा पक्ष ने प्रदर्श डी. 1 से प्रदर्श डी. 4 दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं जिनसे यह तथ्य प्रकट होता है कि तारीख 25 जून, 2008 को लगभग अपराहन 11 बजे अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 पर मर्गबंदू और अन्य व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था । वे नशे की हालत में आए थे और अभियुक्त-5 के साथ झगड़ा करने लगे । इस झगड़े में

अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 को क्षतियां पहुंची । प्रतिरक्षा साक्षी-1 तथा डा. रविचन्द्रन ने उनका उपचार सरकारी अस्पताल, वेलोर में बाह्य रोगी के रूप में किया और क्षति प्रमाणपत्र प्रदर्श डी. 3 और प्रदर्श डी.4 जारी किए । उक्त शिकायत (प्रदर्श डी. 1) के अनुसरण में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 228/2008 दर्ज की गई । गणेशन (अभि. सा. 6) और रंजीत को अभिरक्षा में लिया गया और प्रदर्श डी. 2 के अनुसार रिमांड पर भेज दिया गया । उक्त तथ्य के बावजूद अभि. सा. 16 ने प्रति-मामले को छिपाया और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

8. विचारण न्यायालय प्रति-शिकायत और अभियुक्तों को पहुंची क्षतियों पर विचार करने में असफल रहा है । विचारण न्यायालय इस पर भी विचार नहीं कर सका कि महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया है । शिकायत दर्ज कराने और न्यायालय को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भेजने में हुए विलंब से संदेह की गुंजाइश हो जाती है । चूंकि दोनों पक्षकारों को क्षतियां पहुंची हैं और घटनास्थल अभियुक्त-5 के मकान के सामने था, इसलिए वर्तमान मामले और प्रति-मामले में समुचित रूप से अन्वेषण किया जाना चाहिए था । पुलिस के स्थायी आदेश के अनुसार अन्वेषण अधिकारी को चाहिए कि वह प्रति-मामले से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सहित सभी सामग्री, आहतों के कथन और उनके क्षति प्रमाणपत्र विचारण न्यायालय द्वारा समुचित मूल्यांकन किए जाने के लिए मूल मामले के साथ संलग्न करने चाहिए ताकि उचित विनिश्चय किया जा सके । स्वीकृततः, अन्वेषण अधिकारी ने प्रति-मामले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा लिया है । इसीलिए, अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं ।

9. इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि प्रति-मामला तथ्य की भूल के आधार पर बंद कर दिया गया था क्योंकि अन्वेषण के दौरान कोई भी संघीय अपराध या अपराधिता प्रकट नहीं हुई है ताकि इन अपराधों के लिए अभियुक्तों का विचारण किया जाता । विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जिसे प्रति-शिकायत के साथ संबद्ध किया जा सके क्योंकि ऐसा करना अधिक

सुसंगत और महत्वपूर्ण नहीं था फिर भी प्रदर्शों और अभियुक्तों द्‌वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने उन प्रदर्शों का परिशीलन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि आहतों ने हमला नहीं किया है । चूंकि प्रतिरक्षा के पक्षकथन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव प्रति-मामले से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने से नहीं पड़ता है ।

10. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने में हुए विलंब के संबंध में विद्‌वान् सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि यह घटना तारीख 23 जून, 2008 को अपराह्न लगभग 10.45 बजे घटित हुई थी । आहत मर्गबंदू को अम्पूंडी से वेलोर अड्डुकमबराई अस्पताल लाया गया था । अभि. सा. 1 मर्गबंदू का पुत्र है और आहत साक्षी है जो तारीख 24 अप्रैल, 2008 को अपराह्न 11.30 बजे वीरइंजीपुरम आए थे और शिकायत (प्रदर्श पी. 14) प्रस्तुत की । शिकायत दर्ज कराने में जो विलंब हुआ है उसका कारण वास्तविक शिकायतकर्ता को अपने आहत पिता को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना था । विचारण न्यायालय ने तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार हुए विलंब से अभियोजन पक्षकथन असंभावी नहीं होता है ।

11. अपीलार्थियों के विद्‌वान् काउंसेल और प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले सरकारी अधिवक्ता की सुनवाई की गई है । प्रदर्शों और अभिसाक्ष्यों का परिशीलन किया गया है ।

12. अभियोजन साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि दोनों परिवारों के बीच शत्रुता थी और घटना के ठीक पहले अपराह्न लगभग 10.45 बजे अभि. सा. 1 और रंजीत ने अपनी मोटरसाइकिल से मुत्थू और राजेन्द्रन में टक्कर मारी थी । घटनास्थल कलाथुमेडू है । यह स्थल शांति (अभियुक्त-5) और मलाद (अभि. सा. 2) के मकान के सामने स्थित है । शांति (अभियुक्त-5) की शिकायत उस अस्पताल से सबसे पहले पुलिस में दी गई जहां शांति को उपचार के लिए भर्ती किया गया था । पुलिस ने मामला सं. 360/2008 दर्ज करने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जो शंकर (अभि. सा. 1) द्‌वारा तारीख 24 जून, 2009 को अपराह्न 11.30 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत की गई थी ।

13. अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने अड्डुकमबराई अस्पताल में उससे पूछताछ की थी । अभि. सा. 13 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मर्गबंदू को तारीख 23/24 जून, 2008 की मध्यरात्रि में अस्पताल में भर्ती कराया गया था । इस साक्षी ने पूर्वाह्न लगभग 1 बजे मर्गबंदू की चिकित्सा परीक्षा की थी । अतः, तारीख 24 जून, 2008 को अपराह्न 11.30 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में जो विलंब हुआ है वह महत्वपूर्ण है और यह रिपोर्ट एक ही घटना से उद्भूत प्रति-शिकायत के आधार पर दर्ज कराई गई है । यह विलंब अनदेखा किए जाने योग्य नहीं है । अभि. सा. 2 के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि मुत्थू के अपशब्दों को सुनने पर यह साक्षी अपने घर से बाहर आई । इसके पश्चात् मर्गबंदू और अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचे ।

14. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा यह पूरी तरह स्वीकार किया गया है कि मर्गबंदू और अन्य व्यक्तियों के घटनास्थल पर पहुंचने तक कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था । तारीख 24 जून, 2008 को पूर्वाह्न लगभग 1 बजे अभिलिखित दुर्घटना रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 12) में चिकित्सक ने यह उल्लेख किया है कि मर्गबंदू ने यह बताया था कि उस पर चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में, जो कि घटना के 24 घन्टे बाद दर्ज कराई गई थी, यह उल्लेख किया गया कि 6 व्यक्तियों ने मिलकर हमला किया है । अतः, बनावटी, मिथ्या या फर्जी सूचना दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ।

15. यह घटना कलाथुमेडू (धान आदि सुखाने के लिए खुला मैदान) में घटित हुई है । कच्चे नक्शे (प्रदर्श पी. 15) से यह उपदर्शित होता है कि कलाथुमेडू सीमेन्ट से बना हुआ फर्श है । मर्गबंदू को प्रथम बार देखने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 13) ने यह अभिलिखित किया है कि उसके सिर पर कोई भी बाह्य क्षति कारित नहीं हुई है । शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सिर में जो क्षति के चिह्न दिखाई देते हैं शल्य चिकित्सा के कारण बने हैं । शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सिर पर क्षति शल्य चिकित्सा के दौरान कारित हुई है । अतः, यह स्पष्ट है कि मर्गबंदू को जल्दबाजी में

सिर में आन्तरिक क्षतियां पहुंची हैं । यही कारण है, कि उसकी नाक से रक्तस्राव हो रहा था और उसको कोई भी बाह्य क्षति कारित नहीं हुई है जैसा कि अभि. सा. 13 द्वारा देखा गया है ।

16. प्रतिरक्षा पक्ष ने प्रदर्श डी.3 और प्रदर्श डी.4 प्रदर्शित किए हैं जिनसे यह पता चलता है कि अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 को क्षतियां पहुंची हैं । अगले दिन पूर्वाह्न 10.45 बजे तक वे सरकारी अस्पताल, वेलोर पहुंच गए । सरकारी अस्पताल जाने के पूर्व अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 की चिकित्सा परीक्षा की गई । प्रतिरक्षा साक्षी-1 ने अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 के सिर पर विदीर्ण घाव देखे । अभियुक्त-6 के सिर पर प्राइवेट चिकित्सक द्वारा टांके लगाए गए थे । प्रतिरक्षा साक्षी-1 और अभि. सा. 13 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि 23/24 जून, 2008 की मध्यरात्रि में कलाधुमेडू के अंपूडी ग्राम में दो दलों में झगड़ा हुआ था । दोनों ही दलों के सदस्यों को क्षतियां पहुंची । पुलिस ने आरंभ में यह पाया कि वास्तविक शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने हमला किया है । इसके पश्चात् मर्गबंदू की गंभीर दशा देखकर और यह देखते हुए कि उसे चेन्नई के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और तत्पश्चात् तारीख 29 जून, 2008 को उसकी मृत्यु हो गई है, अभि. सा. 1 और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 'तथ्य की भूल' के आधार पर कार्यवाही उपशमित कर दी गई ।

17. एक ही घटना से उद्भूत किसी मामले और प्रति-मामले में अन्वेषण अधिकारी की यदि यह राय हो कि इनमें से एक मामला 'तथ्य की भूल' के आधार पर दर्ज किया गया है, तब ऐसी स्थिति में वह दूसरे पक्ष के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकता । अन्वेषण अधिकारी का कर्तव्य दोनों पक्षकारों के विरुद्ध अपराधजन्य सामग्री प्रस्तुत करना है ताकि न्यायालय उसके आधार पर विनिश्चय कर सके ।

18. अन्वेषण अधिकारी के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अभियुक्तों को कारित हुई क्षतियों को छिपाए और आगे अन्वेषण किए बिना शिकायत पर की जाने वाली कार्यवाही बंद कर दे । अपनी दलील के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने **सुधीर और अन्य** बनाम **मध्यप्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का

---

[1] (2001) 2 एस. सी. सी. 688 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 826.

अवलंब लिया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि जब एक ही घटना से उद्भूत दो मामले दर्ज किए जाएं तब एक ही न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय के माध्यम से उनका निपटारा उसी ही दिन किया जाना चाहिए । एक ही घटना से उद्भूत दो दांडिक मामलों को कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा एक साथ मिलाकर मामला और प्रति-मामला (केस और काउंटर केस) कहा गया है और कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा मामला और प्रति-मामला (केस और क्रॉस केस) कहा गया है । 1920 में मद्रास उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ (न्यायमूर्ति वालर और कार्निश) ने गोरीपार्थी कृष्टम्मा (1929 मद्रास वीकली नोट्स 881) वाले मामले में यह मत व्यक्त किया है कि "एक ही घटना से उद्भूत मामले और प्रति-मामले का विचारण, यदि व्यवहारिक हो, एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए और प्रत्येक पक्षकार को निर्दोष आहत और साथ ही हमलावर समझा जाना चाहिए ।"

19. **बोयागज्जी पेडा वेंकटन्ना** उर्फ **बोडेन्ना और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने गोरीपार्थी कृष्टम्मा (उपरोक्त) वाले मामले के पश्चात् पैरा 12 में निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

> "12. एक ही घटना से उद्भूत, जैसा कि इस मामले में है शिकायत और प्रति-शिकायत के आधार पर दर्ज मामलों में अन्वेषण अधिकारी को प्रति-शिकायत को भी प्रदर्शित करना चाहिए और उस अधिकारी को भी साक्षी बनाना चाहिए जिसमे वह प्रति-शिकायत अभिलिखित की है और न्यायालय में प्रति-शिकायत से संबंधित चिकित्सा प्रमाणपत्रों को भी साबित किया जाना चाहिए । हम ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष से चाहेंगे कि वह विरोधी पक्षकार को क्षतियां कारित होने के संबंध में स्पष्टीकरण दे । ऐसे मामलों में सच्चाई का पता आसानी से नहीं लग सकता इसलिए दोनों शिकायतों पर विचार करना आवश्यक होता है । यदि वर्तमान मामले में प्रदर्श डी.10 अन्वेषण अधिकारी की राय में प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ एक मिथ्या शिकायत है और प्रतिरक्षा साक्षी 2 को कारित क्षतियां इस प्रकृति की हैं कि मानो उसने स्वयं कारित की

[1] ए. आई. आर. 1954 मद्रास 15.

हैं, फिर भी अभियोजन पक्ष को प्रदर्श डी. 10 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए था ताकि न्यायालय उन्हें खारिज कर पाता । यह तथ्य कि शिकायत प्रदर्श डी. 10 फाइल की गई थी और यह कि इसे मिथ्या शिकायत माना गया था और यह कि प्रतिरक्षा साक्षी 2 को क्षतियां पहुंची थी, ऐसे सुसंगत तथ्य हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष को न्यायालय के समक्ष स्वयं ही प्रस्तुत करना चाहिए था बजाय इसके कि प्रतिरक्षा पक्ष प्रस्तुत करे ।"

20. इस प्रकार, उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य सहित उपरोक्त तथ्यों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह अवधारित किया जा सकता है कि मृतक, अभि. सा. 1, अभि. सा. 6, रंजीत और बाबू के विरुद्ध दर्ज प्रति मामला सं. 228/2008 का संबंध इस मामले के अपीलार्थियों/ अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज मामले से है ।

21. प्रतिरक्षा पक्ष के अनुसार वर्तमान मामले में अभियुक्त-5 और अभियुक्त-6 को उक्त घटना में क्षतियां पहुंची हैं और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है । ऊपर निर्दिष्ट सामग्री और साक्ष्य के आधार पर प्रतिरक्षा पक्ष के अभिवाक् से इनकार नहीं किया जा सकता । अभियोजन सामग्री, साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर प्रतिरक्षा पक्ष अपनी प्रतिरक्षा साबित करने में सफल हुआ है ।

22. परिणामतः, दांडिक अपीलें मंजूर की जाती हैं । तारीख 20 फरवरी, 2012 को पारित विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी/अभियुक्त दोषमुक्त किए जाते हैं और यदि वे अन्य किसी मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल छोड़ा जाता है । यदि जुर्माने की किसी रकम का संदाय किया गया है तो उसका प्रतिदाय किया जाए । जमानतपत्र, यदि कोई निष्पादित किए गए हैं, रद्द किए जाते हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

अस.

हरदास खामसिंह ताडवी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2011 की दांडिक अपील सं. 564)

तारीख 10 मई, 2019

न्यायमूर्ति सुश्री वंदना कसरेकर और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 304 भाग-II और धारा 53 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा मृतक पर अभिकथित रूप से चाकू से हमला किया जाना – प्रकोपन का अभिवाक – अपराध करने के आशय, तैयारी या पूर्वचिन्तन का अभाव – अपीलार्थी ने आवेश की तीव्रता में मृतक को केवल एक क्षति अचानक कारित की है और उस पर पुनः हमला नहीं किया है यद्यपि ऐसा करने के लिए उसके पास अवसर था जिससे यह प्रतीत होता है कि उसका आशय हत्या कारित करने का नहीं था, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 304 भाग-II के अधीन ही की जा सकती है ।

संक्षेप में इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 27 अगस्त, 2010 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे जब अपीलार्थी हरदास अपनी द्वितीय पत्नी इपूबाई को अपने घर के सामने गालियां दे रहा था तब उस समय इपूबाई की बहिन अपने पति सरदार तथा पुत्र विक्रम और दामाद गोविन्द के साथ मामले को शान्त करने के लिए वहां पहुंची और उन्होंने अपीलार्थी हरदास को इस प्रकार गालियां देने से मना किया और उन्होंने उसके इस कृत्य पर खिन्नता प्रकट की, इस पर अभियुक्त हरदास ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया । मांगीबाई ने चाकू पकड़ने का प्रयास किया जिस कारण उसके बाएं हाथ के अंगूठे में क्षति कारित हुई । इसके पश्चात् अभियुक्त ने सरदार की हत्या करने के आशय से

मांगीबाई को एक ओर धक्का देते हुए सरदार की गर्दन के पीछे नीचे की ओर वक्ष पर चाकू से हमला किया जिसके कारण सरदार नीचे गिर गया और उसके घाव से रक्त बहने लगा और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई । विक्रम और गोविन्द ने हरदास को पकड़ने का प्रयास किया किन्तु वह भाग गया । इसके पश्चात्, मृतक की पत्नी मांगीबाई ने सरपंच राम सिंह को इस घटना के बारे में बताया और सरपंच ने मोबाइल फोन द्वारा पुलिस को सूचित किया । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नेहातीनालिशी (प्रदर्श पी. 9) के आधार पर मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 10) अभिलिखित की गई । अगले दिन अर्थात् तारीख 25 अगस्त, 2010 को प्रातःकाल शव (प्रदर्श पी. 2) का पंचनामा तैयार किया गया और घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी प्राप्त की गई । स्थलनक्शा (प्रदर्श पी. 12) तैयार किया गया और इसके पश्चात् शव (प्रदर्श पी. 21) को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । अभियुक्त को तारीख 27 अगस्त, 2010 को गिरफ्तार किया गया । मामले का अन्वेषण आरंभ किया गया और दंड संहिता की धारा 302 और 323 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और उसे सम्यक् रूप से विचारण के लिए भेज दिया गया । अभियुक्त ने दोषी होने से इनकार किया और यह कथन किया कि उसे इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को ऊपर कथित रूप में अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतक निकट नातेदार हैं । अभियुक्त अपनी द्वितीय पत्नी इपूबाई को गाली दे रहा था और उस समय मांगीबाई अर्थात् इपूबाई की बहिन अपने पति सरदार तथा अपने पुत्र विक्रम और दामाद गोविन्द के साथ मामले को शान्त कराने पहुंची और उन्होंने उससे गालियां न देने को कहा और इस पर खिन्न होकर अभियुक्त हरदास ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और सरदार की गर्दन के नीचे वक्ष पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप

वह नीचे गिर गया और उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । उक्त घटना से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्‌वारा कारित की गई क्षति अचानक प्रकोपन का परिणाम थी और इस अपराध को कारित करने के लिए कोई भी आशय, तैयारी या पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया था । यह घटना अचानक घटित हुई है जिसका कारण यह था कि मृतक ने मामले को शांत करने का प्रयास किया था । क्षति आवेश की तीव्रता में अचानक कारित की गई है । अपीलार्थी ने मृतक सरदार के वक्ष पर गर्दन के नीचे अचानक हमला किया है । उसने पुनः हमला नहीं किया है और न ही पुनः हमला करने का प्रयास किया है, यद्‌यपि, ऐसा करने के लिए उसके पास पूर्ण अवसर था । उसने इस स्थिति का कोई भी अनुचित लाभ नहीं उठाया है । साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होता है कि उसका आशय मृतक की हत्या करने का था । इसके प्रतिकूल, यह प्रतीत होता है कि केवल आक्रोश में आकर उसने अचानक चाकू से वार किया है जिसके परिणामस्वरूप मृतक की गर्दन पर क्षति कारित हुई और दुर्भाग्यवश वह उसके जीवन के लिए घातक साबित हुई । अतः, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी का मामला इस पर पूरी तरह खरा उतरता है कि इस घटना में अचानक लड़ाई हुई है, कोई भी पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया है, आवेश की तीव्रता में कृत्य किया गया है और हमलावर ने कोई भी अनुचित लाभ नहीं उठाया है और न ही उसने क्रूरतापूर्ण रीति में कृत्य किया है, इसलिए यह मामला दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध की परिधी में नहीं आता है बल्कि यह धारा 304, भाग-II के अधीन आता है । परिणामतः, अपील भागतः मंजूर की जाती है । अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अधीन अपराध की दोषसिद्धि में परिवर्तित किया जाता है और कारावास की अवधि को घटाकर पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितना किया जाता है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए यह निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को, यदि वह अन्य किसी दांडिक मामले में वांछित नहीं है, तत्काल अभिरक्षा से मुक्त किया जाए । (पैरा 13 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 471 : **गुरुपाल सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	8
[2017]	ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1150 : **अर्जुन और एक अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य ;**	9
[2017]	ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 2614 : **सिकन्दर अली** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	11
[2017]	ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 3847 : **माधवन और अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	12
[2016]	ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 2292 = (2016) क्रिमिनल ला जर्नल 2937 : **प्रभाकर विट्ठल घोलवे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	10
[2016]	(2016) क्रिमिनल ला जर्नल 2727 : **अन्नामलाई** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ।	6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 564.

2010 के सेशन विचारण मामला सं. 207 में पंचम अपर सेशन न्यायाधीश, खरगौन द्वारा तारीख 25 फरवरी, 2011 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री ए. के. तिवारी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री वीरेन्द्र खाडव (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुश्री वंदना कसरेकर ने दिया ।

न्या. कसरेकर – यह अपील 2010 के सेशन विचारण मामला सं. 207 में पंचम अपर सेशन न्यायाधीश, जिला खरगौन, द्वारा तारीख 25 फरवरी, 2011 को पारित उस निर्णय से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता"

कहा गया है) की धारा 302 और 323 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और क्रमशः आजीवन कारावास तथा तीन मास के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । सभी दंडादेशों के साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया ।

2. संक्षेप में इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 27 अगस्त, 2010 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे जब अपीलार्थी हरदास अपनी द्वितीय पत्नी इपूबाई को अपने घर के सामने गालियां दे रहा था तब उस समय इपूबाई की बहिन अपने पति सरदार तथा पुत्र विक्रम और दामाद गोविन्द के साथ मामले को शान्त करने के लिए वहां पहुंची और उन्होंने अपीलार्थी हरदास को इस प्रकार गालियां देने से मना किया और उन्होंने उसके इस कृत्य पर खिन्नता प्रकट की, इस पर अभियुक्त हरदास ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया । मांगीबाई ने चाकू पकड़ने का प्रयास किया जिस कारण उसके बाएं हाथ के अंगूठे में क्षति कारित हुई । इसके पश्चात् अभियुक्त ने सरदार की हत्या करने के आशय से मांगीबाई को एक ओर धक्का देते हुए सरदार की गर्दन के पीछे नीचे की ओर वक्ष पर चाकू से हमला किया जिसके कारण सरदार नीचे गिर गया और उसके घाव से रक्त बहने लगा और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई । विक्रम और गोविन्द ने हरदास को पकड़ने का प्रयास किया किन्तु वह भाग गया । इसके पश्चात्, मृतक की पत्नी मांगीबाई ने सरपंच राम सिंह को इस घटना के बारे में बताया और सरपंच ने मोबाइल फोन द्वारा पुलिस को सूचित किया । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नेहातीनालिशी (प्रदर्श पी. 9) के आधार पर मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 10) अभिलिखित की गई । अगले दिन अर्थात् तारीख 25 अगस्त, 2010 को प्रातःकाल शव (प्रदर्श पी. 2) का पंचनामा तैयार किया गया और घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी प्राप्त की गई । स्थलनक्शा (प्रदर्श पी. 12) तैयार किया गया और इसके पश्चात् शव (प्रदर्श पी. 21) को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । अभियुक्त को तारीख 27 अगस्त, 2010 को गिरफ्तार किया गया । मामले का अन्वेषण आरंभ किया गया और दंड संहिता की धारा 302 और 323 के अधीन अपराध के लिए

अभियुक्त के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और उसे सम्यक् रूप से विचारण के लिए भेज दिया गया । अभियुक्त ने दोषी होने से इनकार किया और यह कथन किया कि उसे इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को ऊपर कथित रूप में अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने वर्तमान अपील फाइल की है ।

3. यद्यपि, अपीलार्थी ने यह अपील कई आधारों पर फाइल की है किन्तु अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दलील के दौरान यह निवेदन किया है कि वे मामले के गुणागुणों पर बहस नहीं करना चाहते हैं और यह प्रार्थना की कि अपीलार्थी का मामला दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अधीन आता है, अतः उसकी दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अधीन परिवर्तित कर दी जाए । यह भी दलील दी गई है कि चूंकि अपीलार्थी तारीख 27 अगस्त, 2010 से अभिरक्षा में है और उसने 8 वर्ष और 9 मास का कारावास पूरा कर लिया है, इसलिए उसे पहले से भोगा गया कारावास जितना दंड अधिनिर्णीत किया जाए ।

4. विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए अपीलार्थी की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 304, भाग-II में परिवर्तित की जा सकती है ।

5. हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है ।

6. **अन्नामलाई** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार किया है और निर्णय के पैरा 13 में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–

> "दंड की मात्रा के संबंध में हमें यह देखना है कि अभियुक्त अपने परिवार का एकमात्र पोषक है । उसके तीन भाई हैं । उसे एक बड़े परिवार की देखरेख करनी है । उसका चरित्र बुरा नहीं है । घटना के पश्चात् भी ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है कि उसने

---

[1] (2016) क्रिमिनल ला जर्नल 2727.

अन्य किसी भी अपराध में भाग लिया है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त में सुधार के बहुत सारे अवसर हैं । जहां तक गुरुतरकारी परिस्थितियों का संबंध है अभियुक्त ने मृतक की हत्या करने के लिए कोई भी पूर्व-चिन्तन नहीं किया था । इस न्यूनकारी परिस्थिति के होने और गुरुतरकारी परिस्थिति के न होने को दृष्टिगत करने पर हमारा यह मत है कि अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने के संदाय से दंडादिष्ट करने से न्याय होगा ।"

7. **चांद खां** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने भी अपीलार्थी की दोषसिद्धि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए परिवर्तित की है । इस निर्णय का सुसंगत पैरा 10 और 11 निम्न प्रकार है :-

"10. यदि उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चयों के आलोक में वर्तमान मामले पर विचार किया जाए तब यह दर्शित होता है कि अपीलार्थियों ने मृतक के सर पर फरसे से, जो कि धारदार हथियार है, वार करके केवल एक क्षति कारित की है किन्तु दुर्भाग्यवश अजीज खान (अभि. सा. 11) और इसहाक खान (अभि. सा. 13) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतक के सिर पर लाठी से वार किया था । इस विरोधाभास पर विचार करने के बावजूद यह देखना होगा कि यह ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी चांद खां ने फरसे से केवल एक वार किया है और अपीलार्थी नसीम ने उसके नाजुक अंग पर लाठी से केवल एक वार किया है और इस साक्ष्य के अभाव में कि क्षति सं. (i) प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है और अन्य ऐसी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त तथा मृतक निकट नातेदार हैं और मृतक का इतिहास आपराधिक रहा है तथा यह घटना स्वयं मृतक द्वारा गाली-गलौज आरंभ किए जाने के कारण घटित हुई है, हमारा यह निष्कर्ष है कि यह मामला दंड संहिता की धारा 300 की परीधि के भीतर नहीं आता

[1] (2006) 3 एम. पी. एल. जे. 549.

है किन्तु हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध का अपराध गठित होता है जो दंड संहिता की धारा 304 के अधीन आता है ।"

8. **गुरुपाल सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 10 में यह अभिनिर्धारित किया है :-

"10. तथापि, मामले के तथ्यों के आधार पर पता चलता है कि यह घटना छोटी-छोटी कई घटनाओं के परिणामस्वरूप घटित हुई है, इसलिए हम अभियुक्त को अधिनिर्णीत दंड कम करना चाहते हैं । यह घटना वर्ष 2004 में घटित हुई है और तब से अब तक 12 वर्ष का समय बीत चुका है । इसके अतिरिक्त, घटना के मुख्य कारण और उसके पश्चात् होने वाली घटनाओं को दृष्टिगत करने पर हमारा यह मत है कि अपीलार्थी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका था जिसके परिणामस्वरूप उसने मृतक और आहत पर गोली चला दी जो उसके सामने ही थे । इन तथ्यों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अपीलार्थी का आशय इस प्रकार गोली चलाकर किसी की हत्या करने का था, यद्यपि, अपीलार्थी को उसके कृत्य के परिणाम की जानकारी थी । स्थिति कुछ भी हो, परिस्थितियों और बीते हुए समय पर कुल मिलाकर विचार करने पर हमारा यह मत है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि कम करते हुए दंड संहिता की धारा 304, भाग-I और धारा 307 के अधीन परिवर्तित की जाए । इसके अतिरिक्त, विशेषकर मामले के तथ्यों पर विचार करने पर हमारा यह मत है कि दंड की मात्रा कम करते हुए, अभियुक्त को पहले से भोगे गए कारावास जितने दंड से ही दंडादिष्ट किया जाए । हम तद्नुसार, आदेश करते हैं ।"

9. **अर्जुन और एक अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :-

"19. विचार के लिए यह प्रश्न है कि क्या दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की जा सकती है ।

---

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 471.

[2] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1150.

जैसे कि पहले ही चर्चा की गई है साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि जब अयोध्या प्रसाद और अन्य साक्षी वृक्ष काट रहे थे, तब उनमें कहा-सुनी हो गई और इसी कहा-सुनी के दौरान अपीलार्थियों ने मृतक पर हमला कर दिया । इस प्रकार, यह घटना अचानक झगड़ा होने से घटित हुई है, इसीलिए, हमारी राय में यह मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद (4) के अन्तर्गत आता है ।

20. अपवाद (4) का अवलंब लेने के लिए जिन अपेक्षाओं का पूरा होना आवश्यक है उन्हें इस न्यायालय द्वारा सुरिन्दर कुमार **बनाम** संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ (1989) 2 एस. सी. सी. 217 वाले मामले में अधिकथित किया गया है जो निम्न प्रकार है –

> "7. इस अपवाद का अवलंब लेने के लिए चार अपेक्षाओं का समाधान होना चाहिए जो इस प्रकार हैं – (i) यदि मानव वध अचानक झगड़ा-जनित आवेश की तीव्रता में किया गया है; (ii) पूर्व-चिन्तन के बिना किया गया है; (iii) आवेश की तीव्रता में किया गया है; (iv) हमलावर ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है और न ही क्रूरतापूर्ण रीति में कार्य किया है । झगड़े का कारण सुसंगत नहीं है और न ही यह सुसंगत है कि प्रकोपन किसने किया या यह कि हमला पहले किसने किया । घटना के दौरान कारित हुए घावों की संख्या के आधार पर विनिश्चय नहीं किया जा सकता किन्तु मुख्य यह है कि घटना अचानक घटित हुई हो और उसमें पूर्व-चिन्तन न किया गया हो और अपराधी ने क्रोध में आकर कृत्य किया हो । निःसंदेह, अपराधी को असम्यक् लाभ नहीं लेना चाहिए और न ही उसे क्रूरतापूर्ण रीति में कृत्य करना चाहिए । अचानक हुई लड़ाई में यदि कोई व्यक्ति आवेश की तीव्रता में उसके पास ही पड़ा हुआ कोई हथियार उठा लेता है और क्षति कारित कर देता है जो घातक साबित होती है, तब ऐसी स्थिति में वह अपराधी इस अपराध का लाभ लेने का हकदार होगा परन्तु यह तब जब कि उसने ऐसा कृत्य क्रूरतापूर्ण रीति में न किया हो ...।"

21. इसके अतिरिक्त, अरुमुगम **बनाम** तमिलनाडु राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक (2008) 15 एस. सी. सी. 590 वाले मामले में विधि की इस प्रतिपादना के समर्थन में कि किन परिस्थितियों में दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद (4) का अवलंब लिया जा सकता है, यदि मृत्यु कारित की गई हो, निम्न अभिनिर्धारित किया गया है –

"9. ....

18. अपवाद (4) का अवलंब मृत्यु कारित होने के मामले में इन परिस्थितियों में लिया जा सकता है – (क) पूर्व-चिन्तन न किया गया हो; (ख) अचानक झगड़ा हुआ हो; (ग) अपराधी ने असम्यक् लाभ न उठाया हो और न ही क्रूरतापूर्ण या असामान्य रीति में कार्य किया हो; और (घ) झगड़ा उस व्यक्ति के साथ हुआ हो जिसकी मृत्यु हुई है । किसी मामले को अपवाद (4) के अन्तर्गत लाने के लिए इन सभी संघटकों का होना आवश्यक है । यह उल्लेखनीय है कि दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद (4) में "लड़ाई" शब्द को दंड संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है । "लड़ाई" कारित करने के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है । आवेश की तीव्रता के लिए यह अपेक्षित है कि शांतिपूर्वक सोचने का समय न मिले और इस मामले में आरंभ में ही दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी हुई है । आयुध या आयुध के बिना, लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला एक संयुक्त कृत्य है । अचानक लड़ाई किसे कहते हैं इसे परिभाषित करने के लिए कोई भी सामान्य नियम प्रतिपादित करना संभव नहीं है । लड़ाई अचानक हुई है या नहीं यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् ही तय किया जा सकता है । अपवाद (4) का अवलंब लेने के लिए यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि अचानक लड़ाई हुई थी और पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया था । इसके साथ-साथ यह भी साबित करना होगा कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं लिया है और न ही उसने क्रूरतापूर्ण या

असामान्य रीति में कार्य किया है । इस उपबंध में प्रयोग की गई "अनुचित लाभ" अभिव्यक्ति का अर्थ पक्षपात से है ।"

10. **प्रभाकर विट्ठल घोलवे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि मृतक अचानक लड़ाई होने पर बिना पूर्व-चिन्तन के आवेश की तीव्रता में अचानक झगड़ा होने पर हमला किया गया है, तब अपीलार्थी की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कायम नहीं रह सकती और इसे दंड संहिता की धारा 304, भाग-I में परिवर्तित किया जाना चाहिए । इस निर्णय का सुसंगत पैरा 7 निम्न प्रकार है :-

"7. ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इन दलीलों में सार प्रतीत होता है कि दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-1 या अपवाद-4 को दृष्टिगत करते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध का मामला बनता है । यह स्वाभाविक है कि बालू के, जो कि एक किशोर है, चीखने की आवाज सुनकर उसके परिवार के सदस्य उसकी सहायता के लिए दौड़ेंगे और जब अपीलार्थी को कारित क्षति भी साबित हुई है, तब ऐसी स्थिति में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि इस घटना में गंभीर और अचानक प्रकोपन की युक्तियुक्त संभाव्यता है । हत्या कारित करने के आशय के बिना मृतक पर किया गया हमला पूर्व-चिन्तन के बिना अचानक लड़ाई का परिणाम हो सकता है जो आवेश की तीव्रता में अचानक झगड़ा होने पर घटित हुई है । अतः, हम यह महसूस करते हैं कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि अपास्त की जाए और इसे दंड संहिता की धारा 304, भाग-I से प्रतिस्थापित की जाए । अभिलेख पर उपलब्ध कारावास प्रमाणपत्र से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अब तक 12 वर्ष से अधिक अवधि का वास्तविक कारावास भोग चुका है । हमारा यह अनुमान है कि उपरोक्त अवधि के कारावास से न्याय होगा । इसलिए,

---

[1] ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 2292.

आजीवन कारावास की अवधि कम की जाती है और अपीलार्थी को पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितने कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है । दंडादेश में इस परिवर्तन को दृष्टिगत करते हुए यह निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को, यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है, तत्काल छोड़ा जाए । अपील उपरोक्त सीमा तक मंजूर की जाती है ।"

11. **सिकन्दर अली** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304, भाग-II में, निम्न परिस्थितियों में, परिवर्तित किया है :-

"7. हमें सरफराज के मानव वध किए जाने में सभी अभियुक्तों की सह-अपराधिता पर कोई संदेह नहीं है, अभियुक्त-1 ने मृतक पर चाकू से हमला किया है और उसकी गर्दन पर क्षति पहुंचाई है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है । अन्य अभियुक्त ने इस अभियुक्त का अपराध कारित किए जाने में साथ देते हुए मृतक के हाथ पकड़े हैं । तथापि, विचार के लिए मात्र यह प्रश्न रह जाता है कि क्या अभियुक्त दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दंडित किए जाने चाहिए या नहीं । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की संवीक्षा करने के पश्चात् हमारी यह राय है कि अभियुक्त दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने के दायी नहीं हैं । हम इससे सहमत हैं कि हत्या करने का न तो कोई पूर्व-चिन्तन किया गया था और न ही सामान्य आशय था । कारबार संबंधी क्रियाकलाप के दौरान अभियुक्त ढाबे पर पहुंचा जहां मृतक मौजूद था । ढाबे के पीछे की ओर बातचीत के दौरान दोनों में कहा-सुनी हो गई । इस कहासुनी के परिणामस्वरूप अचानक लड़ाई आरंभ हो गई जिसमें अभियुक्त-1 ने मृतक पर चाकू से हमला किया । दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद-4 इस मामले के तथ्यों को लागू

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 2614.

होता है । जैसा कि हमारा समाधान हो गया है कि अभियुक्त सरफराज की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं इसलिए हमारी यह राय है कि वे दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अधीन दोषसिद्धि के दायी हैं । हमें यह बताया गया है कि अभियुक्त-1 सात वर्ष का कारावास भोग चुका है और यह कि अभियुक्त-2 से अभियुक्त-4 चार वर्ष का कारावास भोग चुके हैं । हम उच्च न्यायालय के निर्णय को उपान्तरित करते हुए दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि को धारा 304, भाग-II के अधीन परिवर्तित करते हैं और अपीलार्थियों को पहले से भोगे गए कारावास जितना दंड अधिनिर्णीत करते हैं । अपीलार्थियों को तत्काल छोड़ा जाए ।"

12. **माधवन और अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया है :–

"8. उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने दंड की मात्रा के प्रश्न पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है अपितु विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश की पुष्टि बिना सोचे-समझे की है । तथ्यात्मक स्थिति से, जो कि अभिलेख से उद्भूत है, यह पता चलता है कि दोनों परिवारों के बीच संपत्ति को लेकर पहले से विवाद चल रहा था । प्रश्नगत घटना अभि. सा. 1 द्वारा अपीलार्थी के व्यवहार पर प्रश्न उठाने पर बिना किसी पूर्व-चिन्तन के अचानक घटित हुई है । यह दोनों परिवारों के बीच अंधाधुंध लड़ाई थी । दोनों ही पक्षों को लड़ाई के दौरान क्षतियां कारित हुई हैं । प्राणघातक क्षति पेरियास्वामी को घटित हुई है जो कि लकड़ी के ठाड़ी (डंडे) से कारित हुई है जो कि घटनास्थल पर पड़ा हुआ था । अपीलार्थियों ने स्वयं स्थानीय पुलिस को सूचित किया जिसमें यह अभिकथन किया कि शिकायतकर्ता पक्ष ने हमला किया है । अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला पहले से दर्ज नहीं है । अतः मामले का परिशीलन करने पर हमें अपीलार्थियों की ओर से दी गई यह दलील प्रबल प्रतीत होती है

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 3847.

कि दंड की मात्रा अत्यधिक है ।

9. हम गोपाल सिंह **बनाम** उत्तराखण्ड राज्य वाले मामले में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा किए गए विनिश्चय को निर्दिष्ट कर रहे हैं जिसमें दंड की मात्रा के संबंध में अनुपातिकता के सिद्धांत की आवश्यकता को अनुध्यात किया गया है । उक्त विनिश्चय का पैरा 18 और 19 निम्न प्रकार है –

> "18. उचित दंड दिए जाने का सीधा संबंध समाज की संचयी वेदना से है । संचयी वेदना को ध्यान में ठीक प्रकार रखना चाहिए किन्तु साथ ही अपराध और दंड के बीच अनुपातिकता के सिद्धांत को अनदेखा नहीं किया जा सकता । उचित दंड के सिद्धांत के आधार पर आपराधिक मामले में दंड दिया जाना चाहिए । दंड अत्यधिक रूप से अपराध के अननुपाती नहीं होना चाहिए ।
>
> अनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन न्यायाधीश को पर्याप्त विवेकाधिकार दिया गया है किन्तु इसका प्रयोग कतिपय सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए । कुछ मामलों में अपराधिता की प्रकृति, अभियुक्त का इतिहास, उसकी आयु, भविष्य में उसके अपराधी बनने की संभावना, उसमें सुधार आने की क्षमता और अभिभावी वातावरण में स्वीकार्य जीवन बिताने की संभावना, समाज के लिए भय और उपताप की संभावना और कभी-कभी भी इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि अपराध कारित किए हुए कितना समय बीता है और अभियुक्त के आचरण पर भी विचार करना होता है अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा दोनों पक्षकारों के बीच क्या संबंध है इसे भी ध्यान में रखना होगा और साथ ही इस सिद्धांत पर भी विचार करना होगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को समाज की मूल-धारा में समायोजित करना चाहिए, इन सभी मार्गदर्शक संघटकों पर विचार किया जाना चाहिए । अब इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि ये ऐसे कतिपय उदाहरण हैं जिन्हें संचयी रूप में

प्रस्तुत किया गया है । हम यह भी मत व्यक्त करना चाहेंगे कि कोई भी सीधा नियम नहीं बनाया जा सकता है (देखें – गोपाल सिंह **बनाम** उत्तराखंड राज्य [(2013) 7 एस. सी. सी. 545 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3048] और न ही गणितीय विधि से कोई सूत्र बनाया जा सकता है । यह मामले के तथ्यों और युक्तियुक्त न्यायिक विवेकाधिकार पर निर्भर करता है न तो किसी न्यायाधीश का वैयक्तिक विचार या नैतिक दृष्टिकोण और न ही अनुमान और अटकलों का प्रयोग किया जा सकता है । प्रत्येक अपराध के लिए कोई भी कड़ा नियम नहीं बनाया जा सकता है । इसी प्रकार, किसी अपराधी के साथ मात्र इस आधार पर रियायत नहीं बरती जा सकती है कि न्यायालय को यह सब करने का विवेकाधिकार प्राप्त है । वास्तव में, आवश्यक यह है कि उन परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए जिनके अधीन अपराध कारित किया गया है और उन कारकों पर भी ध्यान देना होगा जिनका उल्लेख हमने ऊपर किया है और इन सब के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में चर्चा की गई है । इस कसौटी के आधार पर दंडादेश अधिरोपित किए जाने चाहिए । विवेकाधिकार का प्रयोग कल्पना के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए । न्यायोचित दंड की मूल भावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

19. दंड अधिरोपित करते समय, न्यायालय को बहुत से जटिल मामलों को ध्यान में रखना चाहिए । दंड अधिरोपित किए जाने के संबंध में कोई एक सूत्र स्थापित करना बहुत कठिन है । इस संबंध में विधान-मंडल ने न्यायाधीश को विवेकाधिकार दिया है कि वे प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि तथा युक्तियुक्त मानदंडों को ध्यान में रखकर ही कार्य करें । विधान-मंडल ने कुछ मामलों में यह विवेकाधिकार प्रदत्त नहीं किया है और कुछ परिस्थितियों में, ऐसा विवेकाधिकार सशर्त है । कतिपय अपराधों के संबंध में, दंड की मात्रा को, कुछ विशेष कारणों के आधार पर कम किया

जा सकता है । विशेष कारणों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है । इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय का कर्तव्य और जटिल हो जाता है । इसका प्रयोग एक ओर संचयी अन्र्तभावना के नियम को ध्यान में रखते हुए और दूसरी ओर समानुपातिकता के सिद्धांत, पुनरोद्धार के नियम और अन्य अनुषंगी कारकों पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए । यह कार्य दुर्भर हो सकता है किन्तु यह पूरी ईमानदारी के साथ तथा बिना किसी निजी सोच या वैयक्तिक अनुभव के साथ किया जाना चाहिए ।"

10. उपरोक्त चर्चा और वर्तमान मामले के तथ्यों, अपराध की प्रकृति, अपीलार्थियों का पश्चात्वर्ती आचरण, प्रयोग किए गए हथियारों की प्रकृति और सभी समवर्ती परिस्थितियों, सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि अपीलार्थियों द्वारा कारित पश्चात्वर्ती किसी भी अनहोनी घटना की जानकारी नहीं मिली है और परिस्थितियां न्यूनकारी हैं, हम दंडादेश की अवधि निम्न निबंधनों में कम करने के लिए आनत हैं .... ।"

13. वर्तमान मामले में अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतक निकट नातेदार हैं । अभियुक्त अपनी द्वितीय पत्नी इपूबाई को गाली दे रहा था और उस समय मांगीबाई अर्थात् इपूबाई की बहिन अपने पति सरदार तथा अपने पुत्र विक्रम और दामाद गोविन्द के साथ मामले को शान्त कराने पहुंची और उन्होंने उससे गालियां न देने को कहा और इस पर खिन्न होकर अभियुक्त हरदास ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और सरदार की गर्दन के नीचे वक्ष पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया और उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । उक्त घटना से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा कारित की गई क्षति अचानक प्रकोपन का परिणाम थी और इस अपराध को कारित करने के लिए कोई भी आशय, तैयारी या पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया था । यह घटना अचानक घटित हुई है जिसका कारण यह था कि मृतक ने मामले को शांत करने का प्रयास किया था । क्षति आवेश की तीव्रता में अचानक

कारित की गई है । अपीलार्थी ने मृतक सरदार के वक्ष पर गर्दन के नीचे अचानक हमला किया है । उसने पुनः हमला नहीं किया है और न ही पुनः हमला करने का प्रयास किया है, यद्यपि, ऐसा करने के लिए उसके पास पूर्ण अवसर था । उसने इस स्थिति का कोई भी अनुचित लाभ नहीं उठाया है । साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होता है कि उसका आशय मृतक की हत्या करने का था । इसके प्रतिकूल, यह प्रतीत होता है कि केवल आक्रोश में आकर उसने अचानक चाकू से वार किया है जिसके परिणामस्वरूप मृतक की गर्दन पर क्षति कारित हुई और दुर्भाग्यवश वह उसके जीवन के लिए घातक साबित हुई । अतः, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी का मामला इस पर पूरी तरह खरा उतरता है कि इस घटना में अचानक लड़ाई हुई है, कोई भी पूर्व-चिन्तन नहीं किया गया है, आवेश की तीव्रता में कृत्य किया गया है और हमलावर ने कोई भी अनुचित लाभ नहीं उठाया है और न ही उसने क्रूरतापूर्ण रीति में कृत्य किया है, इसलिए यह मामला दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध की परिधि में नहीं आता है बल्कि यह धारा 304, भाग-II के अधीन आता है ।

14. परिणामतः, अपील भागतः मंजूर की जाती है । अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अधीन अपराध की दोषसिद्धि में परिवर्तित किया जाता है और कारावास की अवधि को घटाकर पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितना किया जाता है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए यह निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को, यदि वह अन्य किसी दांडिक मामले में वांछित नहीं है, तत्काल अभिरक्षा से मुक्त किया जाए ।

15. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को भेजी जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

जोबन दास

(2009 की दांडिक अपील सं. 332)

तारीख 21 मई, 2019

न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बारोवालिया

पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1914 (1914 का 1) (हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू – धारा 61 – पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से अवैध शराब की बरामदगी – स्वतंत्र साक्षियों की उपलब्धता की संभावना के बावजूद स्वतंत्र साक्षियों को न बनाया जाना – दोषमुक्ति – निर्णय को चुनौती ।

– दोषमुक्ति के मामलों में अपील की दशा में मात्र इस कारण से कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से दो मत संभव हैं, अपीली न्यायालय को दोषमुक्ति के लिए अभिलिखित निष्कर्षों में हस्तक्षेप करके उस निर्णय को उलटना नहीं चाहिए ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 18 मार्च, 2006 को अपराह्न लगभग 7.15 बजे जब हैड कांस्टेबल केवल सिंह और एच. एच. सी. सुन्दर सिंह सं. 304 तथा कांस्टेबल शिवराम, अपनी नैमिक पैट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान लबाना सदाना नामक स्थान पर उपस्थित थे, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ में एक प्लास्टिक का डिब्बा पकड़े हुए जा रहा था । वह व्यक्ति पुलिस दल को देखकर अचानक व्याकुल हो गया और उन्होंने संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया । उसकी जामातलाशी के दौरान यह पाया गया कि उसके सचेतन और अनन्य कब्जे में प्लास्टिक का एक डिब्बा था, जिसमें अवैध शराब की तीन बोतलें रखी थीं । उनमें से एक बोतल को नमूने के रूप में पृथक् करने के पश्चात् शेष दोनों

बोतलों और साथ ही नमूने को "ए" की सील लगाकर सीलबंद कर दिया गया और कब्जे में ले लिया गया । अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना झाखड़ी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई । स्थल-नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अन्तिम पुलिस रिपोर्ट तैयार की गई जिसे विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए छह साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया जिसमें उसने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया तथा निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 1 जनवरी, 2009 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए 2009 की दांडिक अपील सं. 332 फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित - इन परिस्थितियों में अभि. सा. 2, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 6, जो इस मामले के शासकीय और सारवान् साक्षी हैं, के साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जब घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे तो अन्वेषण अधिकारी को उन्हें साक्षी बनाना चाहिए था । तथापि, अन्वेषण अधिकारी ने मात्र यह कथन किया है कि उसने स्वतंत्र साक्षी बनाना उचित नहीं समझा । स्वतंत्र अभियोजन साक्षियों को, जब कि वे उपलब्ध थे, सम्मिलित न किए जाने से अवैध शराब की तीन बोतलों की बरामदगी से संबंधित अभियोजन पक्षकथन संदेहास्पद हो जाता है । साथ ही शासकीय साक्षियों के अभिसाक्ष्य की जांच ऐसी स्थिति में सावधानी और सतर्कतापूर्वक करनी चाहिए जब उनके कथन विश्वसनीय प्रतीत न होते हों और वर्तमान मामले में भी शासकीय साक्षियों के कथन विश्वासोत्पादक नहीं हैं । इन परिस्थितियों में अभिलेख पर उपलब्ध

साक्ष्य पर विचार तथा साक्षियों के अभिसाक्ष्यों की जांच और साथ ही उसकी पुनः विवेचना करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष सिद्ध करने में असफल रहा है और इस प्रकार विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के युक्तियुक्त निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों और ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को इस अपील में कोई गुणता प्रतीत नहीं होती है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए और इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है । लंबित आवेदन यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है । (पैरा 7 और 11)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2008]	(2008) 1 एस. सी. सी. 258 : **के. प्रकाशन** बनाम **पी. के. सुरेन्द्रन** ;	8
[2007]	(2007)4 एस. सी. सी. 415 : **चन्द्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	10
[2006]	(2006) 1 एस. सी. सी. 401 : **टी. सुब्रहमण्यन्** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ।	9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 332.

2006 के दांडिक मामला सं. 94-3 में उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 1 जनवरी, 2009 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री राजूराम राही, उप महाधिवक्ता के साथ शिव पाल मनहांस और पी. के भाटी, अपर महाधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री एच. के. एस. ठाकुर, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बारोवालिया – वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया

संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपीलार्थी हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से उस आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा पंजाब उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1914 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है), जैसा कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू है, की धारा 61 के अधीन 2006 के दांडिक मामला सं. 94-3 में विद्वान् उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने तारीख 1 जनवरी, 2009 को प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करते हुए निर्णय पारित किया है ।

2. वर्तमान अपील अभियोजन पक्ष के जिन तथ्यों के आधार पर फाइल की गई है, संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं कि तारीख 18 मार्च, 2006 को अपराहन लगभग 7.15 बजे जब हैड कांस्टेबल केवल सिंह और एच. एच. सी. सुन्दर सिंह सं. 304 तथा कांस्टेबल शिवराम, अपनी नैमिक पैट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान लबाना सदाना नामक स्थान पर उपस्थित थे, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ में एक प्लास्टिक का डिब्बा पकड़े हुए जा रहा था । वह व्यक्ति पुलिस दल को देखकर अचानक व्याकुल हो गया और उन्होंने संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया । उसकी जामातलाशी के दौरान यह पाया गया कि उसके सचेतन और अनन्य कब्जे में प्लास्टिक का एक डिब्बा था, जिसमें अवैध शराब की तीन बोतलें रखी थीं । उनमें से एक बोतल को नमूने के रूप में पृथक् करने के पश्चात् शेष दोनों बोतलों और साथ ही नमूने को "ए" की सील लगाकर सीलबंद कर दिया गया और कब्जे में ले लिया गया । अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना झाखड़ी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई । स्थल-नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अन्तिम पुलिस रिपोर्ट तैयार की गई जिसे विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए छह साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया जिसमें उसने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया तथा निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त

ने किसी प्रकार का कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 1 जनवरी, 2009 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है ।

4. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया है । दूसरी ओर, अभियुक्त-प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि अभिकथित रूप से प्रत्यर्थी से तीन बोतलों के रूप में बरामद की गई अवैध शराब की कहानी पुलिस द्वारा गढ़ी गई है, क्योंकि पुलिस द्वारा कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं किया गया है । यहां तक कि अन्वेषण अधिकारी ने भी अपने कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि उसे कोई स्वतंत्र साक्षी बनाना उपयुक्त नहीं लगा था । इस प्रकार, अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त-प्रत्यर्थी का दोष सिद्ध करने में असफल रहा है, अतः विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के युक्तियुक्त निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके प्रतिकूल, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष साबित किया है और चूंकि घटनास्थल पर कोई भी स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं था इसलिए ऐसा कोई साक्षी नहीं बनाया गया था तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनः विवेचन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय अपास्त किया जाए तथा अभियुक्त को उस अपराध के लिए जिसके संबंध में उस पर आरोप लगाए गए थे, सिद्धदोष ठहराया जाए ।

5. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के तर्कों का विवेचन करने के लिए इस न्यायालय ने विस्तृत रूप से अभिलेख का परिशीलन किया है तथा साक्षियों के कथनों की सूक्ष्म रूप से जांच-पड़ताल की है ।

6. वर्तमान मामले में अभियुक्त को अपराध में फंसाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श अभि. सा. 2/ए) है, जिसके द्वारा प्लास्टिक के डिब्बे (प्रदर्श पी. 1) को नमूना बोतल के साथ कब्जे

में लिया गया था । इस अभिग्रहण ज्ञापन पर अभियुक्त और साथ ही दो शासकीय साक्षियों द्‌वारा हस्ताक्षर किए गए थे । ये दोनों साक्षी अर्थात् सुन्दर सिंह और शिवराम साक्षी कठघरे में अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 के रूप में उपस्थित हुए हैं । इन साक्षियों के कथनों के अनुसार तारीख 18 मार्च, 2006 को अपराह्न लगभग 7.15 बजे उन्होंने एक व्यक्ति को अपने हाथ में प्लास्टिक का एक डिब्बा ले जाते हुए देखा था । इन दोनों साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि उस घटनास्थल के आस-पास लगभग 30 घर थे, तथापि, उन्होंने कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया है । इसी प्रकार, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 6) ने भी यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल के निकट ही आबादी वाला क्षेत्र है किन्तु उसने कोई भी स्वतंत्र साक्षी बनाना उचित नहीं समझा ।

7. अभि. सा. 2, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 6, जो इस मामले के शासकीय और सारवान् साक्षी हैं, के साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जब घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे तो अन्वेषण अधिकारी को उन्हें साक्षी बनाना चाहिए था । तथापि, अन्वेषण अधिकारी ने मात्र यह कथन किया है कि उसने स्वतंत्र साक्षी बनाना उचित नहीं समझा । स्वतंत्र अभियोजन साक्षियों को, जब कि वे उपलब्ध थे, सम्मिलित न किए जाने से अवैध शराब की तीन बोतलों की बरामदगी से संबंधित अभियोजन पक्षकथन संदेहास्पद हो जाता है । साथ ही शासकीय साक्षियों के अभिसाक्ष्य की जांच ऐसी स्थिति में सावधानी और सतर्कतापूर्वक करनी चाहिए जब उनके कथन विश्वसनीय प्रतीत न होते हों और वर्तमान मामले में भी शासकीय साक्षियों के कथन विश्वासोत्पादक नहीं हैं । इन परिस्थितियों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार तथा साक्षियों के अभिसाक्ष्यों की जांच और साथ ही उसकी पुनः विवेचना करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष सिद्ध करने में असफल रहा है और इस प्रकार विद्‌वान् विचारण न्यायालय द्‌वारा पारित दोषमुक्ति के युक्तियुक्त निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. **के. प्रकाशन** बनाम **पी. के. सुरेन्द्रन**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब दो मत संभव हों तो अपीली न्यायालय को मात्र इस कारण से दोषमुक्ति का निर्णय पलटना नहीं चाहिए कि अन्य मत भी संभव था । जब विचारण न्यायालय द्‌वारा पारित निर्णय न तो अनुचित था और न ही वह किसी अन्य विधिक शिथिलता से ग्रस्त था और न ही अभिलेख पर उपलब्ध किसी साक्ष्य पर विचार करने में चूक हुई थी और न ही साक्ष्य का मिथ्या विवेचन हुआ था तो उच्च न्यायालय द्‌वारा ऐसे निर्णय को उलट दिया जाना उचित नहीं था ।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **टी. सुब्रहमण्यन्** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[2] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब किसी समान साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से दो मतों की संभावना हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन सिद्ध कर दिया है ।

10. **चन्द्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[3] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में कार्यवाही करने के लिए अपीली न्यायालयों की शक्ति से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं :-

> "42. उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए हमारी सुविचारित राय में, दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में कार्यवाही करते समय अपीली न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित मूल सिद्धांत उद्भूत होते हैं –
>
> > (1) किसी अपीली न्यायालय के पास ऐसे साक्ष्य का, जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है, पुनर्विलोकन करने, उसका पुनः विवेचन करने तथा उस पर पुनः विचार करने की पूर्ण शक्ति है ।

---

[1] (2008) 1 एस. सी. सी. 258.

[2] (2006) 1 एस. सी. सी. 401.

[3] (2007) 4 एस. सी. सी. 415.

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग के संबंध में कोई परिसीमा, निर्बंधन या शर्त अधिरोपित नहीं करती है और वह किसी अपीली न्यायालय को, तथ्य और विधि, दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व साक्ष्य का विश्लेषण करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है ।

(3) विभिन्न पद, जैसे कि "सारवान् और बाध्यकारी कारण", "उत्तम और पर्याप्त आधार", "अत्यंत सुदृढ़ परिस्थितियां", "विकृत निष्कर्ष", "सुस्पष्ट भूलें" आदि, दोषमुक्ति के विरुद्ध किसी अपील में अपीली न्यायालय में निहित व्यापक शक्तियों पर रोक लगाने के लिए आशयित नहीं है । दोषमुक्ति के आदेश में अपीली न्यायालय की हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर अधिक बल देने के लिए न कि साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति को कम करने के लिए ऐसी पदावली में "अलंकृत भाषा" का प्रयोग किया गया है तात्पर्यित है ।

(4) तथापि, किसी अपीली न्यायालय को अवश्य ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के किसी मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा होती है । निर्दोष होने की प्रथम उपधारणा, जो न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अधीन उसे उपलब्ध है, यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक कि उसे विधि के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । दूसरी उपधारणा यह है कि अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय से दोषमुक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसके निर्दोष होने की उपधारणा और प्रबल हो जाती है अर्थात् उसकी पुनः संपुष्टि हो जाती है तथा वह और सुदृढ़ हो जाती है ।

(5) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हों तब अपीली न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के लिए अभिलिखित

किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों और ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए मुझे इस अपील में कोई गुणता प्रतीत नहीं होती है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए और इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है । लंबित आवेदन यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

<u>संसद् के अधिनियम</u>

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम संख्यांक 78)[1]

[21 दिसम्बर, 1956]

हिन्दुओं में दत्तक तथा भरण-पोषण से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार - (1) यह अधिनियम हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

2. अधिनियम का लागू होना - (1) यह अधिनियम लागू है -

(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिन्दू धर्म के किसी भी

---

[1] इस अधिनियम का विस्तार दादरा और नागर हवेली पर 1963 के विनियम सं. 6 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा किया गया है ।

यह अधिनियम 1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 57 द्वारा उत्तर प्रदेश में संशोधित किया गया ।

यह अधिनियम, प्रशासक द्वारा अधिसूचित तारीख से, निम्नलिखित उपान्तरणों के साथ, पांडिचेरी में प्रवृत्त होगा ;

धारा 2 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें :-

"(2क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में रेनोंसाओं को लागू नहीं होगी ।" ।

देखिए पांडिचेरी (विधि विस्तारण) अधिनियम, 1968 (1968 का 26) की धारा 3 और अनुसूची ।

रूप या विकास के अनुसार, जिसके अन्तर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्राहमों समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मत: हिन्दू हो ;

(ख) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मत: बौद्ध, जैन या सिक्ख हो ; तथा

(ग) ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मत: मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो कोई भी ऐसा व्यक्ति एतस्मिन् उपबन्धित किसी भी बात के बारे में हिन्दू विधि या उस विधि की भाग-रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता ।

स्पष्टीकरण – निम्नलिखित व्यक्ति धर्मत:, यथास्थिति, हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हैं –

(क) कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जिसके माता-पिता, दोनों ही धर्मत: हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हों ;

(ख) कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जिसके माता-पिता में से कोई एक धर्मत: हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुम्ब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था ; [1]* * *

[2][(खख) कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जो अपने पिता और माता दोनों द्वारा परित्यक्त कर दिया गया हो अथवा जिसकी जनकता ज्ञात न हो, और जो दोनों में से किसी भी दशा में हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख के रूप में पला हो ; तथा]

(ग) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू, जैन या सिक्ख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया हो ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस

---

[1] 1962 के अधिनियम सं. 45 की धारा 2 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया ।

[2] 1962 के अधिनियम सं. 45 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे ।

(3) इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए, "हिन्दू" पद का अर्थ ऐसा लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिन्दू नहीं है तथापि, ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के आधार पर लागू होता है ।

3. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "रूढ़ि" और "प्रथा" पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घकाल तक निरन्तर और एकरूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम-जनजाति समुदाय, समूह या कुटुम्ब के हिन्दुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो :

परंतु यह तब जब कि वह नियम निश्चित हो, और अयुक्तियुक्त या लोकनीति के विरुद्ध न हो ; तथा

परन्तु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुम्ब को ही लागू हो, उसकी निरन्तरता उस कुटुम्ब द्वारा बन्द न कर दी गई हो ;

(ख) "भरण-पोषण" के अन्तर्गत –

(i) सब दशाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज के लिए उपबन्ध आता है ;

(ii) अविवाहित पुत्री की दशा में उसके विवाह के युक्तियुक्त और प्रासंगिक व्यय भी आते हैं ;

(ग) "अप्राप्तवय" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी अठारह वर्ष की आयु पूरी न की हो ।

4. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव – इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, –

(क) हिन्दू विधि का कोई ऐसा शास्त्र-वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भाग-रूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा, जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए कि इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व से प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि का हिन्दुओं को लागू होना वहां तक बन्द हो जाएगा जहां तक कि वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो ।

अध्याय 2

दत्तक

5. दत्तक इस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे – (1) किसी हिन्दू के द्वारा या निमित्त कोई भी दत्तक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् इस अध्याय में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा और उक्त उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई भी दत्तक शून्य होगा ।

(2) किसी ऐसे दत्तक से, जो शून्य है, न तो दत्तक कुटुम्ब में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी ऐसे अधिकार का सृजन होगा जिसे वह दत्तक के कारण अर्जित करने के सिवाय अर्जित नहीं कर सकता था और न किसी भी व्यक्ति के वे अधिकार ही नष्ट होंगे जो उसे अपने जन्म के कुटुम्ब में प्राप्त हैं ।

6. विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं – कोई भी दत्तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि –

(i) दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो ;

(ii) दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य न रखता हो ;

(iii) दत्तक व्यक्ति दत्तक में लिए जाने योग्य न हो ; और

(iv) दत्तक इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में न किया गया हो ।

7. हिन्दू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य – किसी भी हिन्दू पुरुष को जो स्वस्थ चित्त हो और अप्राप्तवय न हो यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले :

परन्तु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अन्तिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो या वह हिन्दू न रह गई हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित्त की है तब तक वह अपनी पत्नी की सम्मति के बिना दत्तक नहीं लेगा ।

स्पष्टीकरण – यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हों तो जब तक कि पूर्ववर्ती परन्तुक में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए उनमें से किसी की सम्मति अनावश्यक न हो, सब पत्नियों की सम्मति आवश्यक होगी ।

[1][**8. हिन्दू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य** – कोई भी हिन्दू नारी, जो स्वस्थचित्त है और अप्राप्तवय नहीं है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है :

परंतु यदि उसका पति जीवित है तो वह अपने पति की सहमति के सिवाय किसी पुत्र या पुत्री को तब तक दत्तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक पति पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुका हो या हिन्दू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित्त का है ।]

9. दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति – (1) अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने की सामर्थ्य नहीं रखेगा ।

[2][(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पिता या माता

---

[1] 2010 के अधिनियम सं. 30 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2010 के अधिनियम सं. 30 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

को, यदि जीवित हैं, तो किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक देने का समान अधिकार होगा :

परंतु ऐसे अधिकार का प्रयोग उनमें से किसी एक द्वारा अन्य की सहमति के सिवाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उनमें से एक पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुका हो या हिन्दू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित्त का/की है ।]

[1]* * * * *

[2][(4) जहां माता और पिता दोनों मर चुके हों या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हों या अपत्य को त्याग चुके हों या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उनके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वे विकृतचित्त हैं या जहां कि अपत्य की जनकता ज्ञात न हो, तो उस अपत्य का संरक्षक न्यायालय को पूर्व अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत स्वयं वह संरक्षक भी आता है, दत्तक दे सकेगा ।]

(5) न्यायालय किसी संरक्षक को उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा देने के पूर्व इस बात को ध्यान में रखकर कि अपत्य की आयु और समझने की शक्ति कितनी है दत्तक दिए जाने के संबंध में अपत्य की इच्छा पर सम्यक् विचार करके अपना इस बारे में समाधान कर लेगा कि दत्तक दिया जाना अपत्य के लिए कल्याणकर होगा या नहीं और यह कि दत्तक देने के प्रतिफलस्वरूप कोई संदाय या इनाम ऐसे किसी संदाय या इनाम के सिवाय, जैसा कि न्यायालय मंजूर करे, अनुज्ञा के लिए, आवेदन करने वाले ने न तो प्राप्त किया है और न प्राप्त करने का करार किया है और न किसी भी व्यक्ति ने आवेदन करने वाले को किया या दिया है और न ही करने या देने के लिए करार उससे किया है ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(i) "माता" और "पिता" पदों के अन्तर्गत दत्तक माता और

---

[1] 2010 के अधिनियम सं. 30 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 1962 के अधिनियम सं. 45 की धारा 3 द्वारा मूल उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

दत्तक पिता नहीं आते हैं ; [1]* * *

[2][(iक) "संरक्षक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख में किसी अपत्य का शरीर या उसका शरीर और सम्पत्ति दोनों हों और इसके अन्तर्गत आते हैं –

(क) अपत्य के पिता या माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक ; तथा

(ख) किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक ; तथा]

(ii) "न्यायालय" से ऐसा नगर सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर दत्तक लिया जाने वाला अपत्य मामूली तौर पर निवास करता है ।

10. व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं – कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य न होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों, अर्थात् –

(i) वह हिन्दू है ;

(ii) वह पहले ही से दत्तक नहीं लिया जा चुका है, या ली जा चुकी है ;

(iii) उसका विवाह नहीं हुआ है, तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो ;

(iv) उसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का, जिन्होंने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो ।

---

[1] 1962 के अधिनियम सं. 45 की धारा 3 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया ।

[2] 1962 के अधिनियम सं. 45 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

11. विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें – हर दत्तक में निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी होंगी –

(i) यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र (चाहे धर्मज-रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो ;

(ii) यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता की, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिन्दू पुत्री, या पुत्र की पुत्री (चाहे धर्मज-रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो ;

(iii) यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ा हो ;

(iv) यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ी हो ;

(v) वही अपत्य एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकेगा ;

(vi) दत्तक लिया जाने वाला अपत्य सम्पृक्त जनकों या संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुम्ब से जहां वह जन्मा हो [1][अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में या ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जनकता ज्ञात न हो, उस स्थान या कुटुम्ब से जहां वह पला हो,] उसका दत्तक लेने वाले कुटुम्ब में उसे अन्तरित करने के आशय से वस्तुत: दिया और लिया जाएगा :

परन्तु दत्त होमम् का किया जाना किसी दत्तक की विधिमान्यता के लिए आवश्यक नहीं होगा ।

12. दत्तक के परिणाम – दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से

[1] 1962 के अधिनियम सं. 45 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा और ऐसी तारीख से यह समझा जाएगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त बन्धन टूट गए हैं और उनका स्थान उन बन्धनों ने ले लिया है जो दत्तक कुटुम्ब में दत्तक के कारण सृजित हुए हों :

परन्तु –

(क) वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिससे कि यदि वह अपने जन्म के कुटुम्ब में ही बना रहा होता तो वह विवाह न कर सकता था ;

(ख) कोई भी सम्पत्ति जो दत्तक अपत्य में दत्तक के पूर्व निहित थी, ऐसी सम्पत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं के, यदि कोई हों, अध्यधीन, जिनके अन्तर्गत उसके जन्म के कुटुम्ब में के, नातेदारों का भरण-पोषण करने की बाध्यता भी आती है, ऐसे व्यक्ति में निहित बनी रहेगी ;

(ग) दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को उस सम्पदा से निर्निहित नहीं करेगा जो उस व्यक्ति में दत्तक के पूर्व निहित हो गई है ।

13. दत्तक जनकों का अपनी सम्पत्तियों के व्ययन का अधिकार - तत्प्रतिकूल करार के अध्यधीन यह है कि कोई दत्तक किसी दत्तक पिता या माता को अपनी सम्पत्ति जीवाभ्यन्तर अन्तरण द्‌वारा या विल द्‌वारा व्ययनित करने की शक्ति से वंचित नहीं करता ।

14. कुछ दशाओं में दत्तक माता का अवधारण – (1) जहां कोई हिन्दू, जिसकी पत्नी जीवित है, किसी अपत्य को दत्तक लेता है वहां वह दत्तक माता समझी जाएगी ।

(2) जहां दत्तक एक से अधिक पत्नियों की सम्मति से किया गया है वहां उनमें से सबसे पूर्व विवाहित दत्तक माता समझी जाएगी और अन्य सौतेली माताएं समझी जाएंगी ।

(3) जहां कोई विधुर या कुंवारा किसी अपत्य को दत्तक लेता है वहां ऐसी कोई पत्नी, जिससे वह तत्पश्चात् विवाह करे, दत्तक अपत्य की सौतेली माता समझी जाएगी ।

(4) जहां कोई विधवा या अविवाहित नारी किसी अपत्य को दत्तक लेती है वहां कोई पति, जिससे वह तत्पश्चात् विवाह करे, दत्तक अपत्य का सौतेला पिता समझा जाएगा ।

15. विधिमान्य दत्तक रद्द न किया जाएगा – कोई भी दत्तक जो विधिमान्यतः किया गया है, दत्तक पिता या माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द न किया जा सकेगा और न दत्तक अपत्य अपनी ऐसी हैसियत का त्याग कर सकेगा और न वह अपने कुटुम्ब में वापस जा सकेगा ।

16. दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा – जब कभी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसी दस्तावेज जिसमें किसी किए गए दत्तक का अभिलिखित होना तात्पर्यित हो और जो अपत्य को दत्तक देने और लेने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित हो, किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए तब जब तक कि और यदि उसे नामवित न कर दिया जाए वह न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह दत्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है ।

17. कुछ संदायों का प्रतिषेध – (1) किसी व्यक्ति के दत्तक के प्रतिफलस्वरूप कोई भी व्यक्ति कोई संदाय या अन्य इनाम न तो प्राप्त करेगा और न प्राप्त करने के लिए, करार करेगा और न ही कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा संदाय करेगा या इनाम देगा या करने या देने के लिए करार करेगा जिसका प्राप्त करना इस धारा द्वारा प्रतिषिद्ध है ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा तन्निमित्त प्राधिकृत किसी आफिसर की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 3

भरण-पोषण

18. पत्नी का भरण-पोषण – (1) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि हिन्दू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् विवाहित हो अपने जीवनकाल में अपने पति से भरण-पोषण पाने की हकदार होगी ।

(2) हिन्दू पत्नी अपने भरण-पोषण के दावे को समपहृत किए बिना अपने पति से पृथक् रहने के लिए निम्नलिखित किसी भी दशा में हकदार होगी –

(क) यदि उसका पति अभित्यजन, अर्थात् युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है ;

(ख) यदि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करे जिससे उसके अपने मन में इस बात की युक्तियुक्त आशंका पैदा हो कि उसके पति के साथ रहना अपहानिकर या क्षतिकारक होगा ;

(ग) यदि उसका पति उग्र कुष्ठ से पीड़ित है ;

(घ) यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है ;

(ङ) यदि उसका पति उसी गृह में जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है कोई उपपत्नी रखता है या किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में अभ्यासतः निवास करता है ;

(च) यदि उसका पति कोई अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिन्दू नहीं रह गया है ; और

(छ) यदि उसके पृथक् होकर रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण है ।

(3) यदि कोई हिन्दू पत्नी असती है या किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिन्दू नहीं रह गई है तो वह अपने पति से पृथक् निवास करने और भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी ।

19. विधवा पुत्रवधू का भरण-पोषण – (1) कोई हिन्दू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात् अपने श्वसुर से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी :

परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो या उस दशा में जहां उसके पास अपनी स्वयं की कोई भी सम्पत्ति नहीं है, वह निम्नलिखित में किसी से अपना भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो –

(क) अपने पति या अपने पिता या माता की सम्पदा से, या

(ख) अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से ।

(2) यदि श्वसुर के अपने कब्जे में की ऐसी सहदायिकी सम्पत्ति से, जिसमें से पुत्रवधू को कोई अंश अभिप्राप्त नहीं हुआ है श्वसुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो उपधारा (1) के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकेगा और ऐसी बाध्यता का पुत्रवधू के पुनर्विवाह पर अंत हो जाएगा ।

20. अपत्यों और वृद्ध जनकों का भरण-पोषण – (1) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि कोई हिन्दू अपने जीवनकाल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज अपत्यों और वृद्ध या शिथिलांग जनकों का भरण-पोषण करने के लिए आबद्ध है ।

(2) जब तक कि कोई धर्मज या अधर्मज अपत्य अप्राप्तवय रहे वह अपने पिता या माता से भरण-पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा ।

(3) किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध या शिथिलांग जनकों का या किसी पुत्री का, जो अविवाहिता हो, भरण-पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहां तक होगा जहां तक कि जनक या अविवाहिता पुत्री, यथास्थिति, स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में "जनक" के अन्तर्गत नि:संतान सौतेली

माता भी आती है ।

21. आश्रितों की परिभाषा – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "आश्रितों" से मृतक के निम्नलिखित नातेदार अभिप्रेत हैं –

(i) उसका पिता ;

(ii) उसकी माता ;

(iii) उसकी विधवा, जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले ;

(iv) उसका पुत्र, या उसके पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या उसके पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र जब तक कि वह अप्राप्तवय रहे ; परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह पौत्र की दशा में अपनी माता या पिता की सम्पदा से और प्रपौत्र की दशा में अपने पिता या माता की या पिता के पिता या पिता की माता की सम्पदा से, भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो ;

(v) उसकी अविवाहिता पुत्री या उसके पूर्वमृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री या उसके पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री जब तक कि वह अविवाहिता रहती है ; परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह पौत्री की दशा में अपने पिता या माता की सम्पदा से और प्रपौत्री की दशा में अपने पिता या माता की या पिता के पिता या पिता की माता की सम्पदा से, भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो ;

(vi) उसकी विधवा पुत्री ; परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह निम्नलिखित में से किसी से अपना भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो –

(क) अपने पति की सम्पदा से ; या

(ख) अपने पुत्र या पुत्री से, यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से ; या

(ग) अपने श्वसुर या उसके पिता से, या उन दोनों में से किसी की सम्पदा से ;

(vii) उसके पुत्र की या पूर्वमृत पुत्र के पुत्र की कोई विधवा, जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले ; परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह अपने पति की सम्पदा से, या अपने पुत्र या पुत्री से, यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से या पौत्र की विधवा की दशा में अपने श्वसुर की सम्पदा से भी भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो ;

(viii) उसका अप्राप्तवय अधर्मज पुत्र, जब तक कि वह अप्राप्तवय रहे ;

(ix) उसकी अधर्मज पुत्री, जब तक कि वह अविवाहिता रहे ।

22. आश्रितों का भरण-पोषण – (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि मृत हिन्दू के वारिस मृतक से विरासत में प्राप्त सम्पदा से मृतक के आश्रितों का भरण-पोषण करने के लिए आबद्ध हैं ।

(2) जहां कि किसी आश्रित ने, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् मृत हिन्दू की सम्पदा में कोई अंश वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा अभिप्राप्त नहीं किया है वहां इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि वह आश्रित उन व्यक्तियों से भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जो उस सम्पदा को लेते हैं ।

(3) जो व्यक्ति सम्पदा लेते हैं उनमें से हर एक का दायित्व अपने द्वारा ली गई सम्पदा के अंश या भाग के मूल्य के अनुपात में होगा ।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं एक आश्रित है, अन्यों के भरण-पोषण के लिए अभिदाय करने का दायी न होगा, यदि जो अंश या भाग उसे अभिप्राप्त हुआ हो उसका मूल्य उससे जो उसे भरण-पोषण के रूप में उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत हो, कम हो या कम हो जाएगा यदि अभिदाय करने के दायित्व का प्रवर्तन किया जाए ।

23. भरण-पोषण की रकम – (1) इस बात को अवधारित करना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा कि क्या कोई भरण-पोषण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दिलवाया जाए और यदि दिलवाया

जाए तो, कितना और ऐसा करने में न्यायालय, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में उपवर्णित बातों को, जहां तक कि वे लागू हैं सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा ।

(2) पत्नी, अपत्यों, वृद्ध या शिथिलांग जनकों को यदि कोई भरण-पोषण की रकम इस अधिनियम के अधीन दी जानी हो तो उसका अवधारण करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा –

(क) पक्षकारों की स्थिति और प्रास्थिति को ;

(ख) दावेदार की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को ;

(ग) यदि दावेदार पृथक्तः निवास कर रहा है तो इस बात को कि क्या दावेदार का ऐसा करना न्यायोचित है ;

(घ) दावेदार की सम्पत्ति के मूल्य को, और ऐसी सम्पत्ति से या दावेदार के निजी उपार्जनों से या किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न किसी आय को,

(ङ) इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण के हकदार व्यक्तियों की संख्या को ।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित को यदि कोई भरण-पोषण की रकम दी जानी है, तो उस रकम के अवधारण करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा –

(क) मृतक के ऋणों के संदाय का उपबंध करने के पश्चात् उसकी सम्पदा के शुद्ध मूल्य को ;

(ख) मृतक की विल के अधीन उस आश्रित के बारे में किए गए उपबंध को, यदि कोई हो ;

(ग) दोनों के बीच के नातेदारी की डिग्रियों को ;

(घ) उस आश्रित की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को ;

(ङ) उस आश्रित और मृतक के बीच के भूतपूर्व संबंधों को ;

(च) उस आश्रित की सम्पत्ति के मूल्य को और ऐसी सम्पत्ति से, या उस आश्रित के निजी उपार्जन से या किसी अन्य स्रोत से

व्युत्पन्न किसी आय को ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण के हकदार आश्रितों की संख्या को ।

24. भरण-पोषण के दावेदार को हिन्दू होना चाहिए – कोई भी व्यक्ति यदि वह किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिन्दू न रह गया हो तो इस अध्याय के अधीन भरण-पोषण का दावा करने का हकदार न होगा ।

25. परिस्थितियों में तब्दीली होने पर भरण-पोषण की रकम में परिवर्तन किया जा सकेगा – यदि परिस्थितियों में कोई ऐसी तात्विक तब्दीली हो जाए जिससे भरण-पोषण की रकम में परिवर्तन करना न्यायोचित हो तो भरण-पोषण की रकम, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् न्यायालय की डिक्री द्वारा या करार द्वारा निश्चित की गई हो, तत्पश्चात् परिवर्तित की जा सकेगी ।

26. ऋणों को पूर्विकता दी जाएगी – धारा 27 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन यह है कि मृतक द्वारा हर प्रकार के संविदाकृत या संदेय ऋणों को उसके अपने आश्रितों के इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण के दावों पर पूर्विकता दी जाएगी ।

27. भरण-पोषण कब भार होगा – इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित का भरण-पोषण का दावा, मृतक की सम्पदा या उसके किसी प्रभाग पर तब के सिवाय भार नहीं होगा जब कि मृतक की विल द्वारा, न्यायालय की डिक्री द्वारा, आश्रित और सम्पदा या उसके प्रभाग के स्वामी के बीच करार द्वारा या अन्यथा ऐसा कोई भार सृष्ट न किया गया हो ।

28. भरण-पोषण के अधिकार पर सम्पत्ति के अन्तरण का प्रभाव – जहां कि आश्रित को किसी सम्पदा में से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी सम्पदा या उसका कोई भाग अन्तरित किया जाता है तो यदि अन्तरिती को उस अधिकार की सूचना है या यदि वह अन्तरण आनुग्रहिक है तो भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार का प्रवर्तन अन्तरिती के विरुद्ध कराया जा सकेगा किन्तु ऐसे अन्तरिती के

विरुद्ध नहीं जो सप्रतिफल अन्तरिती है और जिसे उस अधिकार की सूचना नहीं है ।

अध्याय 4

निरसन और व्यावृत्ति

29. [निरसित ।] – निरसन और संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।

30. व्यावृत्तियां – इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए किसी भी दत्तक पर प्रभाव नहीं डालेगी तथा ऐसे किसी भी दत्तक की विधिमान्यता और प्रभाव का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो ।

iii Cover

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

iv Cover

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in